भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 जुलाई 2023 – 30 सितंबर 2023)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 25 **अक्तूबर, 2023** **अंक-4**

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रेस पर भी है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक को पहली

बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर मामला खत्म हो जाएगा।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा

विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में दी गई निर्धारित जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेखन नहीं करने चाहिए जो प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक परिषद जैसे द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य मानकों के अनुरूप नहीं समझे जाते है क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कमी होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in,
so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री पराग कारान्दिकर*	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, मराठी दैनिक, महाराष्ट्र
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

** राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसूचित।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडू
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी. भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

** उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन द इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
	समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}	
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}	
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
रिक्त*	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
	लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}	
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
श्री सुजीत कुमार ***	राज्य सभा	

सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ

** श्री शैलेंद्र दुबे, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत परिषद के सदस्य नहीं रहे।*

*** इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।*

**** राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसूचित।*

विषय सूची

	संक्षिप्त विवरण	1
1	पत्रकारिता जगत से	5
2	भारतीय अंगदान दिवस रिपोर्ट – 2023	12
3	हिंदी दिवस रिपोर्ट – 2023	14
4	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	21
5	प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 13 के अंतर्गत)	30
6	प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 14 के अंतर्गत)	32
7	परिषद के न्यायनिर्णय	35
8	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.07.2023, जिसमें श्री सुजीत कुमार, म.प्र. (राज्य सभा) को भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ड़) के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।	132
9	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.07.2023, जिसमें श्री पराग कारान्दिकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स को भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(क) के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।	133
10	श्री पराग कारान्दिकर को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित करने वाले राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.07.2023 के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांक 21.07.2023	134

संक्षिप्त विवरण

यहाँ प्रेस परिषद समीक्षा का अक्तूबर 2023 अंक (जिसमें 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि को कवर किया गया है) प्रस्तुत है। यह अंक इस तिमाही के दौरान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की गई सलाहकारी और अर्ध-न्यायिक गतिविधियों का व्यापक सार प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट भावी पहल का मार्ग प्रशस्त करने और प्रेस के कार्य-निष्पादन में वृद्धि के लिए परिषद के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। इसमें भारत में समाचार पत्रों के मानकों को बनाए रखने और उनके उन्नयन के लिए कार्यरत प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए परिषद द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण शामिल है। इस अवधि के दौरान, परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों के संरक्षण और उन्नयन के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में निष्ठापूर्वक कार्य किया।

परिषद के समक्ष शिकायतें:

भारतीय प्रेस परिषद (भा.प्रे.प.) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत शिकायतें स्वीकार करती है। ये शिकायतें पत्रकारों, संपादकों, समाचार पत्रों या प्रिंट मीडिया से संबंधित समाचार एजेंसियों द्वारा केंद्र या राज्य सरकारों सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतों में आमतौर पर मुद्दे जैसे कार्रवाई करने में प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन, पत्रकारों पर उनके पत्रकारिता कर्तव्य के निर्वहन के कारण शारीरिक हमले, सरकार द्वारा प्रेस सुविधाओं से इनकार और संबंधित मामले शामिल होते हैं। प्रेस के खिलाफ शिकायतों पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी भी सामग्री के प्रकाशन या गैर-प्रकाशन संबंधी मामलों को सामने ला सके। इसमें मानहानि, प्रकाशन आचारनीति, नैतिकता, पेड न्यूज और सांप्रदायिक, जातिवादी, राष्ट्र-विरोधी या पंथ-विरोधी सामग्री शामिल हैं। पीसीआई इन शिकायतों की जाँच करती है, और इसके निर्णय, अंतिम निर्णय होते हैं और उन्हें विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तिमाही के दौरान कुल 329 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 77 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित थीं, और 252 पत्रकारिता आचारनीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ थीं। तिमाही के दौरान 28.02.2023 को न्यायनिर्णयों के माध्यम से परिषद द्वारा 27 शिकायतों का समाधान किया गया।

स्वप्रेरणा से संज्ञान:

दायर की गई शिकायतों के अलावा, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पीसीआई के अध्यक्ष को विशिष्ट अधिकार दिया गया है, जिसके तहत प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के तहत, अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया, है कि वे औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना प्रेस

से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में स्वतंत्र रूप से जांच शुरू कर सकते हैं। प्रेस से संबंधित गंभीर मुद्दों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने की यह शक्ति पीसीआई को गंभीर मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रेस के मानकों को बनाए रखा जा सके और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।

इस तिमाही में परिषद ने निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे की घटनाओं का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया:

- महाराष्ट्र के जलगांव में स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप महाजन पर हमले की घटना पर।
- बिहार के अररिया जिले में पत्रकार श्री विमल कुमार यादव की कथित गोली मारकर हत्या की घटना पर।

परिषद ने इस तिमाही के दौरान निम्नलिखित मामलों में पत्रकारिता आचारनीति और सार्वजनिक रुचि के मानकों का उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया:

- दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण के खिलाफ भ्रामक और अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।
- एक जैसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया
- 22.08.2023 को दैनिक जागरण के विभिन्न संस्करणों में कथित रूप से गलत समाचार प्रकाशित करने के लिए उसके खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति:

इस तिमाही के दौरान परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा इसे भेजे गए मामलों के साथ ही पत्रकारिता आचरनीति और अन्य विषयों की एक श्रृंखला पर कुल बारह (12) प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं। परिषद ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रचार/विज्ञापनों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह का पालन करने के लिए प्रिंट मीडिया को निदेश जारी किए। इसके अलावा, परिषद ने प्रिंट मीडिया को पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान के प्रकाशन के संबंध में W.P. (CRL) 2456/2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देश:

परिषद ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मी/रिपोर्टर और LGBTQ+ समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए मीडिया दिशानिर्देश शीर्षक से रिपोर्टों के रूप

में दिशा-निर्देश भी जारी किए। इन दिशा-निर्देशों को परिषद द्वारा 21.08.2023 को अंगीकार किया गया।

सदस्यों की अधिसूचना:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री सुजीत कुमार, सांसद (राज्यसभा) और श्री पराग करंदीकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ई) और 5(3)(ए) के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया।

श्रद्धांजलि:

परिषद ने भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य और दीर्घानुभवी पत्रकार श्री उत्तम चंद शर्मा तथा भारतीय प्रेस परिषद के अवर सचिव श्री टी गऊ खनगिन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा।

इंटर्नशिप:

इस तिमाही में, परिषद ने 3 जुलाई, 2023 से 1 अगस्त, 2023 की अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। परिषद के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे भारत से पत्रकारिता के पंद्रह (15) छात्रों का चयन किया गया। समापन समारोह के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्री जी. सुधाकर नायर के साथ प्रशिक्षुओं का इंटरेक्टिव सत्र शामिल था।

कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन

हर साल 14 सितंबर, पूरे भारत में कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस समारोह-2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14-15 सितम्बर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया, जो देशभर से आने वाले हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए सकारात्मक जीवंत ऊर्जा के संचार का सशक्त माध्यम बना। भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने भारतीय प्रेस परिषद की ओर से कार्यक्रमों में भाग लिया।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 29 सितम्बर, 2023 को परिषद के सचिवालय में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी ने की।

हिंदी दिवस पर वृत्तचित्र दिखाये गये, जिनके बाद सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती निशि वाधवा ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। सचिव श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मचारियों से कार्यालय के काम में नोटिंग/ड्राफ्टिंग और पत्राचार में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने की अपील की। माननीय अध्यक्ष ने सभी कर्मियों से एक साथ मिलकर परिषद में राजभाषा हिंदी की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

भारतीय अंगदान दिवस

परिषद द्वारा 3 अगस्त, 2023 को भारतीय अंगदान दिवस, 2023 मनाया गया। इस अवसर पर पीसीआई के परिसर में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिषद के कर्मचारियों ने जरूरतमंदों को नया जीवन देने के लिए अपनी मृत्यु के बाद, अपने अंग दान करने की शपथ ली।

माननीय अध्यक्ष, पीसीआई के साथ संवाद सत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान के आह्वान पर, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए पीसीआई की माननीय अध्यक्ष के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र से मीडिया निकायों के सामने आई चुनौतियों और उनपर प्रभावी ढंग से चिंतन-मनन करने के लिए परिषद द्वारा किए गए प्रयासों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

****

पत्रकारिता जगत से

अमेरिकी अखबार ने की भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना

अमेरिकी अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अंतरिक्ष–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से स्टार्ट–अप विकसित हो रहे हैं और संकेत दे रहे है कि वह इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकता है तथा चीन को भी 'बराबर की टक्कर' देने वाली ताकत के रूप में उभर सकता है।

अमेरिकी के अग्रणी अखबार ने कहा, 'जब भारत ने 1963 में अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया था तो वह दुनिया की सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने वाला एक गरीब देश था। उस रॉकेट को एक साइकिल से लॉन्चपैड तक ले जाया गया और पृथ्वी से 124 मील दूर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। उस समय भारत महज अमेरिका और सोवियत संघ के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहा था लेकिन आज अंतरिक्ष की दौड़ में भारत की कहीं अधिक मजबूत स्थिति है।

अखबार ने 'विश्व के अंतरिक्ष व्यवसाय में आश्चर्यजनक प्रयासकर्ता' शीर्षक से छपे लेख में कहा कि भारत में कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष–प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप हैं जिसमें एक स्थानीय अनुसंधान क्षेत्र भी शामिल है और यह इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकता है। लेख में कहा गया है, स्टार्टअप की वृद्धि बेहद उल्लेखनीय रही है और उनके पास एक बड़ा बाजार भी है।'

'न्यूयार्क टाइम्स' (एनवाईटी) ने भारत के एक 'वैज्ञानिक शाक्ति के केंद्र के रूप में उभरने के महत्त्व को रेखांकित किया और इस क्रम में राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा और दोनों पक्षों द्वारा जारी संयुक्त बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने 'अंतरिक्ष सहयोग के सभी क्षेत्रों में नयी सीमाओं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है'। अखबार ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों 'अंतरिक्ष को ऐसे क्षेत्र में रूप में देखते हैं जिसमें भारत उनके परस्पर प्रतिद्वंद्वी चीन को बराबर की टक्कर दे सकता है।' उसने कहा, 'भारत का एक लाभ भू–राजनीतिक है।' उसने कहा कि रूस और चीन ने ऐतिहासिक रूप से प्रक्षेपणों के लिए कम लागत के विकल्प दिए है।

एनवाईटी के लेख में हैदराबाद स्थित 'स्काईरूट एयरोस्पेस' और एयरोस्पेस निर्माता 'ध्रुव स्पेस' का भी उल्लेख है। इसमें बेंगलुरू के स्टार्ट–अप पिक्सल का भी जिक्र है जिसने पेंटागन के साथ काम करने वाली एक खुफिया एजेंसी से करार' किया है। इसके सह–संस्थापक अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल हैं। भारत को 'नवोन्मेष का एक संपन्न केंद्र' और 'दुनिया में सबसे प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण स्थलों में से एक बताते हुए एनवाईटी के लेख में कहा गया है। कि अंतरिक्ष–प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप उद्यम पूंजी निवेशकों के लिए भारत के 'सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों' में से एक है और वृद्धि 'बेहद उल्लेखनीय' रही है।

राष्ट्रीय सहारा
दिल्ली
06/07/2023

चुनावी विज्ञापनों से बढ़ेगी प्रिंट मीडिया की कमाई

सरकार और कंपनियों के विज्ञापन पर अधिक व्यय से प्रिट मीडिया के राजस्व में चालू वित्त वर्ष 2023–24 में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रिंट मीडिया का राजस्व 13 से 15 प्रतिशत बढ़कर 30,000 करोड़ रूपए रह सकता है। महामारी के कारण प्रिंट मीडिया की आय 2020–21 में 40 प्रतिशत लुढक गई थी। बाद में इसमें तेजी आई और 2021–22 और 2022–23 में इसमें क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्रिसिल ने कहा कि उसका अनुमान उन कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है, जिसकी रेटिंग वह करती है। इन कंपनियों का क्षेत्र के कुल कारोबार में 40 प्रतिशत हिस्सा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनियों की कुल आय में 70 प्रतिशत योगदान विज्ञापनों का, जबकि 30 प्रतिशत ग्राहकों का है। एजेंसी ने कहा, ''प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियों के विज्ञापन पर अधिक खर्च और विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार के विज्ञापन व्यय में तेजी की उम्मीद है। इससे देश के प्रिंट मीडिया क्षेत्र की आय 13 से 15 प्रतिशत बढ़कर 30,000 करोड़ रूपए हो सकती है। कारोबार बढ़ने के साथ अखबारी कागज के दाम में कमी से क्षेत्र के लाभ में तेजी की उम्मीद है और 2023–24 में यह 10 प्रतिशत बढ़कर 14.5 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग के सामान, खुदरा, कपड़ा और फैशन आभूषणों की बढ़ती घरेलू मांग, नए वाहनों की पेशकश, उच्च शिक्षा के लिए बढ़ती प्राथमिकता, ऑनलाइन खरीदारी तथा बढ़ती रियल बिक्री विज्ञापन आय में वृद्धि को बनाए रखेगी।

राष्ट्रीय सहारा
दिल्ली
12/07/2023

पत्र–पत्रिकाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल पारित

प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने इसे बृहस्पतिवार को पारित कर दिया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन हो जाएगी। और 60 दिन में टाइटल मिल जाएगा। पंजीकरण के लिए पोर्टल इसी महीने लांच किया जाएगा। हालांकि अब बगैर पंजीयन पत्रिका के प्रकाशन पर पांच लाख रूपए का जुर्माना लगेगा। विदेशी पत्र, पत्रिका के बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि यह भारत सरकार की अनुमति के बिना नही हो सकेगा। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर जारी विरोध के चलते इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग नही लिया।

राज्यसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चर्चा में कहा, यह विधेयक 1876 में अग्रेजों के बनाए कानून की जगह लेगा। उन्होंने कहा, अंग्रेज शासक प्रेस पर नियंत्रण के लिए यह कानून लाए थे। पुराने कानून में छोटी–मोटी गलतियों को एक अपराध मान कर जेल में डालने या अन्य दंड का प्रावधान था लेकिन नए विधेयक में इसे खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए गए है। नए विधेयक में पंजीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया गया है और इसका सरलीकरण किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा पहले आठ चरणों में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती थी। इसमें दो से तीन साल तक लग जाते थे लेकिन नए विधयेक के कानून बन जाने के बाद एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकेगा और यह दो से तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, पंजीकरण के लिए पोर्टल बनाने का काम शुरू हो गया है और अगस्त में ही इसको लांच किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कांग्रेस ने 2011 में पुराने कानून की जगह एक कूनन लाने का प्रयास किया था लेकिन उसमे कोई खास बदलाव नहीं किया, उस विधेयक में और भी कड़े प्रावधान किए गए थे। उन्होंने कहा, आपातकाल के दौरान पत्रकारों को जेल में डाले जाने के उदाहरण है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नौ साल के शासन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर आंच आएं। उन्होंने मीडिया के बदलते स्वरूप का जिक्र किया और कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हजारों नही बल्कि लाखों लोग आने वाले वर्षों में पत्र और पत्रिकाएं शुरू कर सकेगे।

इससे पहले चर्चा में वीजद सांसद सुलता देव ने कहा कि पुराने कानून की वजह से मीडिया से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होने वेब चैनलों ओर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का उल्लेख किया और इस पर लगाम की मांग की। चर्चा में नरेश बंसल सीमा द्विवेदी, जीवीएल नरसिम्हा और राकेश सिन्हा ने भी भाग लिया और इसे उपयोगी बताया। तेदेपा के कनकमेदला रविद्र कुमार ने सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने राज्य आंध्र प्रदेश की कुछ घटनाओं का भी उल्लेख किया लेकिन पीठासीन उपाध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
04/08/2023

पीसीआई प्रमुख रंजना देसाई लोकपाल खोज समिति की अध्यक्ष नियुक्त

केंद्र ने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के प्रमुख और सदस्यों के नाम की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 10 सदस्यीय खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिसर्च एंड एनालिसिंस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल और सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया समिति के सदस्यों में से हैं। पिछले साल 27 मई को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र धोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना काम कर रहा है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है। फिलहाल लोकपाल में पांच सदस्य हैं। न्यायिक सदस्य के दो पद और गैर न्यायिक सदस्य का एक पद रिक्त है। लोकपाल का एक अध्यक्ष होता है और इसमे आठ सदस्य को सकते है चार न्यायिक और शेष गैर–न्यायिक।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर विचार करने के लिए समिति को सिफारिश करने के उद्देश्य से एक खोज समिति का गठन किया है।

दो अगस्त को जारी किए गए आदेश के अनुसार, खोज समिति के नो सदस्यों में उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल, हीरा लाला सामरिया, इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार, प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व प्रमुख अरुंधति भटटाचार्य शामिल है। उनके अलावा, आईएएस के पूर्व अधिकारी ओटेम दाई और राजीव यादव तथा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त अहमद जावेद को भी खोज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राजयों में लोकायुक्त की नियुक्ति की परिकल्पना करने वाले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था। लोकपाल प्रमुख और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाती है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित न्यायाविद् शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
दिल्ली
04/08/2023

फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्ती, 3 साल कैद

केद्र सरकार ने संसद में पेश भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य विधयेक के जरिए फेक न्यूज से सख्ती से निपटने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। लोकसभा में पेश भारतीय न्याय संहिता विधयेक– 2023 की धारा 195 के अंतर्गत देश की संप्रभुता व सुरक्षा को खतरे में डालने वाली फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों से निपटने की व्यवस्था है। इन विधेयकों को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया है। नए कानून की धारा 195 (1) डी में लिखा है, कोई देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्राम जानकारी फैलाता है, प्रकाशित करता है तो उसे तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 के अपराधों के अध्याय में राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे विषय शामिल है। पहले ये प्रावधान आईपीसी की धारा 153 वीं के तहत थे।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
13/08/2023

दुनियाभर की मीडिया में प्रमुखता से छाया चंद्रयान

अमेरिकाः दक्षिणी ध्रुव की दौड़ भारत ने पूरी की

वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा भारत ने चांद पर कदम रखा। भारत की इस कामयाबी से उसके अंतरिक्ष मिशन को और गति मिलेगी। देश के करोड़ों लोग जश्न में डुबे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने की दौड़ भारत ने जीत ली है।

ब्रिटेनः भारत के चंद्रयान ने रचा इतिहास

ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा भारत के चंद्रयान ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। इसी तरह बीबीसी ने लिखा दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने कदम रख रचा इतिहास।

रूसः भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

समाचार एजेंसी तारा ने लिखा चांद की सतह पर पहुँचने में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। मॉस्को टाइम्स ने लिखा है के चांद के उस हिस्से पर भारत उतरने में कामयाब हुआ है जहां दुनिया के दूसरे देश उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

पाकिस्तानः दक्षिणी ध्रुव पर भारत का कदम

पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। वही चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर इसरो को शुभकामनाएं दी।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
24/08/2023

सट्टेबाजी का विज्ञापन दिखाने पर होगी कार्रवाई

एशिया कप और विश्व कप क्रिकेट जैसी बडी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से पहले केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को मीड़िया संगठनों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने या उनके प्रकाशन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पत्रों टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को जारी परामर्श में कहा कि उन्हें सट्टेबाजी और जुए से संबंधित प्लेटफॉर्म को लेकर किसी भी रूप में विज्ञापन/प्रोत्साहन सामग्री प्रदर्शित करने से तत्काल बचना चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि अगर वे इस आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें विभिन्न विधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा इसमें कहा गया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेलों के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जुए और सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को देखा गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट

के परोक्ष संदर्भ में इसमें कहा गया है कि यह नोट किया जाता है कि कुछ दिनों बाद महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है।

परामर्श के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि जुआ/सट्टेबाजी प्लेटफार्मो से जुड़े विज्ञापन न केवल उपभोक्ताओं खासकर युवाओं एवं बच्चों को महत्त्वूपर्ण वित्तीय और सामाजिक–आर्थिक जोखिम में डालते है बल्कि इनका सम्पर्क धन शोधन से जुड़े नेटवर्क से होता है और इस प्रकार से ये देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। मंत्रालय इसी प्रकार का परामर्श पहले भी इस वर्ष अप्रैल में तथा पिछले वर्ष जून और अक्टूबर में कम से कम तीन बार जारी कर चुका है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
26/08/2023

जी–20 की सफलता पर वर्ल्ड मीडिया ने भारत को सराहा

जी–20 सम्मेलन में धोषणा पत्र को 100% सहमति मिलने पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तारीफ की है। साथ ही कहा कि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज है।

द वॉशिगंटन पोस्ट ने वैश्विक चिंताओं को दूर करने और सभी विकासात्मक और भू–राजनीतिक मुददों पर आम सहमति प्राप्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की।

दुबई के **गल्फ न्यूज** ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे 18 वें शिखर सम्मेलन ने सद्भाव और विविधता में दुनिया को आकार दिया।

द ब्रिटिश अखबार **टेलिग्राफ** आकर्षण ने नई विश्व व्यवस्था का मुख्य आकर्षण बनने के लिए भारत के कदम के बारे में बात की। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता ने जलवायु संकट जैसी आम चुनौतियों से निपटने के साधन के रूप में वैश्विक बहु हितधारक सहयोग को महत्व दिया।

अलजजीरा ने लिखा कि रूस ने संतुलित धोषणा की प्रशंसा की है। तो **साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट** ने लिखा–भारत की बैठक समाप्त होने पर अमेरिका–रूस ने जी–20 शिखर सम्मेलन की धोषणा की प्रशंसा की।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
12/09/2023

मीडिया ट्रायल पर नियम बनाए सरकारः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि क्रिमिनल केसों में पुलिसकर्मियों द्वारा की जाने वाली मीड़िया ब्रीफिंग के मामले में तीन महीने के अंदर विस्तृत गाइडलाइंस बनाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। मीड़िया ट्रायल न्याय के रास्ते से भटका सकता है। कोर्ट ने कहा, एक मानक प्रक्रिया की जरूरत है कि पत्रकारों को कैसे जानकारी दी जानी चाहिए। मीडिया के बोलने के अधिकार, आरोपी के निष्पक्ष जांच के

अधिकार और पीड़ित की निजता के बीच संतुलन बनाना होगा। पीठ ने सभी राज्यों के DGP से कहा कि वे एक महीने में गृह मंत्रालय को अपने सुझाव दें।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
14/09/2023

'भारतीय भाषा के अखबार कंटेट में ज्यादा ताकतवर'

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि पाठकों से जमीनी स्तर पर जुड़ने की वजह से भारतीय भाषा के अखबार बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित पहली मीडिया समिट के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही पॉपुलर होने की वजह से इंग्लिश ने भारतीय राष्ट्रीय मीडिया में गहरी जगह बना ली हो, लेकिन रीजनल मीडिया कंटेंट, रीडरशिप और मास अपील के पैमाने पर दिन–ब–दिन और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को फोकस रीजनल मीडिया को सपोर्ट और प्रमोट करना रहा है। प्रिंट मीडिया देश का सबसे पुराना मीडियम है और इंडस्ट्री के मुताबिक साल 2021 में इसमें 20 फीसदी की वृद्धि हुई है।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
14/09/2023

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय अंगदान दिवस-2023 रिपोर्ट

परिषद में 3 अगस्त, 2023 को भारतीय अंगदान दिवस, 2023 मनाया गया। परिषद में इस अवसर पर पूर्व में तैयार की गई अपनी कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ की गई। परिषद के परिसर में भारतीय अंगदान दिवस, 2023 से संबंधित बैनर लगाए गए।

भारतीय अंगदान दिवस, 2023 के दौरान की गई गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

स्लोगन लेखन प्रतियोगिता

परिषद के सचिवालय में विषय "भारतीय अंगदान" पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रविष्टियों की जांच के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया गया।

अंगदान शपथ

परिषद के 20 कर्मचारियों ने अपने ऐसे अंगों और ऊतकों (टिशू) को दान करने का संकल्प लिया, जो उनकी मृत्यु के बाद जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। साथ ही यह संकल्प लिया कि वे अपने परिवार, दोस्तों और साथी नागरिकों को मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

हिंदी दिवस रिपोर्ट – 2023

प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने हेतु हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है| इस वर्ष, हिंदी दिवस समारोह-2023 और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14-15 सितंबर, 2023 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया, जोकि देश भर से आने वाले हिंदी प्रेमियों के लिए सकारात्मक नयी ऊर्जा का सशक्त माध्यम रहा। परिषद में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने परिषद की ओर से इसमें भाग लिया।

हर वर्ष की तरह परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया| परिषद के कर्मियों को हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सूक्तियों के पोस्टर तैयार करके उन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया।

परिषद के सचिवालय में हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 29 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हिंदी दिवस संबंधी वृत्तचित्र दिखाया गया। परिषद के सभी अधिकारी/कर्मचारी इनसे लाभान्वित हुए। सभी ने पूर्ण रूचि एवं तन्मयता के साथ ये वृत्तचित्र देखे।

तत्पश्चात् सहायक निदेशक (राजभाषा), श्रीमती निशि वाधवा द्वारा हिंदी दिवस की प्रस्तावना प्रस्तुत की गयी। प्रस्तावना के दौरान, उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि यह हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। अनेकों विद्वानों के आशीर्वाद से संचित हिंदी, सारी भाषाओं की नदियों में एक महानदी का स्थान रखती है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भूमिका निभाती रही है। इसीलिए, एक ओर जहां 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का सफल आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिज़ी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी, 2023 तक फिज़ी के नांदी शहर में किया गया, वहीं हाल ही में 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय था – 'वसुधैव कुटुम्बकम' जिसका अर्थ है – पूरा विश्व एक परिवार है, जोकि आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। यह भी बहुत गौरव की बात है कि भारत की अन्तरिक्ष एजेंसी (इसरो) ने चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े सभी नामों को अंग्रेजी भाषा से न लेकर हिंदी एवं संस्कृत भाषा से लिया है जैसे चंद्रयान, आदित्य-एल 1, गगनयान आदि।

इसी के साथ उन्होंने स्वभाषा की आवश्यकता को समझाते हुए कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो हमें प्यार और दुलार के साथ संस्कार भी सिखा सकती है। अतः हमें भाषायी दासता का त्याग करते हुए निज भाषा को स्वाभिमान के साथ अपनाना चाहिए।

इसके पश्चात, सचिव महोदय, श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी केवल अनुवाद की भाषा नहीं है, बल्कि यह जनमानस के हृदय की भाषा है। इसलिए हमें मूल कार्य हिंदी में करने के साथ साथ हिंदी में टिप्पण और पत्राचार को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सभी से अपील की, कि हम सभी हिंदी के प्रति गौरव का भाव रखें। सभी के मिलकर प्रयास करने से हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदया ने सचिव महोदय की इस प्रेरणादायक अपील का समर्थन करते हुए प्रेस परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी सम्पूर्ण भारत को जोड़ने वाली संपर्क भाषा है। इसे राजभाषा के रूप में संवैधानिक गौरव मिला है। हिंदी की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है- इसकी सरसता। इस भाषा में स्वाभिमान है, पर अहंकार नहीं। इसमें एक सरल प्रवाह है, इसलिए जन-मानस से जुड़ने, उनके भावों और विचारों को समझने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं। भारत की कई ऑनलाइन पत्रिकायें पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। इस प्रकार हिंदी का समाज पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हो रहा है। उन्होंने सभी को एकजुट होकर, एक बार पुनः परिषद में राजभाषा हिंदी की प्रगति में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

इस उत्साहवर्धक संदेश के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई द्वारा प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान हेतु हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

अंत में, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सुश्री कनिका सक्सैना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ |

हिंदी पखवाड़े के दौरान, परिषद में "सशक्त भारत का आधार हिंदी" विषय पर स्लोगन लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से श्रेष्ठ तीन स्लोगन का चयन परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया, जिन्होंने परिषद के सभी कर्मियों द्वारा लिखे गए स्लोगनों की अत्याधिक सराहना करते हुए 3 विजेताओं का चयन किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	श्रेणी	पुरस्कार धारक का नाम		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
क	**स्लोगन-लेखन**	"भारत ही पहचान हमारी, हिंदी भाषा शान हमारी। देश की ऊंची शान करें, हिंदी भाषा में ही काम करें।" श्रीमती पिंकी जोशी (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)	"हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको हम जन-जन तक पहुंचाएंगे। सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन हिंदी दिवस मनाएंगे।" श्री प्रदीप आर्य (एम.टी.एस.)	"सुंदर भाषा प्यारी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी मातृभाषा ।" श्री रवीन्द्र सिंह (एम.टी.एस.)

इसके साथ ही, भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग, ड्राफ्टिंग और टंकण के माध्यम से कार्यालयी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	**श्रेणी**	**पुरस्कार धारक का नाम**		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
क	**टिप्पण/आलेखन**	श्री जसवंत कुमार (वरिष्ठ सचिवालय सहायक) श्री सुमित कुमार (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)	श्री अश्विनी मेहता (सहायक अनुभाग अधिकारी) श्री कुलदीप सिंह (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)	श्री अशोक कुमार गुप्ता (सहायक अनुभाग अधिकारी) श्रीमती पिंकी जोशी (कनिष्ठ सचिवालय सहायक) सुश्री प्रिया (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)
ख	**हिंदी प्रोत्साहन भत्ता (अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टंकण संबंधी कार्य हेतु)**	श्री सुमित कुमार (कनिष्ठ सचिवालय सहायक) श्रीमती पिंकी जोशी (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)		

हिंदी दिवस समारोह 2023 के दौरान पुरस्कार वितरण

श्रीमती पिंकी जोशी, स्लोगन- लेखन, टिप्पण/आलेखन एवं हिंदी टंकण के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री प्रदीप आर्य, स्लोगन- लेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री जसवंत कुमार, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री सुमित कुमार, टिप्पण/आलेखन एवं हिंदी टंकण के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री अश्विनी मेहता, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री कुलदीप सिंह, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री अशोक कुमार गुप्ता, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

सुश्री प्रिया, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

Press Council of India
Soochna Bhawan, 8-CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎24366745-46-47-49 ; Fax 24368723/726;
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com
Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों

के लिए

भारतीय प्रेस परिषद प्रविष्टियाँ आमंत्रित करती है

पीआर/26/2023-पीसीआई दिनांक: 04.07.2023

अंतिम तिथि: 18 अगस्त, 2023

भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारिता के स्तरों में सुधार करने और प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा अधिदेश प्राप्त है। मीडिया को "जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता" के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु, अधिदेश प्राप्त सांविधिक प्राधिकरण के रूप में परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों/फ्रीलांसरों/फोटो पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना की है।

उपर्युक्त के अनुसरण में, परिषद ने दिनांक 02.07.2023 के विज्ञापन के माध्यम से, आठ श्रेणियों में प्रिंट पत्रकारिता में भारतीय राष्ट्रीयता के पत्रकारों/फ्रीलांसरों/फोटो पत्रकारों से उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित कीं। श्रेणियां हैं:- (1) ग्रामीण पत्रकारिता (2) विकास संबंधी रिपोर्टिंग (3) फोटो पत्रकारिता: (i) एकल समाचार चित्र (ii) फोटो फीचर (4) सर्वश्रेष्ठ समाचारपत्र कला: जिसमें कार्टून, व्यंग्य चित्र एवं दृष्टांत शामिल हैं (5) खेल-कूद रिपोर्टिंग/खेल-कूद फोटो फ़ीचर (6) वित्तीय रिपोर्टिंग (7) लिंग आधारित रिपोर्टिंग और (8) संघर्ष क्षेत्र से रिपोर्टिंग।

प्रविष्टियाँ शाम 5:00 बजे या उससे पहले18 अगस्त, 2023 (शुक्रवार) तक आमंत्रित की जाती हैं। विवरण, परिषद की वेबसाइट https://presscouncil.nic.in पर देखा जा सकता है।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/27/2023-पीसीआई

दिनांक: 20.07.2023

दैनिक जागरण में भ्रामक, अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन पर भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्व: प्रेरणा से संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा विभिन्न अंकों में पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2022 के मानक-विज्ञापन (IV) और (V) एवं औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 2 और 3 का उल्लंघन करते हुए, प्रथम दृष्ट्या भ्रामक, अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन प्रकाशित करने पर उनके विरुद्ध स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया है।

दैनिक भास्कर समाचारपत्र दिल्ली संस्करण के संपादक को जवाब दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/29/2023-पीसीआई

दिनांक: 11.08.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने, एक जैसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए, नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के खिलाफ लिया स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के दिनांक 25.04.2023 के संस्करणों में एक जैसे लेखों के प्रकाशन पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस तरह के अभ्यासों से प्रेस के स्तर में गिरावट आती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के संपादकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/30/2023-पीसीआई

दिनांक: 17.08.2023

जलगांव, महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकार, श्री संदीप महाजन पर हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद ने 10 अगस्त, 2023 को जलगांव, महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप महाजन पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में यथाशीघ्र तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट मांगी है।

माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में एक तथ्यान्वेषी समिति का भी गठन किया है।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/36/2023-पीसीआई दिनांक: 14.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) 2456/2023 दिनांकित 28.08.2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेश का पालन करने की दी सलाह

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2456/2023 में, न्यायालय के अपने प्रस्ताव बनाम महिला एवं बाल विकास एवं अन्य के मामले में; अन्य. पीड़िता और उसके परिवार की पहचान प्रकाशित करने के संबंध में मीडिया के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

मीडिया जगत, जिसका विस्तार "प्रिंट से लेकर डिजिटल मीडिया तक है, को उनके नैतिक कर्तव्य और कानूनी जिम्मेदारियों की याद दिलाई जाती है। यदि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर करने वाली कोई सामग्री पहले ही प्रकाशित की गई हो, तो उसे POCSO अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुरूप सुनिश्चित करते हुए संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले के संबंध में समाचार की आगे की रिपोर्टिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सभी समाचार क्लिपिंग, वीडियो और अन्य सामग्री से, पीड़िता और उसके परिजनों की पहचान उजागर न हो।"

मीडिया उपर्युक्त निदेश पर अनुपालन हेतु ध्यान दे।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/37/2023-पीसीआई दिनांक: 21.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने एलजीबीटीक्यू + समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए जारी किए मीडिया दिशानिर्देश

एलजीबीटीक्यू + मुद्दों की मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में, पेरुंगुडी, ओएमआर, चेन्नई निवासी, श्री पी. सेंथिल के अभ्यावेदन के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने पर, भारतीय प्रेस परिषद ने इस मुद्दे पर कड़ी मेहनत और गहन विचार-विमर्श के बाद; मीडिया द्वारा एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के चित्रण के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका शीर्षक है **"एलजीबीटीक्यू + समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए मीडिया दिशानिर्देश"।** दिशानिर्देश परिषद की वेबसाइट @ www.presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्रिंट मीडिया को इसका पालन करने की सलाह दी जाती है।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/38/2023-पीसीआई दिनांक: 21.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए जारी किए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पत्र, जिसके साथ, प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों या रिपोर्टेरों के लिए दिशानिर्देश/एसओपी तैयार करने के लिए श्री राधाकांत त्रिपाठी की दिनांक 25.09.2021 की शिकायत संलग्न की गई है, प्राप्त होने पर परिषद ने 22.09.2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर विचार करते हुए, भारतीय प्रेस परिषद की तीन सदस्यीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया। उक्त उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे परिषद ने 21.08.2023 को आयोजित अपनी बैठक में अंगीकार किया। **"प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए दिशानिर्देश"** नामक रिपोर्ट के रूप में दिशानिर्देश परिषद की वेबसाइट @ www.presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्रिंट मीडिया को इसका पालन करने की सलाह दी जाती है।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/67/2023-पीसीआई-संदर्भ दिनांक: 06.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रचार/विज्ञापन के संबंध में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त, 2023 को जारी परामर्शिका का पालन करने की दी सलाह

25 अगस्त, 2023 की परामर्शिका (संख्या डीएम/15/2022-डीएम) के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ प्लेटफार्मों और उनके संबंधित उत्पादों से संबंधित विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित न करने की सलाह दी है। परामर्शिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध गतिविधियां हैं, और किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और अन्य, सहित विभिन्न कानूनों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के हाल ही में संशोधित नियम 3 (1) (ख) पर ध्यानाकृष्ट किया गया है। यह नियम निर्दिष्ट करता है कि मध्यवर्तियों को ऐसी जानकारी को व्यवस्थित और साझा करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए जोकि, "(ix) जोकि ऑनलाइन गेम की प्रकृति का है जिसे अनुमेय ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है; (x) किसी ऐसे ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या उसके प्रचार की प्रकृति का है, जो एक अनुमेय ऑनलाइन गेम नहीं है, या किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती की है जिसके द्वारा ऐसे ऑनलाइन गेम की पेशकश की जा रही है;"

मंत्रालय ने आगे टिप्पणी की, है कि उल्लिखित कानूनी आलिप्तता के बावजूद, विज्ञापन मध्यवर्तियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित विशिष्ट मीडिया संस्थाएं, सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रही हैं, खासकर क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान। महत्वपूर्ण खेल आयोजनों के दौरान इन प्लेटफार्मों के प्रचार

को तेज करने की प्रवृत्ति है, जिसमें क्रिकेट एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके अलावा, इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

उपर्युक्त के आलोक में और यह विचार करते हुए कि व्यापक सार्वजनिक हित दांव पर लगा है, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रकार के विज्ञापन को न दर्शाये और न ही उनका प्रकाशन करे।

****

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 13 के अंतर्गत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, सहारनपुर की श्री हिमांशु कुमार, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायत। (13/177/19-20)	21.08.2023	मामला न्यायाधीन: दोनों पक्षों को सावधान किया गया
2.	श्री पवन अग्रवाल, संपादक, दैनिक परिवर्तन का दौर, मुरादाबाद की पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/183/19-20)	21.08.2023	प्रतिवादी (पुलिस) को सावधान किया गया
3.	श्री सरवर आलम वारसी, ब्यूरो चीफ, दैनिक अमर भारती, कुशीनगर की डॉ. अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के विरुद्ध शिकायत। (13/157/19-20-पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
4.	श्री सौरभ अग्रवाल, संपादक, दैनिक स्याही की ताकत, रायगढ़ की श्री विजय अग्रवाल, पूर्व विधायक एवं अन्य के विरूद्ध शिकायत। (13/113/18-19-पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
5.	श्री एकान्त श्रीवास, संवाददाता, मानव अधिकार जागृति, झाँसी की पुलिस अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (370/2020-बी/पीसीआई)	21.08.2023	दोनों पक्षों को सावधान किया गया

प्रेस को सुविधाएं			
6.	श्री खाजा मोइनुद्दीन, प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिंद, हैदराबाद की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना सरकार एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (13/152/19-20-पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी द्वारा आश्वासन, शिकायतकर्ता को आई पी आर डी जाने का निदेश
7.	श्री गौतम जैन, बालोतरा, राजस्थान की आयुक्त, नगरपालिका बालोतरा एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत। (112/201-बी/पीसीआई)	21.08.2023	दोनों पक्षों में समझौता होने के कारण समाप्त
स्वप्रेरणा से संज्ञान			
8.	जम्मू-कश्मीर सरकार की मीडिया नीति-2020 के संबंध में स्वत: संज्ञान-फेक न्यूज संबंधी प्रावधान। (150/एसएम/2020-बी/पीसीआई)	21.08.2023	सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के कारण मामला बंद
9.	प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार एवं तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष श्री पराग भुइयां की मृत्यु के संबंध में स्वतः संज्ञान। (एसएम/अप्रैल/02/2021-बी/पीसीआई)	21.08.2023	मामला पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य से संबद्ध न होने के कारण समाप्त
10.	ओडिशा में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया -तत्संबंधी। (एसएम/सितंबर/01/2022-बी/पीसीआई)	21.08.2023	ओडिशा सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के कारण समाप्त
प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती			
11.	श्री चन्द्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, हरदोई की श्री राय सिंह यादव, निरीक्षक, थाना टडियावा, हरदोई के विरुद्ध शिकायत। (120/2020-बी/पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता की पुलिस के बारे में शिकायत का समाधान किये जाने के कारण समाप्त

प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 14 के अंतर्गत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धांत और प्रकाशन			
12	श्री विवेकानन्द दाश, संपादक, जनतंत्र, भुवनेश्वर की संपादक, दसमाज, कटक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 459 / 19–20–पीसीआई)	21.08.2023	सावधान किया गया
13	डॉ. राजू ई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र की टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर के विरुद्ध शिकायत। (306/2022-ए-पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित
प्रेस और मानहानि			
14	श्री एम.अरुण कुमार, सेलम, तमिलनाडु की संपादक, कलईकाधीर दैनिक, सेलम के विरुद्ध शिकायत। (14/339/19-20-पीसीआई)	21.08.2023	सावधान किया गया
15	श्री एम.मित्रा, उप-क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल संपादक, प्रदेश टुडे के विरुद्ध शिकायत। (14/492/19-20-पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
16	डॉ. शैलीबंसल, उपमंडल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, शिमला, डॉ. तेजस्वी विजय आजाद, उपनिदेशक आयुर्वेद, मंडीजोन, मंडी और डॉ. के.डी. शर्मा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, शिमला (हि.प्र.) संपादक, दैनिक जागरण के विरुद्ध की शिकायत। (1843/ 2020-ए-पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)

17	श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, रायगढ़ की संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अठेवाड़ा, औरंगाबाद के विरुद्ध शिकायत। (22/2020-ए-पीसीआई)	21.08.2023	निदेश के साथ समाप्त
प्रेस और नैतिकता			
18	श्री फारुख अल्लारखिया, मुंबई की संपादक, इंडिया अनबाउंड और श्री संदीप शिंदे, रिपोर्टर, इंडिया अनबाउंड, ठाणे के विरुद्ध शिकायत। (636/ 2021-ए-पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
स्वःप्रेरणा से संज्ञान			
19	दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (2/स्व-प्रेरणा/2020-पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित
20	दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा विज्ञापन को समाचार के रूप में प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (1641/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई)	21.08.2023	शुद्धिपत्र प्रकाशित किये जाने के कारण मामला बंद कर दिया गया
21	दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/3/जून/2021-ए-पीसीआई)	21.08.2023	चेतावनी के साथ समाप्त
22	दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/जून/5/2021-ए-पीसीआई)	21.08.2023	चेतावनी के साथ समाप्त

भ्रामक विज्ञापन			
23	श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/524/19-20 पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित टिप्पणी के साथ शिकायत बंद कर दी गई
24	मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई की (1) दैनिक भास्कर, जोधपुर (2) दैनिक भास्कर, जयपुर के विरुद्ध शिकायत। (398 एवं 399/2022-ए-पीसीआई)	21.08.2023	टिप्पणी के साथ शिकायत बंद कर दी गई
25	मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई की दिव्य भास्कर, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत। (398 एवं 399/2022-ए-पीसीआई)	21.08.2023	टिप्पणी के साथ शिकायत बंद कर दी गई

परिषद के न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 1 **फ़ाइल संख्या 13/177/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा,
ब्यूरो चीफ,
दैनिक जागरण,
सुल्तानपुर (उ.प्र.)।

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ.प्र.)।

2. सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ.प्र.)।

3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ (उ.प्र.)।

4. श्री हिमांशु कुमार,
पुलिस अधीक्षक,
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
(वर्तमान में तैनाती- प्रांतीय सशस्त्र
कांस्टेबुलरी कमांडेंट) 23 बटालियन,
मुरादाबाद (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 27.11.2019 को श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर (उ.प्र.) द्वारा श्री हिमांशु कुमार, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर (वर्तमान में कमांडेंट, प्रांतीय

सशस्त्र कांस्टेबुलरी, 23 बटालियन, मुरादाबाद के रूप में तैनात) के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण उन्हें कथित झूठे मामले में फंसाने के कारण दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता के बारे में समाचार प्रकाशित करके पुलिस की लापरवाही को उजागर किया था और इससे नाराज होकर प्रतिवादी, श्री हिमांशु कुमार ने थाना कोतवाली नगर, सुल्तानपुर में आईपीसी की धारा 394/506 के तहत झूठी एफआईआर संख्या 1283/2019 दर्ज की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने प्रतिवादी, श्री हिमांशु कुमार के खिलाफ उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने अपने जीवन को खतरे की आशंका जताते हुए, परिषद से प्रतिवादी, श्री हिमांशु कुमार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को दिनांक 7.2.2020 को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किए गए।

श्री हिमांशु कुमार द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

श्री हिमांशु कुमार, कमांडेंट, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, 23 बटालियन, मुरादाबाद ने अपने लिखित वक्तव्य में आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुल्तानपुर यात्रा के दौरान, जब शिकायतकर्ता बिना मीडिया पास के, कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे वह पुलिस से नाराज था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर ने उन्हें मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बिना मीडिया पास एवं अनुमति के प्रवेश करने तथा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में, शिकायतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 11.10.2019 को पत्र भेजा था। इस संदर्भ में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली नगर/क्षेत्राधिकारी नगर, सुलतानपुर द्वारा जांच की गयी तथा इसे उनके द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को भेजा गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनसे नाराजगी व्यक्त की थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा झूठी एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर को दिनांक 14.9.2019 को एक पत्र भेजा था, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनसे नाराजगी व्यक्त की थी। धमकी के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा है कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे, जिसके कारण शिकायतकर्ता उनसे नाराज थे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई थी और इस संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा 8.1.2020 को पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या को भेज दी गई थी, जिसमें आरोप झूठे और निराधार पाए गए थे। प्रतिवादी ने कहा है कि श्री धर्मेंद्र कुमार शुक्ला की शिकायत पर, श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा (शिकायतकर्ता) और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली सिटी, सुल्तानपुर में आईपीसी की धारा 394/506 के तहत एफआईआर संख्या 1283/2019 दर्ज की गई थी और मामले में 30.12.2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस सत्यापन के अभाव में, इसकी अनुशंसा नहीं की जा

सकी, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 7.10.2020 के माध्यम से, अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी लगातार उसे झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रच रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक बलात्कार पीड़िता के संबंध में, लगातार समाचारों के प्रकाशन से नाराज होकर, प्रतिवादी, श्री हिमांशु कुमार ने श्री धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा दर्ज़ एक साल पुरानी फर्जी शिकायत के आधार पर, उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस अपने ही खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार, समाचार प्रकाशित करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा प्रतिवादी ने उसे पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी पारदर्शी रिपोर्टिंग के प्रकाशन से नाराज था और उनके पत्रकारिता कर्तव्य को निभाने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई, प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, श्री कवीन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और श्री हिमांशु कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

दिनांक 27.11.2019 को श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर, (उ.प्र.) द्वारा श्री हिमांशु कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, यूपी और अन्य के खिलाफ शिकायतकर्ता को आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण झूठे मामले में फंसाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता ने बलात्कार की एक कथित घटना को उजागर करने वाली खबरें प्रकाशित की थीं। खबर में बताया गया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और लड़की का शव पेड़ पर लटका दिया गया। शिकायतकर्ता ने फिर से एक कथित सामूहिक बलात्कार के बारे में समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके कारण पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 506 के तहत झूठी एफआईआर संख्या 1283/2019 दर्ज की थी। आज उपस्थित श्री हिमांशु कुमार द्वारा इन सभी आरोपों को नकारते हुए लिखित वक्तव्य दर्ज़ किया गया है। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता ने बिना मीडिया पास के उस कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचने वाले थे। इस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इस बात से शिकायतकर्ता नाराज था। आगे बताया गया कि सामूहिक बलात्कार की खबर झूठी थी, क्योंकि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई थी। श्री हिमांशु कुमार ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने वास्तव

में एबीपी न्यूज चैनल के श्री विकास भदौरिया के कहने पर उनसे माफी मांगी थी। प्रति टिप्पणियों में शिकायतकर्ता ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से श्री हिमांशु कुमार से बात नहीं की। एबीपी न्यूज़ के श्री विकास भदौरिया के कहने पर और अपनी इच्छा के विरुद्ध, उन्होंने श्री हिमांशु कुमार से बात की। जांच समिति इस बात पर भी गौर करती है कि सुश्री मंजू लता सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ ने पत्र दिनांक 02.05.2023 द्वारा श्री एन.रवेन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ की दिनांक 27.04.2023 की एक रिपोर्ट अग्रेषित की है। रिपोर्ट का सार यह है कि शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित कारणों से यह शिकायत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की है:

क) दिनांक 27.08.2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुल्तानपुर दौरे के दौरान, बिना मीडिया पास के शिकायतकर्ता के प्रवेश पर रोक लगाने के कारण।

ख) भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी, श्री हिमांशु कुमार द्वारा डीएम से शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत करने के लिए;

ग) शिकायतकर्ता का हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए; और

घ) शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला सं. 1283/2019 दर्ज करने के लिए।

जांच समिति ने गौर किया है कि 2019 के मामला सं. 1283 में, आईपीसी की धारा 394 को हटा दिया गया है और आईपीसी की धारा 504 को जोड़ा गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। चूंकि, उक्त मामला प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के मद्देनजर न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्रेस परिषद उन आरोपों की जांच नहीं कर सकती है। संबंधित अदालत उनसे निपटेगी और अपना फैसला देगी। हालाँकि, शिकायत और श्री हिमांशु कुमार की प्रतिक्रिया और श्री एन. रवींद्र की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, जांच समिति का मानना है कि दोनों पक्षों को सावधान करने की जरूरत है। शिकायतकर्ता को अपना पत्रकारिता कर्तव्य निभाने का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपराधों को कवर/उजागर कर रहे हैं। हालाँकि, अपने पत्रकारीय कर्तव्य का निर्वहन करते समय, वह काफी भिड़ने वाला रवैया अपनाते नजर आते हैं। यदि वह माफी नहीं मांगना चाहते थे, तो किसी के कहने पर श्री हिमांशु कुमार से बात करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। जांच समिति का मानना है कि परिषद को शिकायतकर्ता को संयम के साथ और उचित सत्यापन के बाद अपना कर्तव्य निभाने के लिए सचेत करना चाहिए। दरअसल, इससे उनके काम में सुधार हो सकता है। जहां तक पुलिस का सवाल है, जांच समिति का मानना है कि पुलिस को किसी भी तरह से पत्रकार पर कोई ऐसी रोक नहीं लगानी चाहिए, जो उसे उनके पत्रकारिता कर्तव्य को निभाने से रोके, जब तक कि उसका आचरण ऐसा न हो कि उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत हो। जांच समिति को नहीं लगता कि इस मामले में सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता के पास कोई मीडिया पास नहीं था, उसके साथ कठोर व्यवहार किया जा सकता था। यह जाहिर है कि स्पष्ट रूप से अपर्याप्त सबूतों के कारण शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले में उसे कठोर दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए, जैसा ऊपर

उल्लिखित किया गया है, जांच समिति परिषद को दोनों पक्षों को सावधान करने के बाद शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा दोनों पक्षों को सावधान करते हुए, मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

कम सं. 2 **फ़ाइल संख्या 13/183/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता
श्री पवन अग्रवाल,
संपादक,
दैनिक परिवर्तन का दौर,
मुरादाबाद (उ.प्र.)

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ (उ.प्र.)

2. सचिव,
   गृह (पुलिस) विभाग,
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ (उ.प्र.)

3. पुलिस महानिदेशक,
   उत्तर प्रदेश पुलिस,
   पुलिस मुख्यालय,
   लखनऊ (उ.प्र.)

4. श्री जे. रवीन्द्र गौड़, आईपीएस,
   पुलिस उप महानिरीक्षक, एसआईटी,
   लखनऊ (उ.प्र.)

5. श्री अमित पाठक,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
   जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

6. श्री अंकित मित्तल,
   पुलिस अधीक्षक,
   जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

7. श्री अमित आनंद,
   पुलिस अधीक्षक सिटी,
   जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

8. श्री राजेश कुमार,
   सर्किल अधिकारी, कोतवाली,
   जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

9. श्री शक्ति सिंह,
   थाना प्रभारी,
   पुलिस स्टेशन मुडापांडेय,
   जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

10. श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर,
    सब-इंस्पेक्टर,
    पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
    जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

11. श्री सतीश पाल,
    लॉकअप प्रभारी,
    जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

12. श्री जयवीर,
    कांस्टेबल,
    पुलिस थाना मुगलपुरा,
    जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

13. श्री सचिन,
    कांस्टेबल,
    पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
    जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

14. श्री मनोहर सिंह,
    कांस्टेबल,
    पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
    जिला मुरादाबाद (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 1.12.2019 को श्री पवन अग्रवाल, आरटीआई कार्यकर्ता और संपादक, दैनिक परिवर्तन का दौर, मुरादाबाद (यूपी) द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से झूठे मामले में फंसाकर उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, तीन कांस्टेबल, श्री जयवीर, सचिन और मनोहर सिंह ने 5.3.2019 को सत्र न्यायालय में श्री रहीम नामक एक अभियुक्त की हथकड़ी खोलकर, उसे भगा दिया। हंगामा होने पर, शिकायतकर्ता अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाने लगा, जिसके चलते पुलिस ने उसे जबरन सेशन कोर्ट हवालात में बंद कर दिया और उसकी पिटाई कर दी और उसके पैसे, मोबाइल, प्रेस कार्ड, लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी, श्री शक्ति सिंह उसे सिविल लाइन थाना ले गये और उसके साथ मारपीट की। जब इसकी जानकारी अन्य पत्रकारों को हुई तो उन्होंने श्री शक्ति सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के भागने का वीडियो बनाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद शिकायतकर्ता के चाचा ने तीनों कांस्टेबलों, श्री जयवीर, सचिन और मनोहर सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसे श्री शक्ति सिंह ने फाड़ दिया। अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली और जिला मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप के बाद, देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने घटना की एफआईआर दर्ज करने के लिए उच्च अधिकारियों और सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन को शिकायत भेजी थी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन सर्किल अधिकारी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 4.4.2019 में बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि थाना प्रभारी एवं सर्किल अधिकारी ने अपने आप ही उक्त आवेदन पर जांच रिपोर्ट दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि दर्ज मामला संख्या 161/2019 में अभियुक्त के भागने और दोबारा गिरफ्तार होने का समय एक ही, अर्थात् दोपहर 15:30 बजे दर्ज है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर, श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर, सिविल लाइन्स थाना द्वारा की गई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सर्किल ऑफिसर द्वारा अभियुक्त को भागने में मदद करने के लिए उसका (शिकायतकर्ता का) नाम भी मामला सं. 161/2019 में शामिल किया गया है, जबकि वह दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक हिरासत में था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि सब-इंस्पेक्टर, श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर सिविल लाइन्स, पुलिस स्टेशन ने अपनी जांच रिपोर्ट, जो 24.8.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, में उल्लेख किया है कि मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप झूठा पाया गया। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को जवाबी वक्तव्य के लिए 14.2.2020 को नोटिस सेवित किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 30.6.2020 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने शिकायत में उल्लिखित घटना की तारीख अर्थात 5.3.2019 के बाद 16.6.2019 को कार्यभार संभाला था। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली क्षेत्र के पत्र दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता की एक और शिकायत, प्राप्त हुई थी और दिनांक 27.2.2020 को मामले की जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक शहर, मुरादाबाद द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसे शिकायतकर्ता द्वारा इसी तरह का आरोप लगाने की एक और शिकायत दिनांक 5.3.2019 को प्राप्त हुई थी और वह मामला, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के कार्यालय से, उसके पत्र दिनांक 7.3.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ था और श्री राजेश कुमार, सर्किल अधिकारी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद द्वारा मामले की जांच की गई थी।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि जांच में यह पाया गया कि कांस्टेबल, श्री जयवीर सिंह ने रहीम और शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 224/225 के तहत 5.3.2019 को सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 161/2019 दर्ज किया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूतों के अभाव में शिकायतकर्ता का नाम मामले से हटा दिया गया और अभियुक्त रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत चार्जशीट संख्या 310/19 दिनांक 15.6.2019 दर्ज की गई। प्रतिवादी ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस शिकायत के संदर्भ में उल्लिखित किसी भी बिंदु पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा।

श्री जे. रवीन्द्र गौड़, डी आई जी पुलिस लखनऊ द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री जे. रवीन्द्र गौड़, पुलिस उप महानिरीक्षक, एसआईटी, लखनऊ ने दिनांक 17.9.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है को पुनः दोहराया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 4.7.2020 को अपनी प्रति टिप्पणी में यह सूचित करते हुए कि उसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद से लिखित वक्तव्य की एक प्रति प्राप्त हुई है, यह आरोप लगाया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट बिना सबूत के और नियमों के खिलाफ हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि न तो उसके वक्तव्य और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों का, जांच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख किया गया है और न ही घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही अभियुक्त या अन्य स्थानीय व्यक्तियों के वक्तव्य दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी द्वारा अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों, जिन्होंने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों को संरक्षण दे रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांकित 13.1.2020 के माध्यम से आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने फर्जी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस तरह वे माननीय परिषद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत एवं प्रति टिप्पणी को पुनः दोहराते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता को थाने में 6:30 घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी जानबूझकर उसके पत्रकारिता कर्तव्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा दर्ज अगला उत्तर</u>

श्री पवन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने अपने अगले उत्तर दिनांक 15.7.2021 के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, मुरादाबाद की दिनांक 10.6.2021 की जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी है, जिसमें विवेचित किया गया है कि शिकायतकर्ता का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 15 मामले दर्ज हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग कर रहा है और शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 19 आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर दिनांक 5.3.2019 की घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत माननीय न्यायालय में एक आवेदन भी दाखिल किया है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता को लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने की आदत है। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगकर लोक सेवकों को परेशान करता है और शिकायतकर्ता ने समाचारपत्र और सोशल मीडिया पर कई बार आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। प्रतिवादी ने कहा कि उप निदेशक सूचना, मुरादाबाद ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने अपने समाचारपत्र की प्रतियां उनके कार्यालय में जमा नहीं की हैं और उनके समाचारपत्र के प्रसार आंकड़े का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। [प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा संख्या 161/2019 दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के दौरान उसका नाम मुकदमे से हटा दिया गया और इस तरह गलत आरोप में फंसाने से नाराज होकर शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई।] प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और अपने निजी लाभ के लिए समाचारपत्र का दुरुपयोग करता है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता के प्रिंटिंग प्रेस, अर्थात स्मग टू एंटरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटेड, नोएडा से जानकारी लेने के बाद यह प्रकाश में आया कि शिकायतकर्ता का समाचारपत्र उनके प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन उक्त समाचारपत्र 1 जनवरी 2020 से 2021 तक की अवधि में, उनकी प्रिंटिंग प्रेस से इसलिए उनके पास समाचारपत्र की प्रसार संख्या का कोई रिकॉर्ड

नहीं है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ मानहानिकारक और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करता है और इस तरह उनके सरकारी कर्तव्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह शिकायत खारिज किये जाने योग्य है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 13.3.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उसने पुलिस स्टेशन पाकबारा में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला संख्या 86/2018 दर्ज किया था और इसकी जांच, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद, श्री अनिल कुमार यादव को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि मामला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ था, इसलिए श्री अनिल कुमार ने उस पर मामला वापस लेने और प्रेस परिषद के समक्ष दर्ज शिकायत, को वापस लेने के लिए दबाव डालना और धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद श्री अनिल कुमार ने एक साजिश के तहत, एक महिला और बच्ची की मदद से थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में झूठा मुकदमा संख्या 72/2021 दिनांक 15.4.2021 दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि श्री अनिल कुमार ने सिविल लाइन्स थाना में धारा 506/2021 के तहत एक और झूठा मामला संख्या 242/21 भी दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसके बाद उसने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 8155/2021 दर्ज की और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.9.2021 में विवेचित किया कि "हालांकि, यह देखा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी।" और इसे शीघ्रता से समाप्त किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि प्रतिवादियों ने उसे और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए, उसने अपने खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में, माननीय न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से उसे आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण, प्रतिवादियों की कार्रवाई, प्रतिशोध लेने के लिए की गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, श्री कवीन्द्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, श्री योगेन्द्र कृष्ण, निरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और श्री शक्ति सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता, श्री पवन अग्रवाल, संपादक, दैनिक परिवर्तन का दौर उपस्थित नहीं हैं। हालाँकि, जांच समिति इस शिकायत में सुनवाई कर रही है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना, अन्य बातों के अलावा

यह है कि श्री जयवीर, श्री सचिन और श्री मनोहर सिंह नाम के तीन कांस्टेबलों ने 05.03.2019 को सत्र न्यायालय में अभियुक्त रहीम को हथकड़ी खोलकर भागने में उसकी मदद की। जब वे अपने मोबाइल पर घटना का वीडियो बना रहे थे, तो उनका मोबाइल, प्रेस कार्ड और लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लिये गये। उन्हे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके चाचा द्वारा दर्ज की गई शिकायत को फाड़ दिया गया। वह दोपहर 3.30 बजे से रात 10.30 बजे तक हिरासत में रहे और उन्हें देर रात रिहा किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि की है कि जांच के दौरान अपर्याप्त साक्ष्य के कारण, शिकायतकर्ता का नाम मामला सं. 161/2019 से हटा दिया गया था और केवल अभियुक्त रहीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी। पुलिस की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता एक आरटीआई कार्यकर्ता है, और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। जांच समिति उन सभी में आगे विस्तार में जाना नहीं चाहती। यदि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई मामले दर्ज हैं और वे न्यायाधीन हैं तो संबंधित न्यायालय उस पर फैसला करेगा। लेकिन जांच समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि शिकायतकर्ता को गलत तरीके से मामला सं. 161/2019 में फंसाया गया था। यह एक स्वीकृत तथ्य है। इस मामले में जिस तरह से शिकायतकर्ता को शामिल किया गया, उससे जांच समिति खुश नहीं है। लोगों के खिलाफ मज़ाक में, मामले दर्ज नहीं किये जा सकते। इसलिए, जांच समिति परिषद से पुलिस को सावधान करने और विशेष रूप से पत्रकारों के मामलों से निपटने के दौरान, भविष्य में सावधान रहने और शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा पुलिस को सावधान करते हुए, शिकायत को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 3 **फ़ाइल संख्या 13/157/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री सरवर आलम वारसी,
ब्यूरो चीफ,
दैनिक अमर भारती,
कुशीनगर (उ.प्र.)

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ.प्र.)

2. सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ.प्र.)

3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ (उ.प्र.)

4. डॉ. अनिल कुमार सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

5. पुलिस अधीक्षक,
जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

6. श्री अजय नारायण,
उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट,
शिकायत कक्ष,
जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

7. श्री कोमल,
उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट
शिकायत कक्ष,
जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

8. श्री विनोद कुमार पासवान,
क्लर्क, शिकायत कक्ष,
जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 27.10.2019 को श्री सरवर आलम वारसी, ब्यूरो चीफ, अमर भारती, कुशीनगर (उ.प्र.) द्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर और जिला मजिस्ट्रेट के

कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ समाचार के रूप में प्रकाशित करने के लिए जानकारी मांगने के कारण कथित रूप से उन्हें परेशान करने, जान से मारने की धमकी देने तथा उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने मदरसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की नियुक्ति के संबंध में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत की थी और जिला प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं और दुष्कृत्यों को उजागर करते हुए, अपने समाचारपत्र में भी इस विषय में खबर प्रकाशित की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी शिकायत की जांच मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मजिस्ट्रेट कार्यालय के कलर्क द्वारा स्वयं को जांच अधिकारी नियुक्त कर, धन उगाही कर, जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बार-बार इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा, तो मजिस्ट्रेट ने अपने कार्यालय के क्लर्क श्री विनोद कुमार पासवान के माध्यम से, एक साजिश के तहत उन पर और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं, के खिलाफ कई मामले दर्ज करा दिये। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय क्लर्क द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का पूरा समर्थन प्राप्त है, अगर वह (शिकायतकर्ता) शिकायत करेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज करने या भ्रष्टाचार के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित करने पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पुलिस के साथ मिलकर उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं और फिर से उन्होनें थाना पडरौना, कुशीनगर में आईपीसी की धारा 353/427/504 व एससी/एसटी अधिनियम की धारा3(1) के तहत झूठा मुकदमा संख्या 029/2020 दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि एफआईआर की कॉपी गुप्त रखकर उसके घर में तोड़फोड़ की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान खतरे में होने की आशंका जताते हुए, परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को दिनांक 1.1.2020 को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस सेवित किए गए।

मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

डॉ. अनिल कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 24.1.2020 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि कलर्क, श्री विनोद पासवान द्वारा 15.11.2018 को शिकायतकर्ता के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मोहर की जालसाजी करने के लिए धारा 419/420 के तहत मामला संख्या 0530 दर्ज किया, गया था, जो अदालत के समक्ष लंबित है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता उनके कार्यालय में आता है और खुद को ब्यूरो चीफ (पत्रकार) बताकर उन्हें धमकाता है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने क्लर्क, श्री विनोद पासवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और

इसकी जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा की गई थी। प्रतिवादी ने कहा है कि जांच के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता कभी भी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके कार्यालय नहीं आता है। शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि जांच के बाद यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपराध किया गया था और यह मामला माननीय न्यायालय, कुशीनगर के समक्ष विचाराधीन है।

पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री विनोद कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 30.3.2020 द्वारा प्रस्तुत किया कि, श्री विनोद कुमार पासवान की शिकायत पर, दिनांक 21.1.2020 को थाना पडरौना, कुशीनगर में शिकायतकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध आईपीसी की धारा 353/427/504 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, मुकदमा संख्या 29/2020 दर्ज किया गया तथा छानबीन के उपरान्त, दिनांक 14.3.2020 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई।

श्री विनोद कुमार पासवान द्वारा दर्ज उत्तर

प्रतिवादी, श्री विनोद कुमार पासवान, सहायक, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुशीनगर ने दिनांक 25.2.2023 को अपने उत्तर में प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता 14.11.2018 को डीएम कार्यालय गये और उन्हें एक आवेदन दिया, जिसमें डीएम के जाली हस्ताक्षर थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उस आवेदन को डीएम को दिखाया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की, कि हस्ताक्षर फर्जी थे। इसके बाद, उन्होंने इस संबंध में 14.11.2018 को पडरौना थाने में शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता को 30.7.2019 को अमर भारती के ब्यूरो प्रमुख के रूप में नामित किया गया था, जबकि उन्होंने 14.11.2018 को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, इसलिए उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित न करने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक,कुशीनगर द्वारा दर्ज़ अगला उत्तर

पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.2.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने डीएम, कुशीनगर के कार्यालय में डीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके एक आवेदन दिया था। श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार पासवान, कलर्क ने इसे डीएम को दिखाया और उन्होंने पुष्टि की, कि हस्ताक्षर फर्जी है। इसके बाद श्री पासवान ने पडरौना थाने में शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 419/420 के तहत एफआईआर संख्या 531/2018 दिनांक 15.11.2019 दर्ज कराई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि जांच के दौरान, आरोप सही पाया गया और माननीय अदालत के समक्ष चार्जशीट संख्या 390/2019 दिनांक 19.9.2019 दाखिल की गई। प्रतिवादी ने आगे कहा कि श्री नारायण सिंह, कार्यालय प्रभारी, डीएम कार्यालय, कुशीनगर ने डीएम के फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में,

कसया पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 835/2018 और पीएस पटहेरवा में 474/2018 भी दर्ज कराई है। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता का नाम भी प्रकाश में आया और दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि श्री विनोद कुमार पासवान, कलर्क, कलेक्ट्रेट, कुशीनगर ने शिकायतकर्ता और अन्य के खिलाफ सरकारी फाइलों को फाड़ने और जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, आईपीसी की धारा 353/427/504 और एससी/एसटी अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 29/2020 दिनांक 21.1.2020 दर्ज की और जांच के बाद चार्जशीट संख्या ए सीसीटीएनएस दिनांक 14.3.2020 दाखिल की। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता हिस्ट्रीशीटर है और शिकायतकर्ता के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कुल 15 मामले दर्ज हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध थाना प्रभारी कसया द्वारा गुंडा अधिनियम की धारा 2/3 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादियों की ओर से श्री कवींद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक, श्री अभय शर्मा, वरिष्ठ सहायक और श्रीमती निशा पाठक, सहायक सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, श्री प्रदीप कुमार, उप-निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर की ओर से उपस्थित हुए और श्री विनोद कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता पिछली बार अर्थात् दिनांक 2.3.2023 को उपस्थित नहीं था। आज फिर शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। इसलिए, जांच समिति अनुपस्थिति के कारण, परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 4 **फ़ाइल संख्या 13/113/18-19-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री सौरभ अग्रवाल,
संपादक,
दैनिक स्याही की ताकत,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

प्रतिवादी

1. श्री विजय अग्रवाल,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. श्री भरत अग्रवाल,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

श्री नितिन सिन्हा,
पत्रकार,
दैनिक स्याही की ताकत और
आज का दिन,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. श्री अमित शर्मा,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. श्री आलोक पांडे,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

5. श्री आशीष ताम्रकार,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

6. श्री राकेश अग्रवाल,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

7. श्री अमित पांडे,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

8. श्री अशोक मेहता,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

तथ्य

यह संयुक्त शिकायत दिनांक 2.12.2018 श्री सौरभ अग्रवाल, संपादक, दैनिक स्याही की ताकत और श्री नितिन सिन्हा, दैनिक स्याही की ताकत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा भाजपा, रायगढ़ के पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ कथित आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण पुलिस की मिलीभगत से, उन्हें झूठे मामलों में फंसाये जाने के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने कोयला-माफिया, श्री भरत अग्रवाल, जो पूर्व भाजपा-विधायक, श्री विजय अग्रवाल के पुत्र हैं, के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में समाचार प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू-माफिया भाजपा पार्षद, श्री आशीष ताम्रकार के विरुद्ध भी समाचार प्रकाशित किये थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इससे नाराज होकर प्रतिवादियों ने पुलिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कराए। शिकायतकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि न तो पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज झूठे मामलों के संबंध में उनका वक्तव्य लिया और न ही राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया, जिनमें पत्रकारों के खिलाफ सीधे अपराध मामला दर्ज करने पर रोक

लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी के कृत्य के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है और पिछले तीन महीने से उसके अखबार का प्रकाशन बंद है। उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को दिनांक 14.1.2019 को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस सेवित किए गए।

श्री आलोक पांडे और श्री अमित पांडे द्वारा दर्ज़ संयुक्त लिखित वक्तव्य

श्री आलोक पांडे और अमित पांडे, रायगढ़ ने अपने संयुक्त लिखित वक्तव्य दिनांक 17.2.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायत के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतिवादियों ने कहा कि शिकायतकर्ता, श्री सौरभ अग्रवाल द्वारा उनके (श्री आलोक पांडे प्रतिवादी नंबर 4 के) मोबाइल पर अश्लील और अपमानजनक बातें साझा की गईं, जिसके कारण उन्होंने पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज की। प्रतिवादियों ने आगे बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता, श्री सौरभ अग्रवाल ने उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रतिवादियों संख्या 4 और 7 ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज़ की है, ताकि वे शिकायत वापस ले लें। प्रतिवादियों ने कहा कि इस मामले में उनका अन्य प्रतिवादियों से कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादियों संख्या 4 और 7 ने आगे कहा कि वे "केलो भूमि" नाम से भी समाचारपत्र चला रहे हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

श्री विजय अग्रवाल और श्री भरत अग्रवाल द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

प्रतिवादियों के परामर्शदाता, श्री विजय अग्रवाल और श्री भरत अग्रवाल, रायगढ़ ने उनकी ओर से दिनांक 15.12.2022 को लिखित वक्तव्य दर्ज़ किया।

श्री विजय अग्रवाल ने अपने उत्तर में कहा कि वह शिकायतकर्ताओं को न तो जानते हैं और न ही पहचानते हैं और उनके (शिकायतकर्ताओं) द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत बंद करने का अनुरोध किया है।

श्री भरत अग्रवाल ने अपने उत्तर में कहा कि श्री सौरभ अग्रवाल शिकायतकर्ता संख्या 1 झूठी खबरें प्रकाशित करके उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता नंबर 2 ने उन्हें रास्ते में रोका और उनसे पैसों की मांग की और पत्रकारिता की आड़ में उन्हें और उनके परिवार को समुदाय में बदनाम करने की धमकी दी।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता मौजूद नहीं हैं। कोई भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। पिछली बार भी

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं थे और उनकी पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए, जांच समिति अनुपस्थिति के कारण परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा अनुपथिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 5 **फ़ाइल संख्या 370/2020-बी-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री एकांत श्रीवास,
संवाद्दाता,
मानव अधिकार जागरूकता,
मऊरानीपुर,
झाँसी (उ.प्र.)।

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ.प्र.)।

2. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ (उ.प्र.)।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला झाँसी (उ.प्र.)।

4. प्रभारी निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन मऊरानीपुर,
झाँसी (उ.प्र.)।

5. श्री पुरूषोत्तम राय,
झाँसी (उ.प्र.)।

6. श्री उमाशंकर राय,
झाँसी (उ.प्र.)।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 10.10.2020 को श्री एकांत श्रीवास, संवाद्दाता, मानव अधिकार जागरूकता, हिंदी मासिक, झाँसी (यूपी) द्वारा भू-माफिया के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण, उनके कार्यालय में कथित तोड़फोड़ करने के लिए और पुलिस की निष्क्रियता के लिए दर्ज़ की गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी, श्री पुरूषोत्तम राय और श्री उमाशंकर राय ने पुलिस की मिलीभगत से, फर्जी दस्तावेज बनाकर मऊरानीपुर में एक इंटर कॉलेज के खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया था। श्री कैलाश नारायण बरसैया ने इस संबंध में प्रशासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी से शिकायत की थी। जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अपने समाचार पत्र के जनवरी, 2020 अंक में "कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भू-माफिया दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं" शीर्षक के तहत समाचार प्रकाशित किया था, लेकिन उसने इसमें भू-माफिया के नाम का उल्लेख नहीं किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे नाराज होकर श्री पुरूषोत्तम राय एवं श्री उमाशंकर राय ने दिनांक 8.10.2020 को उनके कार्यालय पर हमला बोल दिया तथा उनसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी तथा फाइलें भी फाड़ दीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने प्रभारी निरीक्षक, थाना मऊरानीपुर, झाँसी से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने परिषद से दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को टिप्पणियों के लिए 23.3.2021 को नोटिस जारी किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी की टिप्पणियाँ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी ने दिनांक 15.8.2021 की टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मामले की जाँच सर्कल अधिकारी, मऊरानीपुर, झाँसी द्वारा की गई थी और जांच में यह पाया गया था कि श्री उमाशंकर राय और श्री कैलाश बरसैया के बीच एक भूमि विवाद है और इस संबंध में एक याचिका संख्या 26/2020 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि श्री उमाशंकर राय ने भी श्री कैलाश बरसैया एवं अन्य के खिलाफ थाना मऊरानीपुर में क्रमशः 05.01.2020 एवं 01.09.2020 को आईपीसी की धारा 147/452/504/506/427/352 के तहत मामला संख्या 10/2020 और आईपीसी की धारा 457/380/506 के तहत मामला संख्या 486/2020 दर्ज कराया था, जोकि न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी ने कहा कि इसी कारण से श्री कैलाश बरसैया एवं अन्य ने शिकायतकर्ता, श्री एकान्त श्रीवास के माध्यम से, श्री उमाशंकर राय एवं श्री पुरूषोत्तम राय के विरूद्ध यह शिकायत दर्ज करायी। प्रतिवादी ने कहा कि साक्ष्यों के

अभाव में, आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी और फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आगे की कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

श्री पुरूषोत्तम राय एवं उमाशंकर राय की टिप्पणियाँ

प्रतिवादी, श्री पुरूषोत्तम राय और उमाशंकर राय ने अपनी अदिनांकित संयुक्त टिप्पणियाँ दाखिल कीं। प्रतिवादियों के अनुसार, श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास ने कटरा मऊरानीपुर में श्री कैलाश बरसैया के पिता, श्री बद्रीप्रसाद बरसैया से एक जमीन खरीदी थी और उसकी प्लॉटिंग की थी। श्री उमाशंकर राय (प्रतिवादी) ने भी श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास से एक प्लॉट खरीदा था। प्रतिवादियों ने आगे यह भी बताया कि मानवाधिकार के संपादक, श्री दिलीप सरावगी ने एक कॉलेज के खेल के मैदान पर कब्जा कर उसे बेच दिया और उस पर घर भी बना लिया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा दी गई जानकारी और लेखाकार की जांच रिपोर्ट से की जा सकती है। प्रतिवादियों ने यह भी बताया कि उन्होंने मानवाधिकार के संपादक, श्री दिलीप सरावगी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का विरोध किया था, जिसके कारण उन्होंने शिकायतकर्ता के माध्यम से एक साजिश के तहत यह झूठी और मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि श्री उमाशंकर राय (प्रतिवादी) ने श्री कैलाश बरसैया और अन्य के विरुद्ध दिनांक 5.1.2020 को आईपीसी की धारा 147/352/427/452/504/506 के तहत मामला संख्या 0010/20 और दिनांक 1.9.2020 को आईपीसी की धारा 380/457/506 के तहत मामला संख्या 486/20 दर्ज किया है एवं याचिका क्रमांक 26/2020 उमाशंकर बनाम कैलाश बरसैया और अन्य का मामला न्यायालय में लंबित है। प्रतिवादियों ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने श्री दिलीप सरावगी, श्री कैलाश बरसैया और अन्य लोगों के साथ मिलकर निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल किया, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 18.10.2021 को अपनी प्रति टिप्पणियों में आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी, श्री पुरूषोत्तम राय एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने 50 वर्ष पुराने सरकारी विद्यालय को श्री उमाशंकर राय के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांक 27.12.2021 और 29.12.2021 के माध्यम से सूचित किया कि उस पर प्रतिवादियों, श्री पुरूषोत्तम राय और उमाशंकर राय द्वारा मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि पुलिस द्वारा जांच के नाम पर उसे बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मऊरानीपुर क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी ने खेल के मैदान को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया था और उसी के अनुरूप उसने समाचार प्रकाशित किया था। खबर छपने पर भू-माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उनका आरोप है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है।

श्री पुरूषोत्तम राय से प्राप्त अगला पत्र

श्री पुरूषोत्तम राय, झाँसी, उ.प्र. द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि श्री दिलीप सरावगी ने पत्रकारिता की आड़ में, जमीनों पर कब्जा करने के लिए श्री एकांत श्रीवास, संवाद्दाता, मानव अधिकार जागरूकता, झाँसी (शिकायतकर्ता) को एक फर्जी पत्रकार के रूप में नियुक्त किया है, इसी तरह वह (शिकायतकर्ता), श्री उमाशंकर राय की दुकान पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा है कि श्री एकांत श्रीवास की पत्रकारिता के संबंध में, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत, आवेदन दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, परंतु अभी तक उन्हें उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अत: उन्होंने स्वयं श्री एकान्त श्रीवास के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्रित की, जिससे उन्हें पता चला कि श्री एकान्त श्रीवास के नाम का कोई पत्रकार नहीं है। प्रतिवादी ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा है और उसने भू-माफियाओं के खिलाफ खबरें प्रकाशित कीं, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज की है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा दर्ज़ उत्तर से वह सहमत नहीं है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उप-विभागीय अधिकारी, मऊरानीपुर, उ.प्र. ने श्री उमाशंकर राय और श्री पुरूषोत्तम राय द्वारा भूमि/ खेल के मैदान पर अवैध कब्जा करने पर उनसे लगभग 35/- लाख रुपये का अतिक्रमण हर्जाना मांगा है, जिससे यह साबित होता है कि उक्त लोग भू-माफिया हैं, जो पत्रकारिता की आड़ में अपराध कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने आगे के पत्र/ईमेल दिनांक 23.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी ने श्री उमाशंकर राय द्वारा स्कूल के खेल के मैदान पर अवैध कब्जे पर लगभग

34 लाख रुपये का अतिक्रमण हर्जाना मांगा है। इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी ने श्री उमाशंकर राय के विरूद्ध एफआईआर संख्या 32/2023 एवं 110/2023 दर्ज करायी।

प्रतिवादी, श्री उमाशंकर राय से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी, श्री उमशंकर राय ने अपने पत्र दिनांक 26.6.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस और नगर परिषद की मिलीभगत से, स्कूल के खेल के मैदान की जमीन बेच दी है और अब वह खेल के मैदान के साथ-साथ वह जमीन भी बेच रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है और खारिज किये जाने योग्य है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी से प्राप्त अगला पत्र

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी ने अपने पत्र दिनांक 24.6.2023 द्वारा क्षेत्राधिकारी, मऊरानीपुर, झाँसी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 22.6.2023 की एक प्रति अग्रेषित की है, जिसमें पूर्व उत्तर को दोहराते हुए कहा गया है कि श्री कैलाश बरसैया और प्रतिवादी, श्री उमाशंकर राय तथा श्री पुरूषोत्तम राय के बीच जमीन के संबंध में दुश्मनी है और इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा मामले दर्ज़ किए गए हैं और यह मामले माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। प्रतिवादी ने कहा है कि श्री कैलाश बरसैया ने शिकायतकर्ता के माध्यम से परिषद के समक्ष यह शिकायत दर्ज़ की थी।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 14.12.2022 को और उसके बाद 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री दिलीप कुमार के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, श्री आदित्य कुमार अवस्थी, उप-निरीक्षक, उमाशंकर राय, पुरूषोत्तम राय और राम शंकर राय प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए।

दिनांक 10.10.2020 की शिकायत श्री एकांत श्रीवास, संवाद्दाता मानव अधिकार जागरूकता, हिंदी मासिक द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ उनके कार्यालय में जबरन प्रवेश करने और उसे नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने भू-माफिया के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 और 6 भी पत्रकार हैं। उन्होंने उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने भी अपना जवाब दर्ज़ किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा भी प्रतिक्रियाएँ दर्ज़ की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 6, श्री उमाशंकर राय ने थाना मऊरानीपुर में श्री कैलाश बरसैया व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/452/504/506/427/352 के तहत मुकदमा संख्या 10/2020 और आईपीसी की धारा 457/380/506 के तहत मुकदमा संख्या 486/2020 दर्ज कराया है। वे मामले लंबित हैं। प्रतिवादी संख्या 3, एस.पी. जिला झाँसी द्वारा बताया गया है कि इस कारण से शिकायतकर्ता ने कैलाश बरसैया के कहने पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी संख्या

5 और 6 के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ भूमि विवाद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की पत्नी, श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास ने श्री कैलाश बरसैया के पिता, श्री बद्री प्रसाद बरसैया से जमीन खरीदी थी और प्रतिवादी क्रमांक 6 ने श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास से भी एक भूखंड खरीदा है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा यह भी कहा गया है कि श्री दिलीप सरावगी, संपादक, मानव अधिकार ने एक कॉलेज के खेल के मैदान के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया और उस पर एक घर बनाया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने इसका विरोध किया था, इसलिए यह शिकायत शिकायतकर्ता के माध्यम से दर्ज़ की गई, जो मानव अधिकार जागरूकता का संवाद्दाता है। ऐसे भूमि विवादों का निर्णय, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह परिषद के दायरे से बाहर है। शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों संख्या 5 और 6 को भी सावधान करने की आवश्यकता है कि उन्हें अपने समाचार पत्रों के मंच और पत्रकार के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप करके अपने निजी विवादों को निपटाने के लिए नहीं करना चाहिए। जांच समिति को सूचित किया गया है कि कुछ विवाद सिविल न्यायालय में लंबित हैं। संबंधित न्यायालय लंबित विवादों का निर्णय करेगा। इन परिस्थितियों में, जांच समिति शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को इस बात की चेतावनी कि वे भविष्य में ऐसे अभ्यास में शामिल नहीं होंगे, देने के बाद, परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को चेतावनी देते हुए शिकायत खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस को सुविधाएं

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 6 **फ़ाइल संख्या 13/152/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री खाजा मोइनुद्दीन,
प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिन्द,
अंग्रेजी/उर्दू दैनिक,
हैदराबाद

प्रतिवादी

1. आयुक्त,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना राज्य

2. महानिदेशक,
केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन,
नई दिल्ली

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 18.10.2019 को श्री खाजा मोइनुद्दीन, प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिंद, अंग्रेज़ी/उर्दू दैनिक, हैदराबाद द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना राज्य के खिलाफ विज्ञापन जारी न करने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके अखबार को "सी" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिससे उसे बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार पत्र दिनांक 25.07.2018, 19.02.2019, 29.03.2019 और 18.06.2019 के माध्यम से सूचना आयोग और सीआईपीआर से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि विज्ञापन नहीं मिलने से अखबार के कर्मचारी, रिपोर्टर और कैमरामैन भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अखबार के पैनल में शामिल होने के बाद उन्हें केवल दो विज्ञापन मिले, जो उनके अखबार के लिए ठीक नहीं है और फिर भी, उन्हें अपने कर्मचारियों के सभी भत्ते (चिकित्सा, यात्रा और भोजन) का भुगतान करना पड़ता है। उनका मानना है कि तेलंगाना राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अनुबंध के तहत काम कर रहा है और अन्य लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है, क्योंकि विभाग के कामकाज की जांच करने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अखबार बंद करना होगा और वह सेवाएं जारी नहीं रख पाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले आठ सालों से अब तक उन्हें काफी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विभाग के करीबी संपादकों और इसमें काम करने वाले अधिकारियों के सहयोगियों की मदद कर रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि डीएवीपी विभाग के अधिकारी, उन व्यक्तियों या समाचार पत्रों, जिन्होंने उनके काम में बहुत मेहनत की है, के बजाय अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आयुक्त, सूचना और जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना राज्य और महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, नई दिल्ली को 06.01.2020 को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया गया।

श्री पंकज निगम, मीडिया कार्यकारी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा दर्ज टिप्पणियाँ

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के मीडिया कार्यकारी श्री पंकज निगम ने 19.02.2020 की अपनी टिप्पणियों में प्रस्तुत किया कि कासिद-ए-हिंद, अंग्रेजी, उर्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद,

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के डेटाबेस के अनुसार पैनल में नहीं है। इसलिए मामले में कोई भी टिप्पणी देना संभव नहीं है।

अपर निदेशक (एफएसी), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हैदराबाद द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ

अपर निदेशक (एफएसी), सूचना और जनसंपर्क विभाग, हैदराबाद ने दिनांक 29.02.2020 को अपनी टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कासिद-ए-हिंद, लघु दैनिक समाचारपत्र, हैदराबाद को G.O.s के दिशानिर्देशों / मानदंडों / प्रक्रियाओं के अनुसार, विभाग द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था। इस समाचारपत्र को वर्ष-2018 के दौरान 30/- रूपये की दर पर "सी" श्रेणी के अंतर्गत छोटे समाचारपत्रों में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि G.O.Ms.सं.736 G.A (I&PR.II) विभाग दिनांक 29.12.2010 के अनुसार, पैनल को बुनियादी ढांचे, सामग्री, समाचारपत्र की गुणवत्ता, पृष्ठों, वरिष्ठता और समाचार पत्र के रंग इत्यादि के आधार पर, ए, बी, सी और डी जैसी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। छोटे दैनिक समाचार पत्रों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में कोई विसंगति नहीं है और "ए" श्रेणी की सुविधाओं को अन्य श्रेणियों तक बढ़ाया जाना, जैसा कि शिकायतकर्ता चाहते हैं, व्यवहार्यता नहीं है, उन्होंने आगे बताया कि सूचना और जनसंपर्क विभाग (226) छोटे दैनिक समाचार पत्रों को, (182) पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं को, सूचीबद्ध समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करता है, जब भी सरकार को कल्याणकारी योजनाओं/विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने और योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने व्यवसायिक हित के लिए वह विज्ञापन जारी नहीं करता। प्रतिवादी ने प्रचार के उद्देश्य से, सरकारी निदेश पर, छोटे समाचार पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों का पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विवरण भी दिया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन गोरी, मुख्य ब्यूरो रिपोर्टर के साथ स्वयं उपस्थित था, श्री सैयद एस.ए. हासमी, उप निदेशक एवं सी.एच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क अधिकारी, तेलंगाना सरकार की ओर से उपस्थित थे।

यह शिकायत दिनांक 18.10.2019 को श्री खाजा मोइनुद्दीन, प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिंद, अंग्रेज़ी/उर्दू दैनिक, हैदराबाद द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना राज्य के खिलाफ विज्ञापन जारी न करने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ की गई। शिकायतकर्ता की शिकायत यह है कि उसके अखबार को "सी" श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण उसे भारी नुकसान हुआ है। वास्तव में इसे "बी" श्रेणी में रखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा कई अन्य शिकायतें भी की गई हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि नमस्ते तेलंगाना, मन तेलंगाना, नवा तेलंगाना और तेलंगाना टुडे जैसे कुछ अन्य समाचारपत्रों के साथ अनुकूल व्यवहार किया गया है, जबकि इस तथ्य के बावजूद कि उनका समाचारपत्र सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादियों की ओर से, श्री एस. ए.

हासमी, उप निदेशक और जनसंपर्क अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र, श्री सी.एच. चक्रवर्ती जांच समिति के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। श्री एस. ए. हासमी ने प्रस्तुत किया है कि यह संभव है कि शिकायतकर्ता के समाचार पत्र की श्रेणी बदल सकती है और वह 'बी' श्रेणी में आ सकता है। हालाँकि, जब तक इस मुद्दे पर तेलंगाना सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को तेलंगाना सरकार स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक कोई निश्चित बयान नहीं दिया जा सकता है। श्री हासमी ने जांच समिति को शिकायतकर्ता के समाचार पत्र को जारी विज्ञापनों के लिए भुगतान की गई धनराशि के बारे में कुछ जानकारी भी दी है। श्री हासमी ने कहा है कि सितंबर, 2022 तक का भुगतान कर दिया गया है। हालाँकि, चुनाव आचार संहिता के कारण अक्टूबर, 2022 का भुगतान नहीं किया गया था और नवंबर, 2022 से मई, 2023 तक की अवधि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है। जांच समिति का मानना है कि शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। श्री हासमी का कहना है कि बजट आवंटन होते ही उक्त बकाया राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जायेगा। जून माह में बजट जारी होने की संभावना है। जांच समिति श्री हासमी के बयान को स्वीकार करती है। जहां तक, अन्य शिकायतों का सवाल है, शिकायतकर्ता, विशेष आयुक्त सूचना और जनसंपर्क विभाग, ए.सी. गार्ड्स, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद को विस्तृत अभ्यावेदन दे सकते हैं। जांच समिति का मानना है कि विशेष आयुक्त, गुणदोष के आधार पर इस पर विचार कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता किसी राहत का हकदार है, तो वह उसे इस तथ्य पर विचार करते हुए दी जानी चाहिए कि शिकायतकर्ता का समाचारपत्र एक लघु समाचारपत्र है। लघु समाचार पत्रों का अस्तित्व भी आम जनता के लिए आवश्यक है।

जांच समिति उपनिदेशक, श्री हासमी के बयान को स्वीकार करते हुए, परिषद से शिकायत को उपर्युक्त शर्तों पर समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त शर्तों पर शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 7 **फ़ाइल सं.112/2021-बी/पीसीआई**

शिकायतकर्ता
श्री गौतम जैन,
प्रकाशक, मरुमंच,
बालोतरा, राजस्थान

प्रतिवादी
1. मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

2. मुख्य प्रशासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर

3. प्रशासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर

4. श्री दीपक जी नंदी,
निदेशक स्थानीय निकाय,
जयपुर

5. श्री दलवीरसिंह थड्डा,
उप-निदेशक स्वायत्त,
जोधपुर, राजस्थान।

6. श्री पुरूषोत्तम शर्मा,
प्रबंध निदेशक राजस्थान कॉन्वरसेशन,
सूचना एवं जनसंपर्क
निदेशालय, जयपुर।

7. श्री शिवपाल सिंह
आयुक्त,
नगर परिषद बालोतरा,
जिला बाडमेर, राजस्थान

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 09.04.2021 को श्री गौतम चंद जैन, प्रकाशक, मरुमंच दैनिक, बालोतरा, राजस्थान द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा, राजस्थान के खिलाफ उनके समाचार पत्र को विज्ञापन जारी न करने के आरोप में दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका समाचार पत्र पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार बालोतरा जिला बाडमेर से प्रकाशित होता है। उनका अखबार, केंद्र और राज्य सरकार से विज्ञापन के लिए स्वीकृत है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके समाचार पत्र में नगर परिषद बालोतरा के विज्ञापन, वर्ष 2012 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर

परिषद बालोतरा के आयुक्त, श्री शिवपाल सिंह की पुनः तैनाती के बाद, उनके समाचार पत्र को मिलने वाले विज्ञापनों में कटौती की जा रही है, लेकिन फाइल प्रतियां जिले के बाहर के छोटे समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके अखबार को जानबूझकर विज्ञापन देने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने समय-समय पर कमिश्नर और उनके उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। इससे नाराज होकर, आयुक्त नगर परिषद बालोतरा ने जानबूझकर जिले के स्थानीय समाचार पत्रों की उपेक्षा की और उन्हें विज्ञापनों से वंचित रखा, जो प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे उसे भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि वह राजस्थान सरकार के अधिकारियों को नियमानुसार विज्ञापन देने के लिए आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा को निदेश दे।

प्रतिवादियों को लिखित वक्तव्य हेतु 30.09.2021 को नोटिस जारी किए गए।

आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा दर्ज टिप्पणियाँ

आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा, राजस्थान ने दिनांक 09.11.2021 को अपने उत्तर में कहा है कि निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार, स्वायत्त निकाय की ओर से विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां/आपत्तियाँ, सामान्य-सूचनायेँ, आपत्ति-सूचनायेँ आदि, प्रेस नोट राजस्थान संवाद के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। नगर परिषद की निविदाएं, जिनका भुगतान नगर परिषद स्वयं करती है, उन्हें "राजस्थान संवाद" के माध्यम से प्रकाशन हेतु भेजा जाता है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही "राजस्थान संवाद" के स्तर से की जाती है, जिसमें निकाय की कोई भूमिका नहीं होती है। 90-ए पर नगर परिषद की ओर से जो आपत्तियां "राजस्थान संवाद" के माध्यम से प्रकाशित नहीं की गई, वह आवेदक के अपने स्तर पर समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए दी जाती है तथा इसका भुगतान आवेदक द्वारा स्वयं किया जाता है, न कि शहर परिषद द्वारा।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.01.2022 को अपनी प्रति टिप्पणियों में अपनी शिकायत को दोहराया और आगे कहा कि आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा दर्ज़ जवाब झूठा और गलत है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा भूमि विनियमन मामलों 90-ए/भवन अनुमोदन/कृषि विनियमन/आदि पर कई प्रकार की विज्ञप्तियों पर आपत्तियां हैं। सीधे अपने पसंदीदा समाचार पत्रों को अपने स्तर पर जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं, जिसके लिए नगर परिषद के नियमों के विरूद्ध लाखों रूपये का भुगतान किया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व, श्री शिव पाल सिंह, आयुक्त, नगर निगम, बालोतरा, बाड़मेर द्वारा किया गया।

श्री गौतम चंद जैन, प्रकाशक, मरुमंच दैनिक, बालोतरा, राजस्थान ने मूल रूप से यह शिकायत दर्ज कराई है कि उनके समाचार पत्र को विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह प्रतिवादी की ओर से मनमाना व्यवहार है और इसलिए, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

आज, जांच समिति के समक्ष शिकायतकर्ता, श्री गौतम चंद जैन और प्रतिवादी, श्री शिव पाल सिंह, आयुक्त, नगर परिषद बलतोरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान उपस्थित हैं। इन दोनों ने समिति को बताया है कि मामले में समझौता हो गया है। बैठक में एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ-साथ श्री शिव पाल सिंह द्वारा समझौता दर्ज और हस्ताक्षरित है। इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है और इसे 'X' अंकित किया जाता है। इस पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता समझौते के मद्देनजर, इस मामले को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे आश्वासन दिया गया है कि नियमानुसार उसके अखबार को विज्ञापन जारी किये जायेंगे। श्री शिव पाल सिंह ने दोहराया कि शिकायतकर्ता को नियमानुसार विज्ञापन जारी किये जायेंगे। इस कथन को जांच समिति ने स्वीकार कर लिया है।

इसे देखते हुए, जांच समिति परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है, क्योंकि इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और समझौता हो जाने के कारण मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

स्व-प्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 8 **फ़ाइल सं. 150/स्व-प्रेरणा/2020-बी**

जम्मू-कश्मीर सरकार की मीडिया नीति-2020 के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान-फर्जी (Fake) समाचार संबंधी प्रावधान

तथ्य

समाचार रिपोर्टों के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में यह आया है कि 2 जून, 2020 को जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा घोषित नई मीडिया नीति, उसे यह तय करने की शक्ति देती है कि कौनसा समाचार "फर्जी", "नीति विरुद्ध" या "राष्ट्र विरोधी" है तथा संबंधित पत्रकार या मीडिया

संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जिसमें सरकारी विज्ञापनों को रोकना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करना शामिल है। नई नीति के तहत, किसी पत्रकार को मान्यता देने से पहले सुरक्षा मंजूरी के अलावा, सरकारी विज्ञापनों के लिए पैनल में शामिल करने से पहले समाचारपत्र प्रकाशकों, संपादकों और प्रमुख कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य कर दी गई है। नई मीडिया नीति के अनुसार, सरकार, अखबारों और अन्य मीडिया चैनलों में प्रकाशित सामग्री की निगरानी करेगी और यह तय करेगी कि फर्जी समाचार, असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी रिपोर्टिंग कौन सी है। आगे यह भी बताया गया है कि नई मीडिया नीति के अनुसार, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, फर्जी समाचार, चौर-लेखन और नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के अन्य रूपों की सामग्री की जांच करेगा और फर्जी समाचार या नफरत फैलाने वाली या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरों पर आईपीसी और साइबर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया है कि भारत के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया (आरएनआई) द्वारा किसी भी समाचारपत्र को पंजीकरण जारी करने से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, जहां सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं सूचना सचिव, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, ने, बार-बार प्रयास किये जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।

दिनांक 16.6.2020 को मुख्य सचिव और सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किये गये थे।

जम्मू-कश्मीर के अपर स्थायी वकील, श्री जी एम कावूसा द्वारा दर्ज़ उत्तर

जम्मू-कश्मीर के अपर स्थायी परामर्शदाता, श्री जी एम कावूसा ने दिनांक 22.2.2021 के जवाब में कहा कि 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रचलित विभिन्न कानूनों को निरस्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया था। तदनुसार, प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 61/8/2020 दिनांक 29.4.2020 के अनुसरण में, दिनांक 15.5.2020 के सरकारी आदेश संख्या 05-जेके (आईडी) 2020 के माध्यम से नई मीडिया नीति 2020 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मीडिया नीति, मीडिया के स्वतंत्र कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसके विपरीत, मीडिया के स्वतंत्र कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए नीति में पर्याप्त प्रावधान और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। वास्तव में, मान्यता और पैनल में शामिल करना/पैनल से हटाना जैसे मुद्दों पर, कई प्रकार की जांच और संतुलन के साथ एक पूर्ण विस्तृत प्रक्रिया का पर्याप्त प्रावधान है।

यह मामला 24.2.2021 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया और इसने "सामग्री/फर्जी समाचार/चौर लेखन/सांप्रदायिक संवेदनशील मामले की प्रामाणिकता" शीर्षक के तहत दिनांक

15.5.2020 के आदेश द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा बनाई गई मीडिया नीति पर गौर किया। जोकि निम्नानुसार पठनीय है:-

"डीआईपीआर फर्जी समाचार, चौर लेखन और नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के अन्य रूपों की सामग्री की जांच करेगा। फर्जी समाचार, नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों या चौर लेखन में लिप्त, किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के अलावा, उसे पैनल से भी हटा दिया जाएगा। किसी भी ऐसे मीडिया को विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे, जो हिंसा भड़काते हों या भड़काने की प्रवृत्ति रखते हों, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाते हों या सार्वजनिक शालीनता और व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करते हों। किसी भी फर्जी समाचार या नफरत फैलाने वाली या सां_ प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी समाचार के खिलाफ आईपीसी/साइबर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपर्युक्त की निगरानी और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, डीआईपीआर द्वारा विशिष्ट टीओआर (संदर्भ हेतु शब्द प्रणाली) के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा।

ऐसे सभी मामलों के संबंध में, जिनमें फर्जी समाचार या असामाजिक, सांप्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी सामग्री वाली खबरें शामिल हों, कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् डीआईपीआर, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उपयुक्त समन्वय और सूचना साझाकरण तंत्र भी स्थापित करेगा।

परिषद की प्रथम दृष्ट्या राय है कि इसमें भारत के संरचना के अनुच्छेद 19 के तहत, प्रेस को मिले अधिकार को प्रभावित करने की क्षमता है।

जांच समिति ने जम्मू-कश्मीर सरकार को विशेष रूप से नीति का औचित्य बताते हुए जवाब दर्ज़ करने का निदेश दिया।

<u>सुश्री विदुषी कपूर, उप निदेशक, सूचना, कश्मीर सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दर्ज़ उत्तर</u>

सुश्री विदुषी कपूर, उप निदेशक, सूचना, कश्मीर सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ने अदिनांकित और अहस्ताक्षरित उत्तर के माध्यम से, जम्मू और कश्मीर सरकार की मीडिया नीति-2020 के संबंध में, जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए और उनकी ओर से, अन्य उत्तर/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। बिंदुवार उत्तर इस प्रकार है:-

1) जम्मू और कश्मीर में मीडिया नीति को पहली बार विज्ञापन नीति के नाम से सरकारी आदेश संख्या 53-आईडी 1996 दिनांक 26.07.1996 द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति को 2016 के सरकारी आदेश संख्या 09-आईडी दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से, पुनः विज्ञापन नीति 2016 के रूप में संशोधित किया गया था। 1996 में शुरुआत से ही इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

2) वर्तमान परिदृश्य में, मीडिया, विविध माध्यमों और उपकरणों के माध्यम से, जीवंत और आसानी से सुलभ हो गया है। वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक बहुआयामी और व्यापक नीति की आवश्यकता महसूस की गई, जो सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों सहित सूचना के प्रसार के सभी क्षेत्रों को कवर कर सके। इसके अलावा, 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद, पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में प्रचलित, विभिन्न कानूनों को निरस्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था। इन परिस्थितियों में, वर्तमान परिदृश्य में सभी मुद्दों से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक संशोधित मीडिया नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, विशेष रूप से हमारी सीमाओं के पास से निरंतर जारी की जा रहीं छद्म, प्रचार और सूचना युद्ध के परिप्रेक्ष्य में।

3) तदनुसार, व्यापक एवं विस्तृत चर्चा के बाद, प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 61/8/2020 दिनांक 29.04.2020 के अनुसरण में, दिनांक 15.05.2020 के सरकारी आदेश संख्या 05-जेके (आईडी) 2020 के माध्यम से, नई मीडिया नीति 2020 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। संशोधित मीडिया नीति 2020 एक व्यापक नीति है, जिसका उद्देश्य न केवल विविध मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि मीडिया द्वारा दर्शायी गई लोगों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास करना है।

4) पूरी नीति में, लोगों की शिकायतों, मीडिया में उजागर किये गये सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने पर जोर दिया गया है और इसे न केवल सरकार के ध्यान में लाने की जरूरत है, बल्कि उचित सरकारी कार्रवाई के माध्यम से इसका समाधान भी किया जाना चाहिए।

5) इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की नई मीडिया नीति को व्यापक स्तर पर अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय स्तर पर समान नीतियों के दिशानिर्देश के आधार पर तैयार किया गया है और नीति में स्वतंत्र मीडिया के हितों और विकास के लिए हानिकारक कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, मौजूदा कानून और व्यवस्था की अजीब स्थिति और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की लगातार धमकियों को देखते हुए, समुचित जांच और संतुलन के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

6) अब इस तथ्य पर आदरपूर्वक ध्यान आकर्षित किया जाता है कि, **मीडिया नीति 2020 के अनुसार**, "उपर्युक्त की निगरानी और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, डीआईपीआर द्वारा विशिष्ट टीओआर (संदर्भ हेतु शब्द प्रणाली) के साथ **एक उपयुक्त तंत्र** स्थापित किया जाएगा।" इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नीति के अनुसार, मनमाने तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी, बल्कि एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना था, जो नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए भावी मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा टीओआर भी तैयार किये जाने थे।

7) कोविड-19 के कारण हुई गड़बड़ी सहित कई कारकों के कारण, उपर्युक्त तंत्र और तदनुरूप विचारार्थ विषय अब तक तैयार और प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, एक उपयुक्त तंत्र के गठन का प्रस्ताव करते हुए, सरकार में सक्षम प्राधिकारी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संरचना वाली एक तटस्थ समिति का गठन शामिल था:

1.	भारतीय प्रेस परिषद में से एक प्रतिष्ठित पत्रकार	**अध्यक्ष**
2.	जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार	**सदस्य**
3.	डीआईपीआर का एक प्रतिनिधि	**सदस्य सचिव**

उन्होंने विवेचित किया है कि आगे यह सुझाव दिया गया था कि समिति द्वारा मामले की जांच और उसकी रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति 27.04.2021 को प्राप्त हो गयी है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उपर्युक्त अनुमोदन के मद्देनजर, फर्जी समाचार, चौर लेखन या किसी अन्य अनियमितता के लिए, किसी भी मीडिया की सामग्री की जांच करने के लिए एक उपयुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति निर्धारित की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि समिति में प्रतिष्ठित पत्रकार शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक जम्मू-कश्मीर का प्रतिष्ठित पत्रकार होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, अब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित पत्रकार शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक जम्मू-कश्मीर से होगा, जो फर्जी समाचार, चौर लेखन या ऐसी किसी अन्य चीज़ के लिए किसी भी समाचार की सामग्री की स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच करेगा।

जांच समिति को 21.9.2022 को हुई अपनी बैठक में यह जानकर खुशी हुई कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एक तटस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

जांच समिति की राय थी कि इस तटस्थ समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए तथा इसका निर्णय भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद लिया जाना चाहिए। जांच समिति जानना चाहती थी कि यह तटस्थ समिति कैसे कार्य करेगी और किस स्तर पर हस्तक्षेप करेगी। जांच समिति को सूचित किया गया कि फर्जी खबरों में शामिल किसी भी व्यक्ति या ग्रुप का डी-इम्पैनलमेंट, नवगठित तटस्थ समिति से परामर्श करने के बाद किया जाएगा।

समिति इस तटस्थ समिति की स्थिति और इसके कार्य करने के तरीके के बारे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से एक निश्चित वक्तव्य चाहती है। प्रत्यायन समिति के गठन पर भी निदेश प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को स्थगित कर दिया गया।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार से प्राप्त अगला पत्र

श्री दीन मोहम्मद, उप सचिव, सूचना विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने तटस्थ समिति का गठन कर लिया है। इसकी संरचना इस प्रकार है:-

1.	जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार (अर्थात् श्री नीरज रोमेत्रा, कार्यकारी संपादक, डेली एक्सेलसियर, जम्मू)	सदस्य
2.	डीआईपीआर के एक प्रतिनिधि (उप निदेशक सूचना (पीआर), निदेशालय	सदस्य सचिव

उन्होंने परिषद से उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने वाले सदस्य का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है, ताकि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द से जल्द जारी किए जा सकें।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुश्री सुप्रिया कोहली, उप निदेशक, केबीआई, अधिवक्ता, श्री अभिषेक सिसौदिया के साथ उपस्थित थीं।

दिनांक 24.02.2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार (जे & के सरकार) की मीडिया नीति, 2020 के संबंध में, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया गया। जांच समिति ने आदेश पारित किया, जिसमें उसने व्यक्त किया कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा महसूस होता है कि मीडिया नीति, 2020 में भारत के संरचना के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को मिले अधिकार को प्रभावित करने की क्षमता है। इसके बाद जवाब दर्ज़ करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अपर स्थायी परामर्शदाता श्री जी.एम. कावूसा द्वारा समय मांगा गया। जवाब दर्ज़ किया गया और एक तटस्थ समिति गठित करने के सरकार के निर्णय से प्रेस परिषद को अवगत कराया गया। तटस्थ समिति में तीन व्यक्ति शामिल होने थे, अर्थात् भारतीय प्रेस परिषद से एक प्रतिष्ठित पत्रकार, जम्मू-कश्मीर से एक प्रतिष्ठित पत्रकार और उप निदेशक (सूचना) का एक प्रतिनिधि। जम्मू-कश्मीर सरकार के उप सचिव श्री दीन मोहम्मद का एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने तटस्थ समिति का गठन किया है। इसका संरचना इस प्रकार है:-

1.	जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार (अर्थात् श्री नीरज रोमेत्रा, कार्यकारी संपादक, डेली एक्सेलसियर, जम्मू)	सदस्य
2.	डीआईपीआर के एक प्रतिनिधि (उप निदेशक सूचना (पीआर), निदेशालय	सदस्य सचिव

यह अनुरोध किया गया है कि उक्त समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने वाले सदस्य का विवरण प्रेस परिषद द्वारा अग्रेषित किया जाए। जांच समिति का मानना है कि पूरे मामले पर विचार करने के बाद प्रेस परिषद के अध्यक्ष द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर सरकार को भेजा जाएगा, जो समिति का अध्यक्ष हो सकता है। चूंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने आवश्यक कार्रवाई कर ली है, इसलिए जांच समिति परिषद से मामले को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 9 **फ़ा.सं. एसएम/अप्रैल/02/2021-बी-पीसीआई**

प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार एवं तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष, श्री पराग भुयान की मृत्यु के संबंध में लिया स्व-प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार और तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष, श्री पराग भुयान की मृत्यु के संबंध में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्टस (आईएफजे) की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट पर गौर किया।

आईएफजे की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि असम प्रांत में श्री पराग भुयान अपने घर के पास एक राजमार्ग पर चलते समय उस समय बुरी तरह घायल हो गए, जब एक वाहन ने उन्हें और उनके साथी पत्रकार को पीछे से टक्कर मार दी। श्री भुयान 15 फुट हवा में उछल गये, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और अगले दिन एक नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हो गई।

एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 12 नवंबर, 2020 को पुलिस ने ड्राइवर, चाय पत्ती के वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टर और उसके सहायक को गिरफ्तार किया और उनकी कार जब्त कर ली। स्थानीय आउटलेट

INSIDENE में प्रकाशित एक वक्तव्य में, चैनल के प्रधान संपादक, नितुमोनी सैकिया ने कहा कि उन्हें संदेह है कि संभवतः भ्रष्टाचार पर उनकी रिपोर्टिंग के प्रतिशोध में पत्रकार की हत्या की गई थी।

तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक, श्री शिलादित्य चेतिया ने कहा है कि यह एक दुर्घटना प्रतीत होती है और ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को देखने के बाद उसने अनजाने में पत्रकार पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, भुयान के भाई श्री जगदीश भुयान, पूर्व राज्य मंत्री, ने दावा किया कि पत्रकार की हत्या उनके काम से संबंधित थी, इसे "पत्रकारिता की हत्या" कहा गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई को खतरा था, और कुछ लोगों ने गाय, कोयला और लकड़ी की तस्करी में उनके भाई की जांच को रोकने के लिए भी उनसे संपर्क किया था, मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्विटर पर घोषणा की, कि असम पुलिस का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) तिनसुकिया स्थानीय पुलिस से जांच अपने हाथ में लेगा। प्रतिदिन टाइम्स के अनुसार, 13 नवंबर को सीआईडी अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए तिनसुकिया गए। तालुकदार ने बताया कि उन्हें जल्द ही सीआईडी जांच के नतीजे आने की उम्मीद है।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 09.04.2021 को मुख्य सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, असम सरकार और पुलिस महानिदेशक, असम को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस जारी किया और इसके बाद एक अनुस्मारक दिनांकित 14.06.2021 भी भेजा है।

<u>असम सरकार के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा दर्ज़ उत्तर</u>

असम सरकार के संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग, दिसपुर ने दिनांक 08.07.2021 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रभारी अधिकारी, काकोपाथर पुलिस स्टेशन, जिला तिनसुकिया, असम ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से सूचित किया कि 11.11. 2020 को रात्रि लगभग 8.15 बजे, श्री पराग भुयान को पंजीकरण संख्या एएस-23-एसी-7881 वाले एक डीआई वाहन ने टक्कर मार दी और उन्हें गंभीर चोंटे लगी और उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए डी.सी. बोरा नर्सिंग होम, रुपई में भेज कर दिया गया, लेकिन उक्त नर्सिंग होम के डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एएमसीएच, डिब्रूगढ़ रेफर कर दिया। उन्होंने कहा है कि 12.11.2020 को लगभग 9.35 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में, 12.11.2020 को मामला संख्या 50/2020 यू/एस 120 (बी)/302 आईपीसी दर्ज किया गया था और तदनुसार उक्त वाहन के चालक, श्री बाबा बोरदोलोई और श्री जेम्स मुरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत, साथ ही उक्त संबंधित वाहन को नामसाई पुलिस स्टेशन, (एपी) से जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मेमो नंबर जी/VI/TSK/2020/06 दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से मामला सीआईडी, असम, गुवाहाटी को सौंप दिया गया था और मामले के आई.ओ. ने मामले की मूल डायरीयां और सभी संबंधित दस्ता_ वेजों को सीआईडी, असम, गुवाहाटी को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जांच के बाद

काकोपाथर पी.एस. द्वारा सी.एस. के रूप में सी/नंबर 04/2021 दिनांक 15.03.2021 आईपीसी की धारा 279/304(ए) के तहत प्रस्तुत किया गया था और इसे 08.04.2021 को माननीय तिनसुकिया न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के संयुक्त सचिव ने अपने अगले पत्र दिनांकित 06.01.2023 के माध्यम से श्री हरि चरण पाठक, एपीएस, उप-पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, असम, गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.01.2023 की रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि काकोपाथर पी.एस. मामला सं. 50/2020-धारा 120/(बी)/302-आईपीसी के तहत काकोपाथा, पुलिस स्टेशन से सीआईडी, असम, गुवाहाटी को जांच के लिए सौंप दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, सीआईडी, श्री प्रदीप कुमार ने की थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जांच पूरी होने पर, चालक, श्री जमशमुराह, पुत्र श्री कामिल मुराह, सामागुरी, पीएस नामसाई, जिला नामसाई, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ धारा 279/304ए-आईपीसी दिनांक 15.03.2021 के तहत काकोपाथर पुलिस स्टेशन द्वारा आरोप पत्र संख्या 04/2021 दर्ज़ किया गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मामला काकोपाथर पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिनसुकिया को जांच के लिए भेजा गया था।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री अमृत भुयान, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, पुलिस महानिदेशक, असम पुलिस की ओर से उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार और तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष, श्री पराग भुयान की मृत्यु के संबंध में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, श्री पराग भुयान उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए, जब असम में उनके घर के पास एक राजमार्ग पर एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। श्री पराग भुयान को गंभीर चोट लगी और एक नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चालक, चायपत्ती के वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टर और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार जब्त कर ली। एक चैनल के संपादक ने बताया कि उनकी हत्या हुई है।

श्री पराग भुयान के भाई, श्री जगदीश भुयान, पूर्व राज्य मंत्री ने दावा किया कि पत्रकार की हत्या का संबंध उनके काम से था। उनके अनुसार, उनका भाई गाय, कोयला और लकड़ी तस्करी की जांच कर रहा था और इसलिए, ऐसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग का प्रतिशोध लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्विटर पर घोषणा की,

कि असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को तिनसुकिया स्थानीय पुलिस से जांच का जिम्मा लेना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि तदनुसार, सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

श्री अमृत भुयान, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तिनसुकिया, जांच समिति के समक्ष असम के डीजीपी की ओर से उपस्थित हो रहे हैं। सीआईडी की दिनांक 21.01.2023 की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री पराग भुयान की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। पुलिस ने चालक श्री जमश मुराह के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/304 (ए) के तहत चार्जशीट दर्ज़ की।

इस रिपोर्ट के मद्देनजर, जांच समिति की राय है कि श्री पराग भुयान के मामले में कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी और इसलिए, जांच समिति परिषद को सीआईडी रिपोर्ट को स्वीकार करने और मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 10 **फ़ा.सं.एसएम/सितंबर/01/2022-बी-पीसीआई**

ओडिशा में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: संज्ञान

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने स्वत: संज्ञान लिया, जब भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई कि जब मीडियाकर्मियों का एक दल जानकारी एकत्र करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, तो अपर पुलिस अधीक्षक, श्री जयकृष्ण बेहरा ने मीडियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर बहुत ही अमानवीय तरीके से कठोर प्लास्टिक पाइप से हमला किया और इस तरह की जघन्य कार्रवाई के कारण तीन पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य भी प्रभावित हुए। उन्होंने आगे बताया कि ओडिशा में इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 21.09.2022 को ओडिशा सरकार को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किया।

अपर पुलिस महानिदेशक (एल एंड ओ), ओडिशा, कटक द्वारा दर्ज़ उत्तर

अपर पुलिस महानिदेशक (एल एंड ओ), ओडिशा, कटक ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर से कराई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था कि सुश्री कुतुबन निशा, जो बारगढ़ जिले के मुस्लिम समुदाय से संबन्धित हैं, अपने पहले पति और बच्चे को बारगढ़ में छोड़ने के बाद, श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के साथ रह रही थी, जोकि नवरंगपुर जिले के पापदाहांडी पुलिस स्टेशन के सतनामी साही के अंतर्गत है। इस संबंध में एस.के. बसीम राजा, जो उसका वैध पति है, द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के पिता ने स्थानीय पुलिस को अपनी बहू के कथित अपहरण की सूचना दी, तो पापदाहांडी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने वाहन को तुरंत रोकने के लिए मैदलपुर चौकी को सूचित किया। इसके बाद, श्री सिबाजी प्रसाद पांडा, उप-निरीक्षक ने आईआईसी पापदाहांडी पी.एस. को सूचित किया और अपर पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर से टेलीफोन पर बात की। जब श्री पांडा, एस.आई. मैदलपुर चौकी पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि सुश्री कुतुबन निशा को उसके परिवार के सदस्य उसकी इच्छा, सहमति और बार-बार विरोध के विरुद्ध ले जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वह बारगढ़ जा ने की इच्छुक नहीं थी और श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के साथ रहने की इच्छुक थी। फिर श्री पांडा, एसआई ने एक वाहन की व्यवस्था की और उसे वापस पापदाहांडी पुलिस स्टेशन ले आए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ देर बाद मामले की जांच करने के लिए एसडीपीओ, पापड़ाहांडी, श्री आदित्य सेन और श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर पुलिस अधीक्षक, पापड़ाहांडी, पुलिस स्टेशन पापड़ाहांडी पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब अपर एसपी, श्री बेहरा ने सुश्री कुतुबन निशा को उनके मुखर इनकार के बावजूद बारगढ़ वापस भेजने का फैसला किया। श्री बेहरा ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए श्री आदित्य सेन, एस.डी.पी.ओ., और इंस्पेक्टर श्री रामेश्वर प्रधान को अनुमति देने से इनकार कर दिया और एकतरफा निर्णय लिया और रिजर्व कार्यालय, नबरंगपुर से एक वाहन के साथ एस्कॉर्ट पार्टी की व्यवस्था की और एस्कॉर्ट पार्टी को किसी भी कीमत पर सुश्री कुतुबन निशा को बारगढ़ ले जाने का निदेश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी दौरान, स्थानीय मीडियाकर्मी. श्री सुमित कुमार घंटा (आर्गस न्यूज़ प्रतिनिधि), श्री प्रबीन कुमार सतनामी (सकल खबर रिपोर्टर) और श्री ओम प्रकाश करम चंद दास (प्रगतिवादी रिपोर्टर) ने अपर पुलिस अधीक्षक, पापदाहांडी से अनुरोध किया कि सुश्री कुतुबन निशा को बारगढ़ जाने के लिए मजबूर न किया जाए, क्योंकि वह बालिग है। इस पर श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर एसपी नाराज हो गए और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब मीडियाकर्मियों ने अपर पुलिस अधीक्षक,

पापदाहांडी के अपमानजनक व्यवहार की तस्वीरें और वीडियो ली, तो वह अचानक भड़क गए और एक प्लास्टिक पाइप से तीन मीडियाकर्मियों के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस स्थिति की वीडियोग्राफी कर रहे मीडियाकर्मियों से मोबाइल फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर के हस्तक्षेप के कारण, एस्कॉर्ट पार्टी, सुश्री कुतुबन निशा के साथ वापस पापदाहांडी लौट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है और श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर एसपी, नबरंगपुर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की गई है और उन्हें नबरंगपुर जिले से स्थानांतरित कर अपर, एसपी संचार, ओडिशा, कटक नियुक्त किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), ओडिशा पुलिस का अगला उत्तर

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), ओडिशा पुलिस, कटक ने अपने पत्र/ईमेल दिनांक 23.6.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई है। श्री जे.के. बेहरा, अपर पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर को पहले ही नबरंगपुर जिले से स्थानांतरित कर दिया गया है और अधिसूचना संख्या 2181/ओपी दिनांक 21.8.2022 के माध्यम से, राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। आगे कहा गया है कि उन्हें पत्रांक संख्या 1575/ई दिनांक 21.9.2022 के तहत, नबरंगपुर जिले से कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और गृह विभाग ज्ञापन संख्या 243/एसपीएस दिनांक 2.1.2023 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सरकार की ओर से नबारामपुर के पुलिस उपाधीक्षक, डॉ. चंद्र शेखर होट्टा उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद ने स्वत: संज्ञान लिया, जब भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई कि जब मीडियाकर्मियों का एक दल जानकारी एकत्र करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, तो अपर पुलिस अधीक्षक, श्री जयकृष्ण बेहरा ने मी-डियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर बहुत ही अमानवीय तरीके से कठोर प्लास्टिक पाइप से हमला किया और इस तरह की जघन्य कार्रवाई के कारण तीन पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य भी प्रभावित हुए।

आज जांच समिति के सामने नबारामपुर के डीएसपी, डॉ. चंद्र शेखर होट्टा मौजूद हैं। वह ओडिशा के राज्य और वहां के पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने हमारे संज्ञान में लाया है कि इस घटना के बाद ओडिशा सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है।

मामले की जांच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (श्री वरुण गुंटुपल्ली, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, कोरापुट) द्वारा की गई और श्री जे.के. बेहरा, अपर एसपी, नबरंगपुर को पहले ही नबरंगपुर जिले से स्थानांतरित कर दिया गया है और अधिसूचना संख्या 2181/ओपी दिनांक 21.08.2022 के तहत उन्हें राज्य पुलिस मुख्यालय, कटक में तैनात किया गया है। उन्हें पहले ही पत्र संख्या 1575/ई दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से नबरंगपुर जिले से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

इसके अलावा ओडिशा सरकार ने गृह विभाग ज्ञापन संख्या 243/एसपीएस दिनांक 02.01.2023 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। ओडिशा सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई को देखते हुए, इस स्वत: संज्ञान कार्यवाही को लंबित रखना आवश्यक नहीं है। जांच समिति ने ओडिशा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी संतुष्टि दर्ज की। जांच समिति परिषद को स्वत: संज्ञान कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और ओडिशा सरकार द्वारा की गई संतोषजनक कार्रवाई के मद्देनजर, स्वत: संज्ञान कार्यवाही को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 11 **फ़ाइल संख्या 120/2020-बी-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री चन्द्र विजय,
पत्रकार,
रियल न्यूज़, हिन्दी दैनिक,
हरदोई (उ.प्र.)।

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
   उत्तर प्रदेश सरकार
   लखनऊ (उ.प्र.)।

2. सचिव,
   गृह (पुलिस) विभाग,
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ (उ.प्र.)।

3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ (उ.प्र.)।

4. पुलिस अधीक्षक,
हरदोई (उ.प्र.)।

5. श्री राय सिंह यादव,
इंस्पेक्टर,
पुलिस स्टेशन टडियावा,
हरदोई (उ.प्र.)।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 25.4.2020 को श्री चंद्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, हरदोई (यूपी) द्वारा श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन टडियावा, हरदोई के खिलाफ कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज कराई गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, तत्कालीन इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह यादव के आदेश पर दिनांक 4.4.2020 को मुकदमा संख्या 176/20 दर्ज किया गया था और सीसीटीवी फुटेज और मामले की सत्यता की जांच करने के बाद, उन्होंने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 5.4.2020 में "**हरदोई के थाना कछौना के रुकरी गांव के शराब कांड में पुलिस की भूमिका अतिसंदिग्ध**" शीर्षक के तहत प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसे प्रतिवादी-इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह यादव द्वारा 9.4.2020 और 10.4.2020 को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद प्रतिवादी इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह यादव दिनांक 11.4.2020 को उनके कार्यालय आये और उनसे खंडन प्रकाशित करने का आग्रह करने लगे तथा अधिकारियों के समक्ष उनसे बयान बदलने का भी अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी, श्री राय सिंह यादव ने उसे रिश वत की भी पेशकश की और इनकार करने पर प्रतिवादी ने घातक धमकियां दीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में झूठी और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्डिंग की सीडी उपलब्ध कराई है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए परिषद से दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है

प्रतिवादियों को 19.5.2021 को उत्तर हेतु वक्तव्य के लिए नोटिस जारी किए गए।

श्री राय सिंह, इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी, श्री राय सिंह, इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस उत्तर प्रदेश ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि यह शिकायत निराधार, मनगढ़ंत और सच्चाई से परे है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि 4.4.2020 को दीपू उर्फ सविता तथा सुनील शर्मा के विरूद्ध थाना कछौना, हरदोई में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 तथा आईपीसी की धारा 188/419/420/467/468 के तहत मुकदमा संख्या 176/2020 दर्ज किया गया और अभियुक्तों को जेल भेजा गया। इसके बाद जैसे ही उक्त मामले की जांच शुरू हुई तो शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर पुलिस को बदनाम करना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ कई शिकायतें उच्च अधिकारियों को भी भेजीं। प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गयी, परन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो सके। प्रतिवादी ने आगे बताया कि सीडी को सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जा सकती है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि भारत समाचार चैनल के पत्रकार, श्री मनोज तिवारी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर, हरदोई में आईपीसी की धारा 500/506 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा संख्या 232/2020 दर्ज किया है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता पहले एक सरकारी शराब की दुकान में काम कर चुका है और उसके शराब माफिया से संबंध हैं। पूर्व में भी शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी ने धमकी के संबंध में साक्ष्य पेश करने को कहा था, लेकिन उसने साक्ष्य नहीं दिये। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ समाचार प्रकाशित न करने के लिए उससे पैसे की मांग की और इनकार करने पर शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठी खबरें प्रकाशित करना और उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 10.3.2022 को अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य झूठा और मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी 4.4.2020 को सुनील की दुकान पर आया और कोविड-19 के दौरान, उसकी दुकान पर देशी शराब रखकर सुनील और दीपू को झूठे मामले में फंसाया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर, उसने प्रमुखता से समाचार प्रसारित किया, जिसके कारण प्रतिवादी उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण भावना रखता था। शिकायतकर्ता के अनुसार, एक पत्रकार द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में जांच के दौरान अपराध साबित नहीं हो सका और मामले की अंतिम रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने दोहराया है कि प्रतिवादी ने आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण ही उसे धमकी दी थी।

पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, हरदोई ने दिनांक 13.12.2022 को अपने उत्तर में प्रस्तुत किया कि पुलिस थाना कछौना,हरदोई द्वारा दीपू उर्फ सविता व सुनील शर्मा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 और आईपीसी की धारा 188/419/420/467/468 के तहत मामला संख्या 176/2020 दर्ज किया गया था और छानबीन के बाद चार्जशीट संख्या 376 दिनांक 22.8.2020 की गई। प्रतिवादी ने आगे कहा कि जब उपर्युक्त मामला, शिकायतकर्ता द्वारा सोशल मीडिया और समाचारपत्रों के माध्यम से उठाया गया, तो श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता को उपर्युक्त मामला उठाने से रोकने की कोशिश करने का दोषी पाया गया और उन्हें अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन न करने का भी दोषी पाया गया था, इसलिए श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर, श्री राजवंत सिंह, उप-इंस्पेक्टर, श्री राकेश कुमार राय, उप-इंस्पेक्टर और श्री जयकरन कुशवाह, सतीश मौर्य, राजकुमार, कांस्टेबलों को आदेश संख्या 101 दिनांक 12.3.2022 द्वारा दंडित (उनकी परिनिंदा) किया गया।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 15.2.2023 में कहा कि प्राधिकारियों ने छह पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए केवल परिनिंदा दर्ज करने जैसी औपचारिक कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने जान से मारने की धमकी के संबंध में, प्रतिवादी, श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.2.2023 के माध्यम से अपने जीवन को खतरे की आशंका जताते हुए कहा है कि उसने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा इसे जारी नहीं किया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 15.12.2022 को और उसके बाद 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, पुलिस अधीक्षक, हरदोई की ओर से श्री गंगा प्रसाद यादव, इंस्पेक्टर, उपस्थित हुए और श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

यह शिकायत दिनांक 25.4.2020 को श्री चंद्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, हरदोई (यूपी) द्वारा (1) मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार, लखनऊ (2) सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ, (3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, (4) पुलिस अधीक्षक, हरदोई (उ.प्र.) (5) श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर, थाना तड़ियावाड़ा, हरदोई (उ.प्र.) के खिलाफ दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता का तर्क है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर श्री राय सिंह यादव के आदेश पर 4.4.2020 को मामला संख्या 176/2020 दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और मामले की सत्यता की जांच

करने के बाद, शिकायतकर्ता ने अपने अखबार के दिनांक 5.4.2020 के अंक में "हरदोई के थाना कछौना के टिकारी गांव के शराब प्रकरण में पुलिस की भूमिका अतिसंदिग्ध" शीर्षक के तहत प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी वजह से पुलिस ने उसे बुलाया और खंडन प्रकाशित करने को कहा और अधिकारियों के सामने अपना बयान बदलने का भी अनुरोध किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए पुलिस ने जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उसे अपनी जान को खतरा होने की आशंका है।

प्रतिवादी संख्या 5 (श्री राय सिंह, यादव, इंस्पेक्टर) एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज़ किये गये हैं। संक्षेप में पुलिस द्वारा बताया गया है कि जांच के बाद मामला संख्या 176/2020 सही मायने में दर्ज पाया गया और उस मामले में चार्जशीट दर्ज़ की गई। हालांकि, पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि जब शिकायतकर्ता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला संख्या 176/2020 को गलत तरीके से दर्ज किये जाने का मामला उठा रहा था, तब, श्री राय सिंह यादव, इंस्पेक्टर, श्री राजवंत सिंह, उप-इंस्पेक्टर, श्री राकेश कुमार राय, उप-इंस्पेक्टर और श्री जयकरन कुशवाहा, सतीश मौर्य, राजकुमार, कांस्टेबलों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। वे उन्हें इस मुद्दे को उठाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उक्त व्यक्तियों को दंडित किया गया है। आदेश क्रमांक 101 दिनांक 12.3.2022 द्वारा उनकी परिनिंदा की गई है।

आज शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, लेकिन चूंकि पुलिस के व्यवहार के बारे में उसकी शिकायत का निवारण हो गया है, इसलिए जांच समिति को लगता है कि शिकायत को समाप्त किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को अपनी जान को खतरा होने की आशंका है। उन्होंने आशंका जताई है कि पुलिस उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अपराध शाखा हरदोई से संबद्ध इंस्पेक्टर, श्री गंगा प्रसाद जांच समिति के समक्ष उपस्थित हैं। जांच समिति उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निदेश देती है कि शिकायतकर्ता को नुकसान न पहुंचे। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता को अपनी जान को खतरा होने की आशंका है, तो वह सुरक्षा के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता के नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंस को उसके नाम पर नहीं किया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा शस्त्र लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए कोई निदेश नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में वह उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है, जो विधिनुसार उसके अनुरोध पर विचार करे।

इन परिस्थितियों में, चूंकि पुलिस के बारे में शिकायतकर्ता की मूल शिकायत का निवारण हो गया है, जांच समिति उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ परिषद से मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है तथा समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

सिद्धान्त और प्रकाशन

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 12 **फाइल सं. 14/459/18-19-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री विवेकानंद दास
संपादक
जनतंत्र,
भुवनेश्वर, ओडिशा

प्रतिवादी

1. संपादक,
   द समाज,
   कटक, ओडिशा
2. श्री निरंजन रथ,
   प्रिंटर और प्रकाशक,
   द समाज, कटक।

तथ्य

दिनांक 02.12.2018 को संपादक, जनतंत्र, भुवनेश्वर, ओडिशा, श्री विवेकानंद दास द्वारा संपादक, द समाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समाज ने 21 अक्टूबर, 2018 को एक आपत्तिजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था **"मिस्टर फ्रॉग मैडम फ्रॉग को बताता है ... शतबर्ता (मी-टू - किलर एपिडेमिक)" "Mr. Frog Tells Madame Frog…….Shatabartta (ME-TOO-Killer Epidemic")** (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद)।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित संपादकीय में ब्राह्मण भिखारियों द्वारा गाये गए एक लोकप्रिय लोक गीत का एक उद्धरण शामिल है, जो भिखारियों को भिक्षा (भिक्षा) देने के लाभों का गुणगान करता है। स्तंभकार ने इस दोहे का हवाला देते हुए मी-टू आंदोलन पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ दीं, जिसमें पुरुष अपराधियों द्वारा शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। स्तंभकार यह बताना चाहता है कि महिलाओं ने स्वेच्छा से अपने शरीर को आरोपी के साथ "भिक्षा" के रूप में साझा किया, और वह सवाल करता है कि क्या यह उदारता है या नहीं। दूसरे शब्दों में, क्या इसमें शामिल महिलाएं उनके कथित शोषण में इच्छुक भागीदार थीं। स्तंभकार तब ब्राह्मण भिखारियों का उदाहरण देते हैं, जिनका गांव में हर कोई सम्मान और प्रशंसा करता है और ग्रामीणों से भिक्षा प्राप्त करता है, और सवाल करता है कि क्या इसे आरोपी पुरुषों के साथ स्थिति के समानांतर देखा जा सकता है।

स्तंभकार तब चर्चा करते हैं कि कैसे पश्चिमी विद्वान मंच पर कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अधिनियमन को देखना चाहते थे, लेकिन उनका सवाल है कि क्या भाषा को समझना

भावना/संवेदना को व्यक्त कर सकता है। वह मारन, राजा शिबी और राजा हरिश्चंद्र जैसे भारतीय पौराणिक कथाओं के उदाहरणों का हवाला देते हैं, जो दान देने के महत्व को सुनिश्चित रूप से व्यक्त करते हैं, जो पश्चिमी संस्कृति में नहीं पाया जाता है। स्तंभकार अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पौराणिक कथाओं और साहित्य के उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करते हैं कि भारत में देने वाली संस्कृति पश्चिम से कैसे अलग है। एक उदाहरण के रूप में अनसूया की कहानी का उल्लेख किया गया है कि कैसे एक निस्वार्थ महिला को भी दान देने के लिए कठिन स्थिति में डाला जा सकता है, और कैसे स्वयं देवताओं को एक नश्वर की उदारता से विनम्र किया जा सकता है।

अंत में, संपादकीय में रानी कैकेयी की मांग कि राम को निर्वासित कर दिया जाए और उनके बेटे भरत को राजा दशरथ का उत्तराधिकारी बनाया जाए, का उदाहरण देकर महिलाओं को भेंट देने और उनसे प्राप्त करने की कठिनाइयों और संवेदनाओं पर चर्चा की गई है।

शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित संपादकीय दुर्भावना से प्रकाशित किया गया था, एवं यह पत्रकारिता के नैतिक मानकों का उल्लंघन करता है, और उन महिलाओं के लिए हतोत्साहित करने वाला है, जो वैश्विक "मी-टू आंदोलन" में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने कहा कि लेखक ने गैर-जिम्मेदाराना काम किया और अनुरोध किया कि उसे आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए क्षमा याचना का निदेश दिया जाए। शिकायतकर्ता ने स्तंभकार से अपने असली नाम के तहत एक अलग माफीनामा प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक, द समाज, कटक, ओडिशा को दिनांक 7.5.2019 को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया।

संपादक, द समाज द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

26 जुलाई, 2019 को एक लिखित वक्तव्य में, द समाज, कटक के संपादक ने शिकायत का जवाब देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की लंबे समय से अखबार के प्रति दुश्मनी है। प्रतिवादी ने आगे दावा किया कि शिकायत प्रतिवादी समाचारपत्र और उसके सहयोगियों के प्रति शिकायतकर्ता के ईर्ष्यापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधपूर्ण रवैये की एक और अभिव्यक्ति है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने कहा कि वें अखबार के 2 नवंबर, 2018 के अंक में पहले ही खेद प्रकाशित कर चुके थे।

श्री निरंजन रथ, प्रिंटर/प्रकाशक, द समाज द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

श्री निरंजन रथ, प्रिंटर/प्रकाशक, द समाज, कटक ने दिनांक 12.9.2019 के अपने लिखित वक्तव्य में, द समाज के संपादक के लिखित वक्तव्य से अलग दावा किया कि वह एक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, प्रतिवादी पेपर के संपादक या श्रमजीवी पत्रकार नहीं हैं। इस प्रकार, उनका मानना है कि वह जांच

के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीसीआई अधिनियम, 1978 किसी भी प्रिंटर, प्रकाशक, लेखक या स्तंभकार पर लागू नहीं होता है, और इसलिए, उनके खिलाफ जांच के कारण पर्याप्त नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व सहायक विधि अधिकारी, श्री देबराज बेहरा ने किया।

दिनांक 02.12.2018 की यह शिकायत भुवनेश्वर, ओडिशा में प्रकाशित जनतंत्र समाचार पत्र के संपादक, श्री विवेकानंद दास द्वारा द समाज के संपादक के खिलाफ दर्ज़ की गई है, जो भुवनेश्वर में प्रकाशित एक समाचार पत्र भी है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि द समाज ने 21 अक्टूबर, 2018 को **ME TOO** आंदोलन के संबंध में महिलाओं पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए, आपत्तिजनक संपादकीय प्रकाशित किया था। हमें सूचित किया गया है कि श्री विवेकानंद दास का निधन हो गया है। समाज के सहायक विधि अधिकारी, श्री देबराज बेहरा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं है, लेकिन इसमें शामिल मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसलिए, जांच समिति ने शिकायत और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 02.11.2018 को एक खेद पत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि यदि प्रकाशन की सामग्री ने किसी की भावनाओं को आहत किया है, तो प्रतिवादी समाचार पत्र इस तरह की चोट पहुंचाने के लिए खेद व्यक्त करता है।

जांच समिति इस खेद पत्र को स्वीकार करती है। आपत्तिजनक संपादकीय के अनुवाद को ध्यान से पढ़ने के बाद, जांच समिति की राय है कि लेख की सामग्री मी टू **(ME TOO)** आंदोलन की आलोचना और महिलाओं पर कुछ बेहद अपमानजनक टिप्पणियां करती है और उनकी तुलना गलत तरीके से रामायण के चरित्र कैकयी से करती है। **जांच समिति प्रतिवादी समाचार पत्र के इस आचरण की निंदा करती है**। जांच समिति परिषद से उपर्युक्त खेद पत्र को स्वीकार करने और प्रतिवादी समाचार पत्र को भविष्य में महिलाओं पर इस तरह के अपमानजनक लेख और टिप्पणियां प्रकाशित न करने के संबंध में **सावधानी** बरतने और शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा प्रतिवादी समाचार पत्र को सावधान करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 13 **फ़ाइल संख्या 306/2022-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता
डॉ. राजू ई. गिवासे,
रजिस्ट्रार,
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,
नागपुर विश्वविद्यालय,
महाराष्ट्र।

प्रतिवादी
संपादक,
द टाइम्स ऑफ इंडिया,
नागपुर संस्करण,
नागपुर, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत 29.03.2022 को डॉ. राजू ई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर संस्करण के संपादक के खिलाफ दिनांक 11.03.2022, 12.03.2022 और 13.03.2022 के अंक में समाचारों की मिथ्या, आधारहीन और भ्रामक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई। संबद्ध विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	एन यू शिक्षकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप	11.03.2022
2.	पी एच डी गाइड ने शिक्षक के खिलाफ लड़कियों की शिकायत का समर्थन किया	12.03.2022
3.	एन यू ने अभी तक शिक्षक के खिलाफ जांच शुरू नहीं की है: लड़कियों पर शिकायतें वापस लेने का दबाव	13.03.2022

आक्षेपित समाचारों में नागपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पीएचडी छात्रों के शारीरिक और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। यह बताया गया कि हालांकि सदस्यों ने विभाग का नाम लेने से इनकार कर दिया, एन.यू. के अधिकारियों ने पुष्टि की कि हिंदी अनुभाग के शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं। श्री विष्णु चांगडे ने कहा कि उन्हें तीन लड़कियों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें से दो ने शारीरिक और एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। आगे बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने शिकायतकर्ता लड़कियों को उनकी पीएचडी रोकने की धमकी दी। यह भी बताया गया कि नागपुर विश वविद्यालय, हिंदी विभाग के एक शिक्षक द्वारा पीएचडी छात्रा के कथित यौन और शारीरिक उत्पीड़न के मुद्दे पर, कुलपति, श्री सुभाष चौधरी और प्रति-कुलपति, श्री संजय दुभे के नेतृत्व में "दबाव में" प्रशासन ने अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है। सीनेट सदस्यों के अनुसार, यहां तक कि लड़कियों के गाइड पर भी अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पीड़ितों को उम्मीद थी कि सीनेट की बैठक के दौरान कुलपति गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेंगे। हालांकि, शिकायतों की प्रकृति पर न तो कोई घोषणा की गई और न ही किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क किया।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया पिछले कुछ महीनों से बार-बार और लगातार अन्यायपूर्ण और अक्षम्य मामले को प्रकाशित कर रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	VC's move to grant autonomy to depts. Under fire from academics	17.10.2021
2.	Under the pump, VC stops probe into college not paying staffer's wages: Amount of Rs. 1.57cr. Finds no mention in NU balance sheet, claims CA	28.10.2021
3.	Ignoring oppn from own officials, NU releases Rs. 1.37cr. MKCL's dues	12.11.2021

शिकायतकर्ता ने कहा है कि सूचना, संपादकीय नियंत्रण के बिना या तथ्यों की पुष्टि करने वाले किसी भी सबूत के बिना प्रकाशित की गई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है और प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा भ्रामक असत्य मामले को प्रकाशित करना पत्रकारिता के मान्य नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और संपादक द्वारा वृतिक कदाचार का मामला है। उन्होंने 11.04.2022 को प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उक्त तथ्यों से इनकार किया और अपने दायित्व से बचने की कोशिश की। उन्होंने परिषद से इस मामले में सख्त और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.03.2022 के नोटिस/पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया का ध्यान आकर्षित किया। इसके जवाब में, टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने अपने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, प्रस्तुत किया है कि उनके (प्रतिवादी समाचारपत्र) द्वारा प्रकाशित समाचार लेख, दस्तावेज़ी साक्ष्य और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं।

प्रतिवादी संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया को 27.09.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 18.01.2023 को समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया था।

<u>प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 07.02.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि समाचार लेख प्रलेखित सामग्री, रिकॉर्ड और साक्ष्यों विभिन्न अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों पर, जिनमें शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय के पदाधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं; नागपुर विश्वविद्यालय सीनेट में आयोजित सार्वजनिक बैठकों से जानकारी पर आधारित हैं। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उसने नागपुर विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में भाग लिया था, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), सीनेट सदस्यों और एनयू / सीनेट सदस्यों के अन्य अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधि द्वारा

इन मुद्दों के बारे में वक्तव्य दिए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इसलिए, आवश्यक धारणा थी कि ये वक्तव्य नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से किए जाने के लिए अधिकृत थे। उन्होंने आगे कहा है कि नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एनयू सीनेट सदस्यों के उद्धरणों पर कोई प्रतिक्रिया या निंदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई मौकों पर एनयू के कुलपति, श्री सुभाष चौधरी, एनयू के प्रो-वाइस चांसलर, श्री संजय दुधे और एन यू के रजिस्ट्रार, श्री राजू गिवासे से संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें समाचार पर उनकी टिप्पणियों / प्रतिक्रियाओं का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें एनयू की टिप्पणियों के बिना समाचार प्रकाशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने प्रकाशित समाचार लेखों की सामग्री का कोई अलग वर्तन प्रदान नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि समाचार लेख, नागपुर विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित हैं। ये उन अपराधों और अन्याय की रिपोर्ट करते हैं जिनका सामना लड़कियों द्वारा उन शक्तिशाली लोगों के कारण करना पड़ता है जिनके अधीन वे कार्य कर रही थीं। यह प्रश न विभिन्न क्षमताओं में एनयू से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करता है और समाज में सभी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा भी उठाता है। उन्होंने कहा है कि मीडिया इस तरह के अपराधों को जनता की जानकारी में लाने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा है कि पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश से न केवल बिजनेस करने के अधिकार में कटौती होगी बल्कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी प्रभावित होगा और यह संविधान और परिषद के अपने अधिनियम का उल्लंघन होगा। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आर के माहेश्वरी और प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व उस, आकाश नागर ने किया।

यह शिकायत 29.03.2022 को डॉ. राजू ई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर संस्करण के संपादक के खिलाफ समाचारों की कथित रूप से मिथ्या, आधारहीन और भ्रामक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है, जो पत्रकारिता के मान्य नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और संपादक द्वारा वृतिक कदाचार का मामला है।

शिकायत सबसे पहले तीन समाचारों के बारे में है। संबद्ध विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	एन यू शिक्षकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप	11.03.2022
2.	पी एच डी गाइड ने शिक्षक के खिलाफ लड़कियों की शिकायत का समर्थन किया	12.03.2022
3.	एन यू ने अभी तक शिक्षक के खिलाफ जांच शुरू नहीं की है: लड़कियों पर शिकायत वापस लेने का दबाव	13.03.2022

यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीनों समाचार रिपोर्टों में लगाए गए आरोप, तथ्यों की पुष्टि किए बिना लगाए गए हैं। इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायतें, प्रतिवादी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों से भिन्न हैं, क्योंकि शिकायतों में "यौन उत्पीड़न" शब्दों का कोई संदर्भ नहीं है। आगे यह विवेचित किया जाता है कि इस तरह के सनसनीखेज मामलों के प्रकाशन से पहले संवाददाता और संपादक के लिए विश्वसनीय स्रोतों के रिकॉर्ड से इसकी वास्तविकता, सटीकता और प्रामाणिकता का पता लगाना उचित होता है। शिकायतकर्ता ने तब तीन शीर्षकों के एक समूह का संदर्भ दिया है, जिसके तहत शिकायतकर्ता के अनुसार, फिर से आधारहीन खबरें प्रकाशित की गई हैं। उक्त समाचारों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	VC's move to grant autonomy to depts. Under fire from academics	17.10.2021
2.	Under the pump, VC stops probe into college not paying staffer's wages: Amount of Rs. 1.57cr. Finds no mention in NU balance sheet, claims CA	28.10.2021
3.	Ignoring oppn from own officials, NU releases Rs. 1.37cr. MKCL's dues	12.11.2021

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संपादक का ध्यान उपर्युक्त आधारहीन रिपोर्टिंग की ओर आकर्षित किया गया था। प्रतिवादी समाचारपत्र ने अपने दिनांक 6.4.2022 के पत्र के माध्यम से दावा किया कि समाचार रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्य और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है।

दिनांक 07.02.2023 को प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि समाचार लेख, प्रलेखित सामग्री, रिकॉर्ड और सबूतों, विभिन्न अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों, जिनमें शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय के पदाधिकारी / कर्मचारी शामिल हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं, नागपुर विश्वविद्यालय सीनेट में आयोजित सार्वजनिक बैठक से जानकारी पर आधारित हैं, जहां इन मुद्दों के बारे में वक्तव्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, सीनेट सदस्यों और अन्य अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाते हैं और इसलिए धारणा थी कि ये वक्तव्य नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए अधिकृत वक्तव्य थे। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने कई मौकों पर कुलपति, श्री चौधरी, एनयू के प्रति-कुलपति, श्री संजय दुधे और एनयूएस रजिस्ट्रार, श्री राजू ई. गिवासे को कॉल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप संदेशों से संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शिकायतकर्ता विश्व विद्यालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया और इसलिए, प्रतिवादी समाचारपत्र को अंततः समाचार प्रकाशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाचार लेख नागपुर विश्व विद्यालय से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। इसलिए, प्रतिवादी समाचारपत्र इस प्रकृति के अपराधों को सार्वजनिक ध्यान में लाने के लिए बाध्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीसीआई

द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश का उनके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

सुनवाई की पिछली तारीख पर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री माहेश्वरी ने जांच समिति को सूचित किया था कि इस मामले की जांच, एक समिति द्वारा की गई थी। समिति ने विश्वविद्यालय को यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसलिए जांच समिति ने परामर्शदाता को रिपोर्ट की एक प्रति पीसीआई को भेजने का निदेश दिया। तदनुसार, रिपोर्ट की एक प्रति पीसीआई को भेज दी गई है।

समिति के जिन सदस्यों को इस मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था, वे श्रीमती मीराताई खड़ककर, डॉ वंदना खुशलानी, डॉ मिथिलेश अवस्थी और अधिवक्ता, अनुजा कुलकर्णी हैं। यह 10 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट है। सदस्यों ने तीनों महिलाओं की शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की है। सदस्यों ने संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और सभी संबंधितों के वर्तन पर विचार किया है। समिति ने शिकायतकर्ताओं, हिंदी प्रभाग के प्रमुख डॉ. सोनू जेसवानी, डॉ. मनोज पांडी, प्रोफेसर गजानन कदम, प्रोफेसर डॉ. सुमित सिंह, प्रोफेसर श्रीमती आकांक्षा बांगर और प्रोफेसर कुंजनलाल लिथोरे के वक्तव्य दर्ज किए हैं। इसमें श्री विष्णु चांगडे (अधिसभा और प्रशासन समिति के सदस्य) द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसने 23.12.2021 और 24.12.2021 को हिंदू डिवीजन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया है और माना है कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है और किए गए खर्च उचित थे। समिति ने डॉ. वाटमोडे, डॉ. आभा सिंह और डॉ. बाली को भी बुलाया था। डॉ. वाटमोडे और डॉ. आभा सिंह के वक्तव्य दर्ज किए गए।

सभी रिकॉर्ड किये गये वक्तव्यों पर विचार करने और रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए एकत्र की गई निधि के संबंध में कोई वित्तीय कदाचार नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुवादित वर्तन (पुनः हिंदी में अनुवादित) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

> *"उपर्युक्त चर्चा के अनुसार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए एकत्र किए गए धन के संबंध में कोई वित्तीय कदाचार नहीं हुआ है। वास्तव में, जमा की गई राशि के उचित उपयोग की पुष्टि की गई है। वित्तीय कदाचार के किसी भी आरोप को लगाने से पहले पूरी जांच करना आवश्यक लगता है।"*

दर्ज किए गए वक्तव्य के गहन विश्लेषण पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन आरोपों में कोई प्रामाणिकता नहीं है कि शिकायतकर्ताओं का कोई यौन उत्पीड़न हुआ था। वास्तव में शिकायतों में यौन उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने नागपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुवादित वर्तन का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है:-

''सीनेट की बैठक के दौरान, उन विषयों पर बात की गई, जिसमें इस शिकायत की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जिसमें सुश्री शिवानी दानी ने चर्चा के दौरान पीएचडी छात्रों के सामने आ रही समस्याओं और यौन उत्पीड़न का उल्लेख किया था। समिति के समक्ष शिकायत में कोई भी यौन उत्पीड़न के बारे में उल्लेख नहीं करता है। चूंकि मीडिया कवरेज का कोई कारण नहीं था, इसलिए इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बना दिया गया है। यह देखना निराशाजनक है कि मीडिया चैनलों द्वारा उचित जांच के बिना अनैतिक प्रैक्टिस जैसे गंभीर आरोप का प्रचार किया जा रहा है। विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखते हुए, जनता को गहरा दुख पहुंचता है और देश भर में नागपुर विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। इस संबंध में, जिम्मेदारी पूरी तरह से मीडिया की है। शोधकर्ता और शोध गाइड दोनों की शिकायत को पढ़ने के बाद और प्रबंधन समिति के सदस्य, श्री विष्णु चांगडे और सीनेट की सदस्य, शिवानी दानी के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि कहीं भी यौन उत्पीड़न का संदर्भ नहीं था न ही यह शिकायत यौन उत्पीड़न के बारे में है।''

''जांच समिति के गठन और विभिन्न समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित होने के बाद कुछ सामाजिक संस्थानों और महिला आयोग ने माननीय कुलाधिपति से मुलाकात की और यौन उत्पीड़न की जांच करने के लिए कहा। यदि शिकायत से पहले सामाजिक संस्थानों और महिला आयोग द्वारा सच्चाई की पुष्टि की गई है, तो विश्वविद्यालय की छवि खराब नहीं होगी।''

समिति की रिपोर्ट तर्कपूर्ण, तार्किक और रिकॉर्ड पर आधारित है। जांच समिति इसे स्वीकार करती है।

लिखित वक्तव्य में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह कहा गया है कि संबंधित रिपोर्टर ने सीनेट की बैठक में भाग लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ सीनेट सदस्यों के वक्तव्य सुने थे। यह विवेचित किया गया है कि वे उन घटनाओं के बारे में एक धारणा बनाते हैं जिन्हें उन्होंने रिपोर्ट किया है। जांच समिति इस वक्तव्य को लापरवाह मानती है। अनुमान के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। अब जब समिति की रिपोर्ट आ गई है तो यह स्पष्ट है कि जहां तक यौन उत्पीड़न के आरोपों का संबंध है, वे पूरी तरह से निराधार हैं। राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए एकत्र किये गये धन का कोई गलत प्रयोग भी नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट ने नागपुर विश्वविद्यालय की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। जांच समिति परिषद से रिपोर्ट स्वीकार करने और इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर, संस्करण की **परिनिंदा** करने की संस्तुति करती है।

जहां तक अन्य क्षेत्रों में कथित वित्तीय कुप्रबंधन आदि के बारे में बाकी आरोपों का संबंध है, शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रतिवादी समाचारपत्र को अग्रेषित करना चाहिए था और प्रतिवादी समाचारपत्र को इसे प्रकाशित करना चाहिए था। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह शिकायतकर्ता को चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी समाचारपत्र को विश्वविद्यालय का वर्तन और प्रतिवादी समाचारपत्र को इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर इसे किसी प्रमुख स्थान पर

प्रकाशित करने का निदेश दे। जांच समिति उपर्युक्त टिप्पणियों और निदेशों के साथ परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई और जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेश के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर संस्करण की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

******

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 14 **फाइल सं. 14/339/2019-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता
श्री एम अरुणकुमार,
शिवदापुरम,
सलेम, तमिलनाडु।

प्रतिवादी
संपादक,
कलईकाधीर दैनिक,
सलेम
तमिलनाडु।

तथ्य

दिनांक 14.09.2019 को श्री एम. अरुणकुमार, शिवदापुरम, सलेम, तमिलनाडु द्वारा संपादक, कलईकाधीर डेली, सलेम के खिलाफ अपने अंक में उनके भाई, श्री नीलमेगम की तस्वीर के साथ-साथ ***"Backup to 'Dubakoor' Officer" Lakhs of money laundering" शीर्षक (***शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद) के तहत झूठी, निराधार और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित लेख में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति, जो एन.जी.ओ. अधिकारी था, केंद्र सरकार के अधिकारी की तरह लक्जरी कार में घूमता था, उसे अविनाशी के पास सरकारी नौकरी देने का दावा करके लोगों से लाखों रुपये की रकम लेने (money laundering) के लिए पकड़ा गया। यह प्रकाशित हुआ है कि सलेम जिले के श्री नीलमेगम अपने मित्र, श्री सेंथिल कुमार के साथ अपनी कार से रात को तिरुपुर जिले के थेक्कालूर आए और चार

लोगों के गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया। सेंथिल कुमार की शिकायत के अनुसार, अविनाशी पुलिस ने उसके मोबाइल फोन सिग्नल के माध्यम से उसकी तलाश की। खबर में प्रकाशित किया गया है कि इरोड जिले के विजयमंगलम चेक पोस्ट पर वह अपनी कार के साथ मिले और उनकी चेन लूटने वाले गिरोह उन्हें और उनकी कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए थे।

स्टारलाइन न्यूज: यह प्रकाशित किया गया है कि "भारत सेवक समाज ऑफ द पीपुल्स फोरम ऑफ इंडिया" के नाम पर और एनजीओ के दक्षिण भारतीय उपाध्यक्ष, नीलमेगाम ने कई लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। उनके पास केंद्र सरकार की मुहर वाला एक पहचान पत्र था, जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे "डॉक्टर (डॉ॰)" के रूप में वर्णित किया था। उनके पास केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र भी था। उसने तिरुपुर बनियान कंपनी में काम करने वाले किरुबगरन से सरकारी नौकरी देने के एवज में एक लाख रुपये भी मांगे हैं। जब किरुबगरन रकम लेने के तैयार हो गया, तो जांच में पता चला कि उसे थेक्कलूर में अगवा किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि अविनाशी पुलिस, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु ने 10.09.2019 को धारा 170 आईपीसी और 420 आईपीसी के तहत अविनाशी पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 505/2019 में किरुबगरन की शिकायत दर्ज की, उसके भाई को गिरफ्तार किया और उसे उसी दिन रिमांड के लिए भेज दिया और वह 10.09.2019 से न्यायिक हिरासत में था। कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 पर ध्यान आकर्षित करते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसके भाई की गिरफ्तारी की खबर प्रेस में प्रकाशित की जा सकती है, लेकिन फोटो नहीं। उन्होंने कहा है कि जब तक अदालत आरोपी के प्रकाशन का आदेश नहीं देती है, तब तक न तो पुलिस और न ही प्रेस को आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करने की अनुमति है। न तो पुलिस ने अदालत के समक्ष याचिका दर्ज़ की, जिसमें उन्हें उनके भाई की तस्वीर प्रकाशित करने की अनुमति देने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया और न ही अदालत ने पुलिस को उसकी तस्वीर लेने और इसे प्रकाशित करने का निदेश दिया। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान 14.09.2019 को आक्षेपित समाचार लेख की ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने परिषद से अखबार को चेतावनी देने, फटकार लगाने या परिनिंदा करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को 19.11.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

<u>प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 05.12.2019 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। प्रतिवादी ने कहा है कि यह खबर उनके क्लाइंट के अखबार कलईकाधीर के रिपोर्टर द्वारा अविनाशी पुलिस स्टेशन तिरुपुर द्वारा, शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ 10.09.2019 को दर्ज 2019 के अपराध संख्या 505 में आईपीसी की धारा 170 और 420 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एकत्र की गई जानकारी के संबंध में प्रकाशित की गई थी।

तदनुसार, अखबार ने एफआईआर में निहित तथ्यों को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा है कि फोटो के साथ समाचार बिना किसी दुर्भावना के, सत्य की खोज में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा है कि समाचार में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है और शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति की फोटो अखबार में छपी है, उसने कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की है। यहां तक कि अगर वह व्यक्ति जेल के अंदर भी है, तो भी उसके द्वारा अखबार में फोटो के प्रकाशन की शिकायत या उस पर आपत्ति जताने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा है कि समाचार के साथ फोटो को सार्वजनिक भलाई के लिए और बिना किसी दुर्भावना के प्रकाशित किया गया था। उन्होंने परिषद से उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने और शिकायत को बंद करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने दिनांक 04.01.2020 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से कहा है कि उसने अपने भाई, श्री एम नीलमेगम, जो अविनाशी पुलिस स्टेशन, अपराध संख्या 505/2019 के संबंध में धारा 170/420 आईपीसी के तहत न्यायिक हिरासत में हैं, की ओर से संपादक, कलईकाधीर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कोई व्यक्ति भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा है कि अखबार ने उनके भाई को आदतन धोखेबाज के रूप में केंद्रित किया और उन्होंने उसे नियमित अपराधी के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी अपने रुख को साबित करने में विफल रहे कि कैसे फोटो प्रकाशित करने में प्रेस के खिलाफ अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई की तस्वीर प्रकाशित करना कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस को ऐसा कुछ भी प्रकाशित करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो। उन्होंने कहा है कि आरोपी की फोटो लेने में मजिस्ट्रेट का आदेश वैधानिक और अनिवार्य है। अखबार ने न केवल उनके भाई की तस्वीर ली, बल्कि उसे अखबार में प्रकाशित भी कर दिया। कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 में छूट के लिये कोई खंड नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि एफआईआर में जो कुछ नहीं कहा गया है, उसे भी अखबार में प्रकाशित किया गया है, अखबार द्वारा लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और स्वतः अप-मानजनक हैं। उनके भाई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेस ने अपनी ही एफ़आईआर बना ली।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व, अधिवक्ता, श्री वासु कालरा ने किया।

इस शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रतिवादी के समाचारपत्र कलईकाधीर, तमिलनाडु ने उसके भाई की तस्वीर मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के बिना

प्रकाशित की है, जब उसका भाई न्यायिक हिरासत में था। शिकायतकर्ता के अनुसार, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 5 एक वैधानिक प्रतिबंध है, जो अदालत के आदेश के बिना हिरासत में रखे गए आरोपी की तस्वीर के प्रकाशन पर रोक लगाता है। इसलिए प्रतिवादी के अखबार ने कानून के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है और इसके लिए उसकी खिंचाई किए जाने की जरूरत है। प्रतिवादी अखबार ने पत्रकारिता नीति के मानकों का उल्लंघन किया है। इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ प्रेस परिषद द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता, वासु कालरा ने कहा कि कई समाचार पत्रों ने शिकायतकर्ता के भाई की तस्वीर प्रकाशित की और वास्तव में पुलिस ने तस्वीर परिचालित की। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, इसलिए जांच समिति किसी भी तरह से यह पता नहीं लगा सकती है कि प्रतिवादी के वकील जो कह रहे हैं, वह सही है या नहीं। हालांकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है और क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है, जांच समिति ने शिकायत में आगे कार्रवाई करने का फैसला किया है। कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 निरस्त कर दिया गया है और अब आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, 2022 लागू है। नए अधिनियम की धारा 2 (बी) में 'माप' शब्द की परिभाषा शामिल है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तस्वीरें शामिल हैं।

पुराने अधिनियम की धारा 5 किसी व्यक्ति की माप या फोटोग्राफ लेने का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है, नए अधिनियम की धारा 5 किसी व्यक्ति को माप देने का निदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है। यह इस प्रकार पठनीय है: -

> 1.---- जहां मजिस्ट्रेट का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्वेषण करने या कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए समाधान हो जाता है तो किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन माप देने के लिए निदेश दे सकेगा, मजिस्ट्रेट इस निमित्त एक आदेश करेगा और उस दशा में व्यक्ति जिससे आदेश संबन्धित है, ऐसे निदेशों के अनुरूप माप लेना अनुज्ञात करेगा।

दोनों प्रावधानों से संकेत मिलता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि जांच के उद्देश्य से या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति को फोटो देने का निदेश देना आवश्यक है, तो वह इस आशय का आदेश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति अपनी तस्वीर लेने के लिए अनुमति देगा। नए अधिनियम की धारा 3 सी में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उस समय लागू किसी कानून के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, तब यदि आवश्यक हो, तो उसके माप (जिसमें एक तस्वीर शामिल है) को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी द्वारा लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश की मांग, जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, इसलिए सभी तथ्य जांच समिति के समक्ष नहीं हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कैदियों की पहचान अधिनियम या नया अधिनियम प्रेस पर लागू नहीं होता है। इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। प्रेस कानून से ऊपर नहीं है और सभी कानून उस पर लागू होते हैं। आगे यह दिया गया है कि तस्वीर सार्वजनिक भलाई के लिए प्रका-शित की गई थी। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हिरासत में एक आरोपी को अक्सर पहचान परेड में पहचान के लिए रखा जाता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आती है। यदि आरोपी की तस्वीर प्रकाशित की जाती है तो इससे पहचान परेड व्यर्थ हो जाएगी और परिणामस्वरूप आपराधिक मामला भी व्यर्थ हो सकता है। यह जनहित में नहीं है। इसलिए, किसी आरोपी, विशेष रूप से हिरासत में मौजूद आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करते समय, समाचार पत्रों को सावधान रहना चाहिए। संतुलन बनाना होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों, सार्वजनिक हित और आरोपी तथा पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी की तस्वीरें प्रकाशित की जा सकती हैं। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह प्रतिवादी समाचार पत्र को भविष्य में आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करते समय सतर्क रहने के लिए कहे और शिकायत को समाप्त करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचार पत्र को सावधानी बरतने का निदेश देते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 15 **फ़ाइल सं. 14/492/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता
श्री एम. मित्रा,
उप क्षेत्रीय प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल,
मध्य प्रदेश

प्रतिवादी
संपादक,
प्रदेश टूडे,
भोपाल, मध्य प्रदेश

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 11.12.2019 को श्री एम मित्रा, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल (एमपी) द्वारा संपादक, प्रदेश टुडे, भोपाल के खिलाफ उनके अंक दिनांक 7.11.2019 में **"200 करोड़ की वसूली नहीं कर पा रहा बैंक ऑफ बडौदा"** शीर्षक के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ निराधार और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई थी।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा, हबीबगंज शाखा द्वारा भारी ऋण और अग्रिम दिए गए हैं। केवल बैंक की इस शाखा ने ही इस क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की अन्य सभी शाखाओं की तुलना में 200 करोड़ रुपये का एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) ऋण दिया है, जो कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपये है। प्रारंभ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बैंक की इस शाखा ने भारी मात्रा में ऋण दिया है, लेकिन अब उसे ब्याज की वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आगे यह बताया गया है कि पूछे जाने पर, बैंक के सहायक क्षेत्रीय (एजीएम), श्री आर. पी. मीणा ने पिछले तीन महीनों के ऋण वितरण विवरण (ऑटो ऋण, गृह ऋण आदि) साझा नहीं किए। जब उनसे ऋण चूककर्ताओं के विवरण के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता, उप क्षेत्रीय, बैंक ऑफ बड़ौदा, हबीबगंज ने कहा कि आक्षेपित समाचार में उल्लिखित तथ्य और आंकड़े भ्रामक, निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को बदनाम करने और इसके ग्राहकों के विश्वास को डगमगाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य है जो कि अत्यधिक आपत्तिजनक है। प्रतिवादी का दावा, कि बैंक ने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 तक पिछले 3 महीनों में कोई SARFAESI (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन) और DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) नोटिस नहीं दिया है और यह कि जो समाचार पत्र प्रदेश टुडे की तुलना में अधिक परिचालन में नहीं हैं, उन पर बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है और प्रदान किए गए परिचालन आंकड़े पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि उन्होंने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से इस दावे की पुष्टि की है, लेकिन अखबार का नाम, प्रदेश टुडे इसकी वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि समाचार उचित तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाए बिना प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 11.12.2019 और 18.1.2019 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संपादक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

प्रतिवादी संपादक को 13.2.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य दिनांक 04.03.2020:

संपादक, प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.3.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि यह खबर कि बैंक ऑफ बड़ौदा, उधारकर्ताओं से 200 करोड़ की वसूली नहीं कर सका,

विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित था। जिस राशि की वसूली नहीं की जा सकी है, उसका वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है, जिसकी पुष्टि विलफुल डिफॉल्टरों से 30.06.2019 तक 52,495 लाख रुपये हुई है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि समाचार प्रकाशित करने से पहले, रिपोर्टर ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और समाचार लेख की जानकारी पर उनकी टिप्पणी मांगी थी, परंतु शिकायतकर्ता ने रिपोर्टरों द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और कोई भी टिप्पणी करने से एकदम इनकार कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के नोटिस का जवाब 27.12.2019 को भेजा गया था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया था। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व इसके दिल्ली ब्यूरो प्रमुख, श्री नीरज सिंह चौधरी द्वारा किया गया है।

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है। पिछली बार अर्थात् 2.3.2023 को भी न तो शिकायतकर्ता और न ही उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। प्रतिवादी की ओर से श्री नीरज चौधरी उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, अनुपस्थिति के कारण जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 16 **फ़ाइल सं. 1843/2020-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता
डॉ. शैली बंसल,
उप-प्रभागीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, (एसडीएएमओ),
संधू जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश)

प्रतिवादी
1. श्री नवनीत शर्मा,
वरिष्ठ संपादक, दैनिक जागरण,
जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. तेजस्वी विजय आज़ाद,
उप निदेशक आयुर्वेद,
मंडी ज़ोन, जिला मंडी, (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. के.डी. शर्मा,
जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,
जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश)

2. श्री प्रकाश भारद्वाज,
राज्य ब्यूरो प्रमुख,
दैनिक जागरण,
शिमला, (हिमाचल प्रदेश)

3. श्री संजय गुप्ता,
प्रमुख संपादक
दैनिक जागरण
नई दिल्ली

तथ्य

यह संयुक्त शिकायत दिनांकित 15.07.2020 को डॉ. शैली बंसल, उप-प्रभागीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, शिमला, डॉ. तेजस्वी विजय आजाद, उप निदेशक आयुर्वेद, मंडी जोन, मंडी, और डॉ. के.डी. शर्मा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) द्वारा अधिवक्ता के माध्यम, से दैनिक जागरण के संपादक के खिलाफ 22 जून, 2020 के अंक में "शिकायत करने पहुंची कमेटी " शीर्षक के तहत कथित रूप से आपत्तिजनक, झूठी और आधारहीन खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचारों में प्रकाशित किया गया है कि डेढ़ साल पहले आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा उपकरणों की खरीद में घोटाला हुआ था और उस खरीद से संबंधित तकनीकी खरीद समिति के तीन डॉक्टरों को निलंबित कर चार्जशीट किया गया था। आगे बताया गया है कि तब डॉक्टरों की समिति ने विभाग की एक महिला अधिकारी की शिकायत करने के लिए मुख्य सचिव से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद वे आर्म्सडेल के सचिव से मिले लेकिन उन्होंने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यह भी बताया गया है कि ये डॉक्टर समिति उस महिला डॉक्टर को विभाग से हटाना चाहती थी।

शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक द्वारा एक तकनीकी समिति (Technical Committee) का गठन किया गया था और उपकरणों की खरीद से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि समाचार की सामग्री झूठी, आधारहीन, मानहानिकारक और औचित्यहीन है जिसका उद्देश्य समाज के आम, तर्क देने वाले, सही नागरिकों के मन में घृणा, अवमानना और उपहास के जरिये शिकायतकर्ताओं की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि समाचार के प्रकाशन के बाद उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के सदस्यों द्वारा बार-बार सवाल और पूछताछ की जा रही है, जिससे दूसरों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा और छवि खराब हो रही है। शिकायतकर्ताओं ने 26 जून, 2020 के कानूनी नोटिस के माध्यम से,

आपत्तिजनक समाचार की ओर प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसके बाद प्रतिवादी, दैनिक जागरण ने 2 जुलाई, 2020 के अपने अंक में "शिकायत करने नहीं गई कमेटी " शीर्षक के तहत फिर से समाचार प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि 2 जुलाई, 2020 की खबर भी केवल एक छलावा है और इसकी सामग्री इस हद तक झूठी है कि समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रतिवादियों को सूचित किया था कि समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव के कार्यालय या सचिव (आयुर्वेद) के कार्यालय का दौरा किया नहीं था। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि प्रतिवादी 22 जून, 2020 के आक्षेपित प्रकाशन के स्रोतों का खुलासा करने और सामने माफी मांगने में विफल रहा है।

शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विभिन्न तारीखों पर मानहानिकारक सामग्री की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी ठोस सामग्री के मीडिया ट्रायल शुरू किया है, जिससे शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुने बिना उनकी निंदा की जा रही है। इस प्रकार, इन समाचारों ने शिकायतकर्ताओं को दोहरे खतरे में डाल दिया है, क्योंकि जांच वैसे ही आयुक्त, विभागीय जांच, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लंबित है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे पहले प्रतिवादी ने आयुर्वेद विभाग के खिलाफ कई समाचार प्रकाशित किए थे।

प्रतिवादियों, दैनिक जागरण को 01.12.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने दिनांक 31.12.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से विवेचित किया है कि संबद्ध शिकायत, प्रतिवादियों के खिलाफ सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज की जा सकती है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादियों को परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादियों ने हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदिक विभाग में घोटाले को अपनी सर्वोत्तम क्षमता और ईमानदारी से उजागर किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ताओं के नाम दिनांक 22.06.2020 और 02.07.2020 के समाचारों में उल्लिखित नहीं थे, इसलिए उनपर लक्ष्य साधने और उन्हें बदनाम करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने कहा है कि 22.06.2020 की खबर सही स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों पर आधारित थी और समाचार की सामग्री से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि समाचार में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था। प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने कहा है कि उन्होंने पत्रकारिता की भावना के साथ अपना कर्तव्य निभाया है और किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा है कि यह खबर पूरी तरह से संबंधित विभाग द्वारा की गई जांच और मीडिया को दिए गए तथ्यों पर आधारित थी। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस भेजा है और

प्रतिवादी ने 2 जुलाई, 2020 को अखबार में एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया है, लेकिन शिकायतकर्ता इस के प्रकाशन के बावजूद संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर परिषद के समक्ष वर्तमान शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ताओं ने अखबार में प्रकाशित विभिन्न समाचारों का हवाला दिया है, लेकिन यह बताने में असफल रहे कि कौन सी खबर गलत या मानहानिकारक है। प्रतिवादी के परामर्शदाता ने कहा है कि प्रतिवादियों ने समाचार प्रकाशित करते समय अनियमितताएं नहीं की हैं, इसलिए जांच शुरू करने और समाचार पत्र की निंदा करने का सवाल ही नहीं उठता।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ताओं के परामर्शदाता ने दिनांक 19.03.2021 की जवाबी टिप्पणी के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता पीड़ित हैं, जिन्हें प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न झूठे और तुच्छ प्रकाशनों के माध्यम से लगाए गए झूठे आरोपों के कारण परेशान किया गया है। शिकायतकर्ताओं के परामर्शदाता ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त करार कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (आयुष) द्वारा 6 मार्च, 2021 को जारी आदेश के जरिये इसमें कार्रवाई बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि खबर प्रकाशित करते समय प्रतिवादी खुद ही न्यायाधीश, जूरी और निष्पादनकर्ता बन गए है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी ठोस सामग्री के मीडिया ट्रायल शुरू किया है, जहां शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुने बिना बड़े पैमाने पर जनता की आंखों के सामने अनसुना कर उनकी निंदा की जा रही है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व, श्री कपिल यादव, अधिवक्ता ने किया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हैं। कोई भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। शिकायतकर्ता पिछली बार अर्थात 2.3.2023 को उपस्थित नहीं थे। श्री कपिल यादव प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, जांच समिति अनुपस्थिति के कारण परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 17 **फ़ाइल संख्या 22/2020-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री मो. आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी,
मुतवल्ली (रक्षक),
कलंब जामा मस्जिद,
जिला रायगढ़,
महाराष्ट्र।

प्रतिवादी

संपादक,
न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाडा,
जिला औरंगाबाद,
महाराष्ट्र।

तथ्य

दिनांक 20.12.2019 की यह शिकायत, श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, मुतवल्ली (रक्षक), कलंब जामा मस्जिद, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा, मराठी साप्ताहिक, औरंगाबाद के खिलाफ दिनांक 25.10.2019 के अंक में कथित रूप से झूठे, निराधार और अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए आक्षेपित समाचार का अंग्रेजी अनुवाद निम्नानुसार पठनीय है:

The Mutavalli (Protector) of Jama Mosque, A/P Kalamb D. Raigad will be soon expelled

मामला जांच और कार्यवाही के लिए अदालत में दर्ज़ किया गया है

उन्होंने कहा, 'आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी नाम के व्यक्ति ने जामा मस्जिद सुन्नी की करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्ति को अपना दिखाया और संपत्ति बेचकर वक्फ को लाखों रुपये का चूना लगाया है। अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने जांच के लिए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में मस्जिद के मुतवल्ली (संरक्षक) को निलंबित करने और इसकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाने के लिए एक आवेदन दिया है। इसका आवेदन नंबर वक्फ याचिका 33/2019 है और यह मामला महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में लंबित है। इसके बारे में विस्तार से खबर इस प्रकार है-

रायगढ़ जिले के कलंब पोस्ट में जामा मस्जिद सुन्नी के पास खेत और आवासीय भूखंड सहित करोड़ों रुपये की संपत्ति है और इसका उपयोग मस्जिद के प्रबंधन के लिए किया गया था। चूंकि 1995 से पहले कोई नया वक्फ कानून नहीं था, इसलिए चैरिटी कमिश्नर कार्यालय ने एक समिति का गठन किया। उसमें साहेब खान हुसैन खान देशमुख, अली साहब रहीम साहब भाईजी, अब्दुल लतीफ हाजी हुसैन लोगाडे पदाधिकारी थे। साहेब खान हुसैन खान देशमुख की मृत्यु के बाद अब्दुल अजीज साहब

खान देशमुख का नाम इसमें लिया गया। साथ ही अब्दुल करीद अली साहब भाई जी का नाम अली साहेब रहीम साहब भाईजी की मृत्यु के बाद जोड़ा गया।

इसकी परिवर्तन रिपोर्ट 333/58 के रूप में है। तब कलंब मस्जिद के प्रबंधक, साहब खान हुसैन खान देशमुख, अली साहेब रहीम साहब भाईजी की सदस्यता रद्द कर रिकॉर्ड जमा किए गए थे। इसकी परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 250/88 के रूप में है, और उसमें नया नाम सिंदर मोहम्मद हनीफ खान जोड़ा गया और 15/06/1998 को अब्दुल कादिर अली साहेब भाईजी की मृत्यु के बाद मोहम्मद अब्दुल कादिर भाईजी का नाम भी जोड़ा गया। इससे पहले तक मस्जिद और समाज का कामकाज ठीक से होता था।

भारत सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम पारित किया और मस्जिदों के सभी कामकाज वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए गए।

ऐसे में आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी ने खुद को मुतवल्ली (रक्षक) दिखाया और मस्जिद की संपत्ति में हेराफेरी शुरू कर दी। अभिलेखों में मस्जिद की जमीनें मस्जिद के नाम होने के बावजूद उन्होंने राजस्व सेवा से जुड़े लोगों की मदद से विरासत में इसे अपने नाम कर लिया। यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और उसने इन जमीनों को अपना बताकर बेचना शुरू कर दिया। जब सरकार ने अपने उपयोग के लिए जमीन की मांग की, तो उन्होंने मुआवजा भी लिया और इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं कि वह किराए की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस जमीन का मुआवजा लिया और इसका इस्तेमाल अपने लिए किया। वे न केवल मस्जिद के कमरों का किराया ले रहे हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी अपने लिए करते हैं।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने समिति के नाम पर व्यक्तिगत और साथ ही जनता के उपयोग के लिए खाना पकाने के लिए सामग्री खरीदी थी और प्रावधान था कि इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए किराए के आधार पर दिया जा सकता था, और धन का उपयोग मस्जिद उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, लेकिन वह इसका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं और आधी सामग्री गायब हो गई है। वक्फ बोर्ड को दी गई जानकारी में रिकॉर्ड पर सामग्री ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन आर्काइव (archive) में कम सामग्री ली जाती है। इस तरह आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी लाखों रुपये की हेराफेरी कर रहे हैं।

शहर के कई लोगों ने उनके खिलाफ कई बार शिकायत की, उन्हें इसके बारे में बताया भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अंतिम उपाय के रूप में, प्रबंधन समिति के पुराने सदस्य, मोहम्मद हनीफ खान के उत्तराधिकारी, अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने इन अनियमितताओं की जांच करने और आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, जो खुद को मुतवल्ली (रक्षक) के रूप में दिखाते हैं, को निलंबित करने के लिए माननीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में एक याचिका दर्ज़ की और वक्फ संपत्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक समिति बनाने की मांग की। यह मामला फिलहाल अदालत में लंबित है और गैर याचिका दर्ज़ करने वाले आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी (non-petitioned) को महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से नोटिस मिला है।

यह खबर कलंब शहर में हवा की तरह फैल गई, कलंब में लोगों को लगने लगा कि कई दिनों के बाद अहमद मोहम्मद हनीफ खान द्वारा एक अच्छा काम हाथ में लिया गया है और उन्हें लगा कि हर नागरिक को इसमें उनका सहयोग करना चाहिए। इसलिए कलंब शहर के प्रसिद्ध वकील शरीफ मोहम्मद यूसुफ बोम्बे के नेतृत्व में, कई नागरिकों, जैसे अयूब गुलाम रसूल कोइलकर, असलम अहमद पानसरे, फुकन ख्वाजा कुरैशी, सादाब, मुराब पानसरे, फहीम हामिद डोंगरे, रमीज सिराज बुबेरे, फौजान अहमद खान, नदीम रहमान मस्ते, वसीम गफूर लोगाडे, सलीम हसन मिया तम्बोली, नसीम हामिद कोइलकर, शकील अब्दुल हमीद कोइलकर, दानिस मुस्ताक डोंगरे, सलीम इब्राहिम खैक, तौसीफ मैनुद्दीन बोम्बे, साहिल साबिर लोगाडे, नदीम अब्दुल रज्जाक तम्बोली, राशिद दादा मियां थानगे, जैद मैनोद्दीन बोम्बे ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत वक्फ याचिका संख्या 33/2019 में मुकदमे में उन्हें पक्षकार बनाने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से याचिका दायर की है। वर्तमान याचिका भी वक्फ ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है।

जल्द ही महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ऊपर बताए गए 20 याचिकाकर्ताओं को इस मामले में शामिल किया जाएगा और कोर्ट के समक्ष जांच के बाद गबन के संबंध में, संपत्ति का गबन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि उन्हें मुतवल्ली (संरक्षक) के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा और मस्जिद का प्रबंधन, प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

आक्षेपित समाचार लेख में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने झूठे, निराधार और अपमानजनक समाचार लेख प्रकाशित किए हैं। उनके अनुसार, आक्षेपित लेख न केवल एक न्यायाधीन कानूनी मामले की अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग का स्पष्ट मामला है, बल्कि इसे मामले के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय और न्याय किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से भी प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी अखबार, औरंगाबाद में प्रकाशित होता है और दुर्भावनापूर्ण, इसकी हार्ड कॉपी भेजी गई और करजत के पूरे तालुका के साथ-साथ गांव कलंब में वितरित की गई, जो औरंगाबाद से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा सही और सटीक तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उसके द्वारा प्रकाशन पूर्व सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित लेख से उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंची है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आक्षेपित लेख के प्रकाशन के बाद में, उनसे कई व्यक्तियों द्वारा संपर्क किया गया और इस बारे में उनसे पूछताछ की गई और उनकी अवमानना के साथ-साथ उनकी हंसी उड़ाई गई। मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और साख खराब हुई।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने 01.11.2019 को प्रतिवादी संपादक से तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने परिषद से

इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कोई जवाब नहीं

संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा, औरंगाबाद को दिनांक 3.3.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन दिनांक 12.2.2021 को समयबद्ध अनुस्मारक जारी करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 18.4.2023 को मुंबई में और बाद में 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री इब्राहिम देशमुख वर्चुअल मोड के जरिये पेश हुए, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

दिनांक 20.12.2019 की यह शिकायत, श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, मुतवल्ली कलंब जामा मस्जिद, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा, मराठी साप्ताहिक, औरंगाबाद के खिलाफ दिनांक 25.10.2019 के अंक में कथित रूप से झूठे, निराधार और अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके वकील, श्री देशमुख वर्चुअल मोड से मौजूद हैं। श्री देशमुख ने कहा है कि मो. आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी एक प्रतिष्ठित संरक्षक (इमाम) हैं और पिछले कई वर्षों से ईमानदारी और लगन से एक संरक्षक (इमाम) के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि, उसी गांव के अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने प्रतिवादी अखबार के कार्यालय से संपर्क किया जो गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है और संपादक को झूठी जानकारी दी है कि शिकायतकर्ता ने जामा मस्जिद सुन्नी की करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्ति को अपना बताकर बेच दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उसके द्वारा बेची गई संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है, जो उसे उसके पिता द्वारा दी गई थी। उक्त श्री अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में जांच के लिए एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि मुतवल्ली को निलंबित कर दिया जाए और संपत्ति के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया जाए। आवेदन की संख्या 33/2019 है। यह लंबित है। समाचार में यह कहा गया है कि कई व्यक्तियों ने याचिका दर्ज़ की है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत उक्त कार्यवाही में उन्हें पक्षकार बनाया जा सकता है। आगे यह कहा गया है कि जल्द ही उन्हें याचिका में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाएगा। प्रतिरूपण (impersonation) के संबंध में जांच की जाएगी और दोषियों को निष्कासित कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं और इनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान और अपूरणीय क्षति पहुंची है। प्रतिवादी ने समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों का सत्यापन नहीं किया है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के बीच समाचार की प्रतियां वितरित की हैं। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी को इस विषय में लिखा, लेकिन प्रतिवादी ने जवाब नहीं दिया।

सचिवालय द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादी को दिए गए हैं। पिछली बार भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व

किसी ने नहीं किया। आज, फिर प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का भी जवाब नहीं दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी समाचारपत्र ने प्रेस परिषद का सम्मान न करते हुए हेकड़ी (arrogance) दिखाई है। हालांकि, वक्फ याचिका 33/2019 वक्फ बोर्ड के समक्ष लंबित है और इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) के अनुसार, प्रेस परिषद इस मामले में जांच शुरू नहीं कर सकती है। वक्फ बोर्ड मामले के गुण-दोष के आधार पर अपना फैसला देगा। हालांकि, प्रतिवादी का शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करना सर्वोत्तम पत्रकारिता मानकों के अनुरूप होगा। शिकायतकर्ता के वकील, श्री देशमुख ने कहा कि शिकायतकर्ता का वक्तव्य, संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला एथेवाडा को दो सप्ताह के भीतर अग्रेषित किया जाएगा। संपादक न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा को उक्त वर्तन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, किसी प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करना चाहिए। यह आदेश परिषद द्वारा इसके अनुसमर्थन पर पक्षकारों को भेजे गए पत्र की तारीख से प्रभावी होगा।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह उपर्युक्त टिप्पणियों और निदेशों के साथ इस शिकायत को समाप्त करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त टिप्पणियों और निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस और नैतिकता

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 18 **फ़ाइल संख्या 636/2021-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री फारुख अल्लारखिया
बांद्रा (पश्चिम), मुंबई,
महाराष्ट्र

प्रतिवादी

1. संपादक,
इंडिया अनबाउंड
ठाणे, महाराष्ट्र

2. श्री संदीप शिंदे,
रिपोर्टर, इंडिया अनबाउंड,
ठाणे, महाराष्ट्र

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 16.09.2021 को श्री फारुख अल्लारखिया, बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा इंडिया अनबाउंड समाचार पत्र के रिपोर्टर, श्री संदीप शिंदे के खिलाफ दिनांक 28 जून, 2021 से 4 जुलाई, 2021 तक के अंकों में **"म्हाड़ा और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण"** शीर्षक के तहत कथित रूप से एक फ़र्जी और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

समाचार में बताया गया था कि 25 जून, 2021 को बीएमसी वार्ड ए.जी.पी.ओ., अशफा बिल्डिंग के पास ठेकेदार, भवन मालिक और BMC, MHADA अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कुछ महीनों से अवैध निर्माण किए जा रहे थे। यह इमारत गिर गई और इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह बताया गया था कि यह अंदाज़ा लगाया गया है कि चार लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए, BMC, और MHADA को कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन उनके वाणिज्यिक / वित्तीय मुनाफ़ों के कारण, उन्होंने इस अवैध निर्माण को नहीं रोका।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह मुंबई में स्थित अशफा बिल्डिंग का मकान मालिक है। उन्होंने कहा है कि 'इंडिया अनबाउंड' के रिपोर्टर, श्री संदीप शिंदे ने, उनसे की गईं अपनी, अनुचित मांगों को पूरा नहीं करने पर उन्हें परेशान किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने के लिये परेशान कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक पुरानी इमारत होने के नाते, उनकी इमारत का एक छोटा सा हिस्सा, 25 जून, 2021 को ढह गया और इमारत की स्थिति को जानते हुए, उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) एक कमजोर हिस्से को खाली कर दिया और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवादी ने एक बेहद उत्तेजक और आक्रामक समाचार लेख प्रकाशित किया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें लगने का और 4 लोगों के मलबे के नीचे जिंदा दफन होने का दावा किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने सरकारी अधिकारियों (BMC, MHADA) पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस खबर को देश के कई प्रमुख समाचार चैनलों और मीडिया घरानों द्वारा कवर किया गया था और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई घायल नहीं हुआ है न ही कोई हताहत हुआ है, लेकिन श्री संदीप शिंदे ने एक बेहद उत्तेजक और आक्रामक समाचार प्रिंट किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 4 लोग मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वर्क ऑर्डर सरेंडर कर दिया है और तब से उनकी बिल्डिंग में कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन श्री संदीप शिंदे एक बार फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। शिकायतकर्ता ने 16.09.2021 को प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह श्री संदीप शिंदे को प्रेस की साख का दुरुपयोग करने और तथ्यों की पुष्टि किए बिना झूठी अतिरंजित खबरें प्रकाशित करने से रोके।

इंडिया अनबाउंड के रिपोर्टर, श्री संदीप शिंदे द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी, श्री संदीप शिंदे, रिपोर्टर, इंडिया अनबाउंड ने मुंबई में 18.4.2023 को सुनवाई के समय सौंपे गए अपने अदिनांकित उत्तर के माध्यम से कहा कि उक्त इमारत में अवैध निर्माण किए गए थे, इसलिए एक सच्चे नागरिक के रूप में उन्होंने 28 मई 2021 को शिकायत संख्या 0722589574 दर्ज करके, BMC, प्राधिकरण और MHADA से संपर्क किया और उक्त शिकायत का संज्ञान लेने के बाद, BMC, और MHADA अधिकारियों द्वारा उक्त परिसर में अवैध कार्य को पूरी तरह से रोक दिया गया। प्रतिवादी के अनुसार, इमारत परिसर खाली करने के लिए BMC और MHADA से शिकायत मिलने के बाद, किसी भी वाणिज्यिक और आवासीय लोगों ने परिसर खाली नहीं किया। कुछ दिनों के बाद सक्षम प्राधिकारी से कोई आदेश प्राप्त किए बिना अवैध निर्माण फिर से किए गए। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार द्वारा लाए गए मजदूर, जो परिसर के अंदर काम कर रहे थे, उक्त इमारत की पहली मंजिल पर रह रहे थे। 25 जून 2021 को उक्त इमारत का हिस्सा ढह गया और वे घटना को कवर करने और सही खबर प्राप्त करने के लिए वहां गये। अग्निशमन अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ हताहत हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया और मलबे के नीचे से कुछ शव भी निकाले गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जब वह पूरी खबर को कवर कर रहे थे, तो ठेकेदार द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया, जो उक्त परिसर में अवैध निर्माण कर रहे थे, उन्होंने सीधे उनके हाथों से सेल फोन छीन लिया और उनमें से 4 से 5 लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घटना के दौरान, BMC अधिकारी और फायर ब्रिगेड अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन वे स्थिति को संभालने में व्यस्त थे। सेल फोन छीनने वाले ने सभी वीडियो और छवियों को हटा दिया और इसे जमीन पर फेंक दिया और उन्होंने उसे भी जमीन पर धकेल दिया और मौके से भाग गए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्होंने परिसर के अंदर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत उठाकर BMC अधिकारियों से संपर्क किया, जिस पर BMC और MHADA दोनों ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और इमारत को सील कर दिया। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के बाद उन्होंने फिर से MHADA प्राधिकरण को एक पत्र लिखा कि प्राधिकरण द्वारा किस तरह का कार्य आदेश पारित किया गया था, जिस पर दो महीने बाद उन्होंने जवाब दिया, कि वर्क ऑर्डर रंग करने और प्लंबर का काम करने के लिए था और फिर जब उन्होंने MHADA प्राधिकरण से पूछा कि जब वर्क ऑर्डर केवल रंग करने और नलसाजी के काम के लिए था तो इमारत के बीम और कॉलम क्यों हटा दिये गए थे, जिसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है। प्रतिवादी ने कहा है कि उक्त परिसर के एनओसी धारक ने गलत इरादे से गामदेवी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और उसके खिलाफ झूठी मौखिक शिकायत दर्ज की और उस पर अनौपचारिक रूप से अपनी लिखित शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला, जिससे उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इमारत और पूरी संपत्ति बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की है और शिकायतकर्ता उक्त परिसर का कानूनी मकान मालिक नहीं है और इमारत के निर्माण के दौरान, MHADA अधिकारियों ने श्री सलमान अल्ताफ पोरबंदरवाला और श्री जयानंद डी शेट्टी को एनओसी धारक बनाया था, न कि

शिकायतकर्ता को। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि उसने कानूनी तरीके से और आरटीआई के उचित माध्यम से, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कई शिकायतें दर्ज की हैं और कोई भी पत्र या शिकायत, शिकायतकर्ता को संबोधित नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता शिकायतों का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसने किसी भी तरह शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया है और उसने कभी भी शिकायतकर्ता का नाम भी नहीं सुना है। इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप फर्जी, निराधार और निर्मम हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने अपने अखबार में जो कुछ भी छापा है, वह फायर ब्रिगेड अधिकारियों से प्राप्त पत्र के अनुसार है, जो घटना के दिन मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि उनके पास सभी पत्र, संबंधित अधिकारियों के जवाब, शिकायतें, वीडियो, चित्र और घटना से संबंधित अन्य दस्तावेज हैं। उनका उद्देश्य केवल परिसर में की गई अवैध गतिविधि को उजागर करना था।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से किसी के पेश नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से फिर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी, श्री संदीप शिंदे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं है। पिछली बार भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इसलिए अनुपस्थिति के कारण जांच समिति परिषद से शिकायत खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

स्वः प्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 19 **फ़ाइल सं. 2/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई**

दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में आया है कि दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा दिनांक 14.7.2020, 18.7.2020, 19.7.2020, 21.7.2020, 27.8.2020 के अंकों में विभिन्न अश लील और असभ्य विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जो प्रथम दृष्टया पत्रकारिता के आचरण के मानक -2022 के मानक-2 (iv), (v) और (xiv) अर्थात्, "विज्ञापन" का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जो इस प्रकार पठनीय है:-

2(iv) "जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (2002 में संशोधित) या किसी अन्य कानून के उपबंधों का उल्लंघन करें, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।"

2(v) "समाचारपत्रों को ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकानूनी या अवैध हो, या सार्वजनिक शालीनता, सदृची सद्रुचि या पत्रकारिता नीति या औचित्य के विपरीत हो |"

2(xiv) "गुप्त प्रलोभन के संकेतक, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन, कानून के साथ-साथ आचारनीति का भी उल्लंघन करते हैं। समाचारपत्र को इस तरह के विज्ञापन की जांच के लिए एक तंत्र अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रलोभानकारी विज्ञापन न दिये जाएं।"

(प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक भास्कर द्वारा भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन 07.09.2020 और 20.01.2021 के बीच भी परिषद के संज्ञान में आया था)।

कोई उत्तर नहीं

परिषद ने मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और दैनिक भास्कर के संपादक को चंडीगढ़ तथा नई दिल्ली के पते पर दिनांक 20.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए। नई दिल्ली के पते पर जारी कारण बताओ नोटिस डाक अधिकारियों से लौट आया है, जिस पर टिप्पणी "Left" लिखी हुई है। इसके बाद, इसे 28.12.2020 को प्रतिवादी को ईमेल किया गया, लेकिन 20.1.2021 को समयबद्ध अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला।

इसके अलावा, परिषद के संज्ञान में आया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने अपने दिनांक 20.1.2022, 22.1.2022, 28.1.2022, 31.1.2022, 3.2.2022, 1.4.2022, 2.4.2022, 6.4.2022, 12.4.2022, 19.4.2022, 20.4.2022, 22.4.2022, 23.4.2022, 26.4.2022, 29.4.2022 और 30.04.2022 के अंकों में निरंतर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री निर्मल मिश्रा द्वारा किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में आया है कि दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा दिनांक 14.7.2020, 18.7.2020, 19.7.2020, 21.7.2020, 27.8.2020 के अंकों में विभिन्न अश्लील और असभ्य विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जो प्रथम दृष्टया पत्रकारिता के आचरण के मानक -2022 के मानक-2 (iv), (v) और (xiv) अर्थात्, विज्ञापन का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जो इस प्रकार पठनीय है:-

2(iv) *"जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (2002 में संशोधित) या किसी अन्य कानून के उपबंधों का उल्लंघन करें, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।"*

2(v) *"समाचारपत्रों को ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकानूनी या अवैध हो, या सार्वजनिक शालीनता, सद्रुची सद्रुचि या पत्रकारिता नीति या औचित्य के विपरीत हो।"*

2(xiv) *"गुप्त प्रलोभन के संकेतक, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन, कानून के साथ-साथ आचारनीति का भी उल्लंघन करते हैं। समाचारपत्र को इस तरह के विज्ञापन की जांच के लिए एक तंत्र अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रलोभानकारी विज्ञापन न दिये जाएं।"*

वे औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3 (एच) का भी उल्लंघन करते हैं। इसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

3. ***कुछ रोगों और विकारों की चिकित्सा के लिए कुछ औषधियों के विज्ञापन का प्रतिषेध-*** *इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जिसमें किसी औषधि के प्रति निर्देश, ऐसे शब्दों में किया गया है जिनसे यह धारणा बनती है या यह प्रकल्पित है कि वह औषधि निम्नलिखित के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है,-*

(क) स्त्रियों का गर्भपात कराना अथवा स्त्रियों में गर्भधारण का निवारण; अथवा

(ख) लैंगिक आनन्द के लिए मनुष्यों की क्षमता बनाए रखना या उसे बढ़ाना; अथवा

(ग) स्त्रियों के ऋतुस्त्राव विकारों को ठीक करना; अथवा

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग, विकार या दशा का, अथवा किसी ऐसे अन्य रोग, विकार या दशा (उसे चाहे जो कहा जाए) का, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, निदान, रोगमुक्ति, उसमें कमी करना या उसकी चिकित्सा या निवारण।

दैनिक भास्कर को नोटिस जारी किए गए थे, हालांकि, दैनिक भास्कर द्वारा कोई जवाब दर्ज नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर के अधिवक्ता, श्री निर्मल मिश्रा आज उपस्थित हैं। उनका कहना है कि

यह सच है कि वास्तव में इस तरह के विज्ञापन दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने जांच समिति को आश्वस्त करने की कोशिश की कि भविष्य में इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे और प्रकाशक एवं संपादक द्वारा इस संबंध में एक वचनबंध दिया जाएगा। जांच समिति की राय में इस तरह के वचनबंधों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। जांच समिति ने इससे पहले दैनिक भास्कर के इसी तरह के वचनबंध को स्वीकार किया था, जब उसने टेली-फ्रेंडशिप, विज्ञापन प्रकाशित किये थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दैनिक भास्कर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दैनिक भास्कर ने यह विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए होते अगर वचनबंध ने दैनिक भास्कर को समझदार बना दिया होता, तो परामर्शदाता ने आग्रह किया कि वचनबंध देने के लिए अंतिम अवसर दिया जाए। समिति ऐसा अवसर देने की इच्छुक नहीं है। कुछ विज्ञापनों में लंबाई बढ़ाने का वादा किया गया है। इस बारे में कोई विचार नहीं दिया गया है कि दवा की सामग्री क्या है और इसे कहां निर्मित किया जाता है। इसका पता नहीं है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इस दवा को कोई मंजूरी दी है या नहीं। इसी तरह अन्य विज्ञापन भी हैं, जिनमें अश्लील, अभद्र यौन भावनाएं झलकती हैं। ये पूरी तरह से भ्रामक विज्ञापन हैं और यह संभव है कि वे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। ये विज्ञापन, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कुछ विज्ञापन नीचे दिए गए हैं:-

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि भारतीय प्रेस परिषद ने बार-बार समाचारपत्रों का ध्यान, पत्रकारिता के आचरण के मानकों के उपर्युक्त मानकों की ओर आकर्षित करते हुए आदेश पारित किए हैं और उन्हें आगाह किया है कि उन्हें अश्लील, अभद्र और भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए, फिर भी वें समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करते जा रहे हैं। यह जनहित के प्रति पूरी तरह उदासीनता को दर्शाता है। समाचारपत्रों का लोगों के प्रति कर्तव्य है। लोगों के जीवन में उनकी बड़ी भूमिका होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है की वे मूल्यवान जानकारी पहुँचाए, ताकि उनके दिमाग को समृद्ध बनाया जा

सके। उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। कुछ समाचारपत्रों ने इन प्रसिद्ध सिद्धांतों को अपनी सोच से मिटा दिया है। आदर्श रूप से, उनके पास एक तंत्र होना चाहिए, जिससे ऐसे विज्ञापनों को हटा दिया जाए। हर किसी को लगेगा कि क्या इन अखबारों पर घटिया व्यापार का कब्जा हो गया है। यदि ऐसा होगा, तो यह समाचारपत्र उद्योग के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है।

इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण की **परिनिंदा** करने की संस्तुति करती है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा प्रतिवादी समाचारपत्र "दैनिक भास्कर", दिल्ली संस्करण की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 20 **फ़ा. न.1641/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई**

दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वत: संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण के दिनांक 9.6.2020 के अंक में "बार-बार हो रही दाद को मिटाने के लिए सपट लोशन सबसे अच्छा इलाज" शीर्षक के तहत समाचार के रूप में प्रकाशित एक विज्ञापन पर गौर किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बार-बार होने वाले दाद को ठीक करने के लिए सपट लोशन सबसे अच्छा उपचार है। 120 साल पुराना सपट डॉक्टर स्किन लोशन प्रभावी रूप से बीमारी को ठीक करता है। इसकी उत्प्रेरक क्रिया, मृत त्वचा को पूरी तरह से हटा देती है।

इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र को दिनांक 30.06.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जांच समिति द्वारा इस मामले की सुनवाई 11.12.2020, 19.2.2021, 20.9.2022 और 14/15.12.2022 को की गई।

जांच समिति ने 15.12.2022 की अपनी बैठक में दैनिक भास्कर को, निदेश दिया कि वह दैनिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, निम्नलिखित वचनबंध दाखिल करे:

वचनबंध

1. *"जैसा कि भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को निदेशित किया गया है, प्रतिवादी शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का वचन देगा। शुद्धिपत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और अनुलग्नक-1 के रूप में अंकित की गई है।*
2. *कि यह निवेदन प्रामाणिक और न्याय हित में किया गया है।*
3. *यह कि प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कि ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, अर्थात इसका अर्थ यह है कि समाचार के रूप में ऐसे विज्ञापन, भविष्य में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।"*

समिति दैनिक भास्कर को आगे निदेश देती है कि वह दैनिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित शुद्धिपत्र दाखिल करे।

शुद्धिपत्र

"दैनिक भास्कर के 09.06.2020 को नई दिल्ली संस्करण के पृष्ठ 4 पर समाचार के रूप में प्रकाशित विज्ञापन के लिए शुद्धिपत्र"

एक समाचार के रूप में एक औषधीय तैयारी सपट लोशन, के लिए एक विज्ञापन, अनजाने में उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था, जैसा कि समाचार के प्रकाशन के लिए निर्धारित किया गया है। दैनिक भास्कर संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का समर्थन

नहीं करती है और अपने पाठकों को सूचित करना चाहती है कि वे उपर्युक्त तैयारी के संबंध में अपनी व्यक्तिगत पसंद को हिसाब से चयन करें। इस प्रकार का प्रकाशन माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के मानको के विरुद्ध है। यह शुद्धिपत्र माननीय भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा दिनांक 14.12.2022 को मामला सं. 1641/2020/एसएम/ए में पारित आदेश के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

दैनिक भास्कर द्वारा यह भी आश्वासन दिया जाता है कि इस तरह के विज्ञापन समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

जांच समिति ने चार सप्ताह के भीतर वचनबंध और शुद्धिपत्र दाखिल करने के निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

प्रतिवादी से प्राप्त पत्र

जांच समिति के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी के अधिवक्ता, श्री अहमद खान और त्रेहान ने अपने दिनांक 18.3.2023 के पत्र के माध्यम से जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को पारित निदेश के संदर्भ में, दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक, श्री कुलदीप व्यास के वचनबंध की प्रति प्रस्तुत की।

दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक, श्री कुलदीप व्यास ने दिनांक 13.2.2023 के अपने वचनबंध में आश्वासन दिया है कि ऐसे विज्ञापन समाचार के रूप में भविष्य में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने 20.12.2022 को समाचारपत्र के पृष्ठ 4 पर इस संबंध में प्रकाशित शुद्धिपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है;

खेद प्रकाश

"9 जून 2020 को दैनिक भास्कर में सपट लोशन का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसका फारमेट भारतीय प्रेस परिषद के मानदंडों के आधार पर सहीं नहीं था, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं।"

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने शुद्धिपत्र का अवलोकन किया और उनकी राय यह थी कि समाचारपत्र में प्रकाशित शुद्धिपत्र, जांच समिति के निदेश के अनुरूप नहीं है। भविष्य में इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आश्वासन शुद्धिपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनजाने में प्रकाशित किये जाने का संदर्भ भी नहीं दिया गया है। 'सपट लोशन' की प्रभावकारिता के समर्थन और पाठकों की पसंद का संदर्भ भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार उक्त शुद्धिपत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए, प्रतिवादी को परिषद के दिनांक 8.5.2023 के पत्र के माध्यम से, जांच समिति के निदेश के अनुसार, समुचित शुद्धिपत्र प्रकाशित करने और परिषद को इसकी एक प्रति भेजने के लिए कहा गया।

प्रतिवादी से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी समाचारपत्र, "दैनिक भास्कर" के परामर्शदाता, अहमद खान और त्रेहान ने दिनांक 19.6.2023 के अपने पत्र के माध्यम से 14-15 दिसंबर, 2022 को पारित जांच समिति के निदेश के संदर्भ में, दैनिक भास्कर द्वारा दिनांक 19.5.2023 के अंक में प्रकाशित शुद्धिपत्र की एक प्रति अग्रेषित की है, जो इस प्रकार है:

शुद्धिपत्र

"दैनिक भास्कर के 09.06.2020 को नई दिल्ली संस्करण के पृष्ठ 4 पर एक समाचार के रूप में प्रकाशित विज्ञापन के लिए शुद्धिपत्र।"

औषधीय तैयारी के लिए एक विज्ञापन, सपट लोशन एक समाचार आइटम के रूप में अनजाने में उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था, जैसा कि समाचार वस्तुओं के प्रकाशन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। दैनिक भास्कर की संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का समर्थन नहीं करती है और अपने पाठकों को सूचित करना चाहती है कि वे माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के अपने व्यक्तिगत मानको का प्रयोग करें। यह शुद्धिपत्र माननीय भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को फ़ाइल सं. 1641/2020/एसएम/ए में पारित आदेश के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 26.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व इसके अधिवक्ता, श्री अविनाश शुक्ला और सुश्री फरिहा ए खान ने किया।

15.12.2022 को जांच समिति द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसमें दैनिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन बंध प्रस्तुत किया गया था। दैनिक भास्कर को निदेश दिया गया था कि वह दैनिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शुद्धिपत्र दाखिल करें। शुद्धिपत्र निम्नानुसार पठनीय था: –

"एक समाचार आइटम के रूप में एक औषधीय तैयारी, सपट लोशन के लिए एक विज्ञापन अनजाने में उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था जो समाचार वस्तुओं के प्रकाशन के लिए निर्दिष्ट है। दैनिक भास्कर संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का समर्थन नहीं करती है और अपने पाठकों को उपर्युक्त तैयारी के संबंध में अपनी व्यक्तिगत पसंद का उपयोग करने के लिए सूचित करना चाहती है। इस प्रकार का प्रकाशन माननीय भारतीय प्रेस परिषद

द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानको के विरुद्ध है। यह शुद्धिपत्र माननीय भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा दिनांक 14.12.2022 को एफ.एन.1641/2020/एसएम/ए में पारित आदेश के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

दैनिक भास्कर द्वारा यह भी आश्वासन दिया जाता है कि समाचार के रूप में इस तरह के विज्ञापन भविष्य में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

चूंकि शुद्धिपत्र निदेशानुसार प्रकाशित नहीं किया गया था, इसलिए सचिवालय ने दैनिक भास्कर के संपादक को एक पत्र लिखकर दैनिक भास्कर को 08.05.2023 को जांच समिति द्वारा दिए गए निदेश के बारे में याद दिलाया । इसके बाद 19 मई 2023 को एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया है। इसकी एक प्रति जो हमें दिखाई गई है, उसे रिकॉर्ड पर 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है। इसे देखते हुए जांच समिति परिषद से इस मामले को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 21-22 **फ़ाइल संख्या एसएम /3/जून/2021-ए-पीसीआई & एसएम/जून/5/2021-ए-पीसीआई**

दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

1. भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक जागरण के दिनांक 10.06.2020 और 16.06.2021 के अंको में निम्नलिखित शीर्षको के तहत प्रकाशित दो फ्रंट पेज सामग्री पर गौर किया:

(1) ***"ग्राफिक एरा की मैत्री को गूगल में 54.80 लाख", "डिग्री तक ही नहीं सिमटा है रिस्ता","दुनिया को ग्राफिक एरा का तोहफा, टाईफाईड की जाँच को नई टेक्नालजी का आविष्कार","ग्राफिक एरा का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल इसी माह", एक नई पहल, छात्र-छात्राओ को विमानों से घर भेजा", "टाप सौ की सूची में उत्तराखंड की अकेली यूनिवरसिटि है ग्राफिक एरा" और "ग्राफिक एरा में प्रवेश शुरु" और***

(2) ***"जीवन और जीविका बचाने को लेकर कर्नाटक सरकार गंभीर". "किसान, माली, मजदूर और कामगारों को सरकार ने दी आर्थिक मदद", "राहत पैकेज में राज्य ने रखा सबका ख्याल","अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्थित", "उत्तर कर्नाटक ने कोरोना वाइरस से व्यवस्थ डंग से लड़ाई लढ़ी" और "दक्षिण कर्नाटक के जिलों की स्थिति को बेहतर बनाए रखने पर ज़ोर".***

उपर्युक्त सामग्री, पत्रकारिता के आचरण के मानक 2 (xxvi) जिसमें कहा गया है कि "समाचारपत्रों को समाचार जैसे विज्ञापन प्रकाशित करते समय, उन्हें बड़े अक्षरों में 'विज्ञापन' शीर्षक के साथ मुद्रित करना होगा, जिसका फॉन्ट साइज पृष्ठ पर आने वाले उपशीर्षकों के बराबर हो" का उल्लंघन करती है।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 23.06.2021 को संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। (फाइल नंबर) एसएम/3/जून/2021-ए-पीसीआई में)

2. भारतीय प्रेस परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान भी लिया जब इसने गौर किया कि दैनिक जागरण, नई दिल्ली संस्करण ने 18.06.2021 के अपने अंक में ***"तीसरी लहर से बचाने को बच्चों के लिए दवा किट जिलों में की रवाना"*** शीर्षक के तहत समाचार के रूप में फिर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया।

समाचार लेख में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों और किशोरों को बचाने के लिए 50 लाख दवा की किट जिलों में भेजी। माननीय मुख्यमंत्री ने 5 कालीदास मार्ग स्थित अपने आवास से दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों और कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी उत्तर प्रदेश में बेहतर कोविड प्रबंधन की प्रशंसा की है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किए गए अच्छे कार्य का प्रमाण है।

यह विज्ञापन राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के काम को बढ़ावा दे रहा था। प्रकाशित सामग्री प्रथम दृष्टया, पेड विज्ञापनों का संकेत देती है, जिन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार, पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020 के मानक -2 "विज्ञापन" के खंड (i) और खंड (xxvi) का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि "वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जानकारी के रूप मे जानकारी के समान ही होते है। और भी, विज्ञापन दृष्टिकोण और जीवन के तरीकों को कम से कम उतना ही आकार देते है जितना कि अन्य प्रकार की जानकारी और टिप्पणी। पत्रकारिता के औचित्य की मांग है कि विज्ञापनों को समाचारपत्र में प्रसारित सामग्री से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए" और "समाचार

के समान विज्ञापन/विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचारपत्रों को क्रमशः मोटे अक्षरों में 'विज्ञापन/ विज्ञापन' शीर्षक के साथ मुद्रित किया जाना चाहिए, जिसका फ़ॉन्ट आकार पृष्ठ में दिखाई देने वाले उप शीर्षकों के बराबर हो।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 28.06.2021 (एसएम/जून/5/2021-ए-पीसीआई) को दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लिखित वक्तव्य

परिषद के दिनांक 23.06.2021 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी संपादक ने अपने दिनांक 21.07.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि दैनिक जागरण के दिनांक 10.06.2021 के अंक में आक्षेपित विज्ञापन को पूरक के रूप में प्रकाशित किया गया था, यह समाचारपत्र का पहला पृष्ठ नहीं था जैसा कि उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त विज्ञापन एक अतिरिक्त पृष्ठ था और यह अलग-अलग फ़ॉन्ट और शैली में था, जो स्पष्ट रूप से समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों और रिपोर्टों से अलग था। संदेश का शीर्षक लाल रंग में मुद्रित किया गया था, जिससे यह अन्य पृष्ठों पर प्रकाशित बाकी समाचार रिपोर्टों से अलग था। उन्होंने आगे कहा कि इसे विज्ञापन के रूप में और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए कॉलम को रंगीन यानी पीले रंग में प्रस्तुत किया गया था और सभी सामग्री ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय से संबंधित थी, जिससे यह विशिष्ट विज्ञापन बन गया। उन्होंने कहा है कि रंग संयोजन, फ़ॉन्ट और प्रस्तुति की शैली सहित पृष्ठ पूरे के रूप में यह पाठकों के लिए अलग और विशिष्ट बन जाता है। उन्होंने कहा है कि इसे समाचार लेखों/रिपोर्टों से अलग बनाने के लिए पृष्ठ के निचले भाग में "विज्ञापन" शब्द भी डाला गया था प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि दैनिक जागरण के दिनांक 16.06.2021 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित कर्नाटक सरकार से संबंधित विज्ञापन को फीचर के रूप में प्रकाशित किया गया था और यह भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के अनुरूप विपणन पहल का हिस्सा था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी अभियानों की विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, फिल्म, सांस्कृतिक मामलों के साथ-साथ समसामयिक मामलों आदि के इच्छित सामग्री या संदेश का व्यापक संभव कवरेज सुनिश्चित करना था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि आपेक्षित रिपोर्ट/विज्ञापन, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा भारत सरकार की उपर्युक्त प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के संदर्भ में जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने समाचारपत्रों के माध्यम से विषय-वस्तु और/अथवा संदेशों से मुक़ाबला करने के लिए अभियान शुरू किया और बीओसी के माध्यम से विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन जारी किए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आपेक्षित विज्ञापन के लिए क्रिएटिव प्रस्तुत किए गए थे और नीति के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुमोदित भी किया गया था और इसे उनके समाचारपत्र द्वारा फुट-नोट के साथ "विशेष पहल" के रूप में प्रकाशित किया गया था ताकि इसे अन्य समाचार रिपोर्टों से अलग

और पृथक किया जा सके और तदनुसार, परिषद द्वारा निर्धारित मानको को ध्यान में रखते हुए शैली, फ़ॉन्ट और कॉलम को संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा है कि पृष्ठ के शीर्ष पर रंगीन नक्शे, कर्नाटक राज्य के लिए कोरोना से संबंधित विशिष्ट सामग्री का फ़ॉन्ट और संकलन जैसी विशेषताएं, जो एक पृष्ठ पर पूरक/विशेष संस्करण के रूप में लिखी गई हैं, रिपोर्ट को पाठक के लिए विशिष्ट और सुविधाजनक बनाती हैं। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी से भूल यह हुई थी कि विपणन टीम को कुछ गलतफहमी होने के कारण "जागरण विशेष पहल" और "विज्ञापन" शब्द, उप-शीर्षकों के फोंट में नहीं लिखे गए थे और ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहने का वचनबंध है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि लिए गए स्व: प्रेरणा से संज्ञान को वापस ले/कार्रवाई बंद कर दे।

परिषद के दिनांक 28.06.2021 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 23.08.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से कहा कि आपेक्षित विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीसी के माध्यम से जारी एक पूर्ण-पृष्ठ विज्ञापन था, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 की स्थिति को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जनता को बड़े पैमाने पर सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जिस लेख के जवाब में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वह वास्तव में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन का एक हिस्सा है और वह अपने आप में एक खबर नहीं है। उक्त पृष्ठ, विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया गया है और समाचार-सामग्री से इसे अलग करने के लिए, फ़ॉन्ट, शैली और रंग संयोजन को बदलने के अलावा "IMPACT FEATURE" शब्द लिखे गए थे। उन्होंने कहा है कि लागू विज्ञापन, विपणन पहल का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के अनुरूप है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, प्रिंट मीडिया द्वारा सरकार के अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य समाचारपत्रों और वर्तमान मामलों के साथ-साथ विज्ञान के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से इच्छित सामग्री या संदेश का व्यापक संभव कवरेज सुनिश्चित करना है। कला, साहित्य, खेल, फिल्में, सांस्कृतिक मामले, आदि। प्रतिवादी ने कहा है कि इस प्रकार लागू किए गए विज्ञापन के लिए क्रिएटिव प्रस्तुत किए गए थे और नीति के अनुसार संबंधित अधिकारियों से अनुमोदित किए गए थे और इसे समाचारपत्र द्वारा फुट-नोट के साथ "इम्पैक्ट फीचर" के रूप में प्रकाशित किया गया था ताकि इसे अन्य समाचार रिपोर्टों से अलग किया जा सके और तदनुसार, शैली, फ़ॉन्ट और कॉलम को परिषद द्वारा निर्धारित मानको को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कोरोना से संबंधित सामग्री एक ही पृष्ठ पर पूरक/विशेष संस्करण के रूप में लिखी गई है, जो रिपोर्ट को पाठकों के लिए विशिष्ट और सुविधाजनक बनाती है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी की ओर से विचलन इस आशय का है कि "इम्पैक्ट फीचर" और "विज्ञापन" शब्द उप-शीर्षक के फोंट में नहीं लिखा गया, जो कि विपणन टीम की

ओर से गलतफहमी के कारण हुआ और जानबूझकर नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उसने पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं कि परिषद द्वारा जारी मानको का शब्दों और भावना में पालन किया जाए। प्रतिवादी भविष्य में अधिक सतर्क रहने का वचनबंध देता है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 14.12.2022 को और बाद में 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

श्री बी.के. मिश्रा, अधिवक्ता, श्री कपिल यादव, अधिवक्ता, श्रीमती पूनम अतेय, अधिवक्ता जांच समिति के समक्ष प्रतिवादी, दैनिक जागरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

प्रेस परिषद द्वारा इन दोनों मामलों में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया गया, क्योंकि दैनिक जागरण ने अपने दिनांक 10.06.2020 और 16.06.2021 के अंकों में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित किए थे। दिनांक 14.12.2022 के आदेश में, जांच समिति ने दैनिक जागरण के परामर्शदाता द्वारा दिए गए वक्तव्य को स्वीकार कर लिया था कि दैनिक जागरण के जिम्मेदार अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबंध चार सप्ताह के भीतर भारतीय प्रेस परिषद में दर्ज़ किए जाएंगे। इन वचनबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विवेचित किया जाएगा कि दैनिक जागरण यह स्वीकार करता है कि उसने समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित किए थे और वह भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। वक्तव्य के अनुसार, वचनबंध दाखिल नहीं किए गए थे। इसलिए इस चूक के लिए दैनिक जागरण को पत्र भेजे गए।

आज, परामर्शदाता ने दो वचनबंध दर्ज़ किए हैं जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया है और 'ए' और 'बी' चिह्नित किया गया है। चूंकि, वचनबंध दर्ज़ किए जा चुके हैं, जांच समिति परिषद से दैनिक जागरण को यह चेतावनी देने के साथ कि यदि वचनबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मामलों को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा दैनिक जागरण को **चेतावनी** एवं उपर्युक्त निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 23 **फ़ाइल संख्या 14/524/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता **प्रतिवादी**

श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, संपादक,
जयपुर मुंबई मिरर,
राजस्थान। मुंबई।

तथ्य

यह शिकायत श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर, राजस्थान द्वारा संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के खिलाफ विज्ञापनदाताओं, जिनके क्लासीफाइड विज्ञापन मुंबई मिरर में दिये गये थे, के आवासीय/ कार्यालय / कार्यस्थल के पते से संबंधित कुछ जानकारी के बिना क्लासीफाइड विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए दर्ज की गई थी।

इसके अलावा 10.12.2019 के पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा प्रबंधित प्रतिवादी "मुंबई मिरर" ने 5.11.2019 के अपने अंक में निम्नलिखित क्लासीफाइड विज्ञापन (अंशकालिक नौकरियाँ) प्रकाशित किए:

1. Somya Part Time Job (Regd.) Req Male Earn upto 12,000 daily. All Mumbai
2. Ruchika Partime Co. (Regd.) All Maharashtra Earn 7000-12000 daily Req Male only
3. Mansi Job (Regd. 2011) Req Male full-part time job Earn 10000-15000 daily Mumbai
4. Amisha Part Time Job Earning 15000/- to 20000/- daily. Only male all India part time job available surely

शिकायतकर्ता के अनुसार, तार्किक प्रस्तुतियों और टेलीफोन पर बातचीत के साथ मेल के माध्यम से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादी ने इस मामले में ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जो अस्वीकरण खंड में विज्ञापनदाता की सलाह के अनुसार विज्ञापनदाता या व्यक्ति को पैसे भेजने या संपर्क करने से पहले विज्ञापनदाताओं की क्रेडेंशियल्स, वास्तविकता और उनके अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए बहुत आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि इस तरह की जानकारी का एकमात्र स्रोत "मुंबई मिरर" ही है, क्योंकि किसी भी विज्ञापनदाता, जिनका संदर्भ दिया गया है, ने विज्ञापनों में उचित पहचान के लिए अपना पता आवासीय / कार्यालय / कार्यस्थल का उल्लेख नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि दिए गए नंबरों पर कॉल करने पर संबद्ध व्यक्ति

अपनी योजना और बैंक खाता संख्याओं के विवरण, जिसमें पैसा जमा किया जाना है, के बारे में बोलने के अलावा कोई जानकारी नहीं देते हैं। दूसरी ओर, उनकी बातचीत / योजना / प्रस्ताव आदि स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी, अनैतिक, धोखेबाज़ी के साथ गैरकानूनी, धोखा देने वाले रवैये और एक आम आदमी की अपेक्षा और कल्पना से परे है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी को विज्ञापनदाताओं की पूरी जानकारी प्रदान करने और भावी प्रकाशन के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार मानकों का पालन करने का निदेश दे।

10.2.2020 को संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज जवाब

प्रतिवादी के अधिवक्ता,, श्री आकाश नागर ने 30.3.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया कि मुद्रित विज्ञापनों की सामग्री या विज्ञापनदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी की प्रामाणिकता में समाचारपत्र की कोई भूमिका नहीं है। उनके अनुसार, अखबार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि संबद्ध सामग्री, देश के कानून का उल्लंघन न करे। इस प्रकार के विज्ञापन, देश के लगभग सभी प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित/प्रकाशित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि विज्ञापनदाता ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो अवैध है या जो उन्होंने विज्ञापन दिया है, वह कानून के विपरीत है, तो वे स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हैं और समाचारपत्र या समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कंपनी को विज्ञापनदाता के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि समाचारपत्र या कंपनी का ऐसे कार्यों / गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि एक समाचारपत्र को हर दिन, विभिन्न कॉलम के तहत, सैकड़ों विज्ञापन प्राप्त होते हैं, जो उसमें मुद्रित/प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार उनकी सत्यता की जांच करना और ये विज्ञापन किस उद्देश्य से जारी किए जा रहे हैं इसकी जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसके अलावा, ऐसा कोई कानून नहीं है, जो समाचारपत्र को विज्ञापन लेने या अस्वीकार करने का अधिकार देता है, जब तक कि विज्ञापन में देश के किसी भी कानून का उल्लंघन न किया गया हो या किसी अदालत या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से उसे निषिद्ध न किया गया हो। समाचारपत्र को ग्राहक/विज्ञापनदाता के विनिदेश के अनुसार विज्ञापन देना होता है, और उसमें मौजूद सामग्री में समाचारपत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके अनुसार, एक जिम्मेदार समाचारपत्र के रूप में इसमें अस्वीकरण दिया गया है, हालांकि ऐसा करने के लिए कानून के तहत कोई बाध्य नहीं है। उक्त अस्वीकरण समाचारपत्र में एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में और इसके मूल्यवान पाठकों को सावधान करने के लिए दिया गया है। उक्त अस्वीकरण, माननीय परिषद के सुलभ संदर्भ के लिए नीचे टाइप किया गया है: "पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे पैसे भेजने, कोई भी खर्च उठाने, चिकित्सा सिफारिशों पर कार्य करने या प्रवेश करने, चिकित्सीय परामर्श पर कार्य करने या इस प्रकाशन में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता से

पहले समुचित पूछताछ करें और उचित सलाह लें। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनदाताओं द्वारा किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, प्रकाशन के प्रिंटर, प्रकाशक, संपादक और मालिकों को किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, यदि विज्ञापनदाताओं द्वारा ऐसे दावों का सम्मान नहीं किया जाता है।" प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत विज्ञापन, अंशकालिक नौकरियों के बारे में हैं जो किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं और किसी भी प्राधिकरण या अदालत द्वारा कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किया गया है कि उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता है या पूरे पते के साथ ही प्रकाशित किया जाना चाहिए। समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन अंशकालिक नौकरियों के लिए विज्ञापन देता है, और यदि विज्ञापनदाता, जैसाकि वर्तमान मामले में है, अंशकालिक नौकरी के लिए विज्ञापन देता है और कथित तौर पर कोई नौकरी न देकर या पैसे मांगकर धोखाधड़ी कर रहा है, तो यह एक दांडिक अपराध है और इसकी पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता है, उनके अखबार का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही अखबार को ऐसी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त विज्ञापनदाताओं को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसा कि टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, [एआईआर 1995 एससी 2438] में भी निर्णय दिया गया है और इन विज्ञापनों के खिलाफ किसी भी अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है न ही विज्ञापन में कुछ भी अवैध उल्लेख किया गया है। इसलिए, विज्ञापनदाता द्वारा किए गए किसी भी अवैध काम के लिए अखबार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अंशकालिक नौकरियाँ देने वाले सही विज्ञापनदाता भी हैं और उनके विज्ञापनों को न दिये जाने से अंशकालिक नौकरियाँ पाने में रुचि रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर पायेंगे। उन्होंने कहा है कि समाचारपत्र, एक जांच एजेंसी नहीं है और यह जांच, समाचारपत्र के बजाय जांचकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सबसे अच्छी तरह से की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि यदि विज्ञापनदाता, समाचारपत्र में वैध विज्ञापन के बाद किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, तो वे स्वयं उत्तरदायी हैं, न कि समाचारपत्र। उन्होंने परिषद से इस मामले में कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता-श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर ने दिनांक 22.6.2023 को अपनी बिंदुवार प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपने आरोपों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य, तर्कहीन और विशिष्ट तथ्यों तथा सबूतों के समर्थन के बिना है और यह स्वीकार्य नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि इस तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन से 'मानव तस्करी' कि जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रकाशित 'अस्वीकरण' समाचारपत्र को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा कर सकता।

जांच समिति द्वारा इस मामले की सुनवाई 18.2.2021 को और उसके बाद 17.4.2023 को की गई।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व, उसके अधिवक्ता, श्री आकाश नागर ने किया।

यह शिकायत मुंबई मिरर के संपादक के खिलाफ विज्ञापनदाताओं के आवासीय/ कार्यालय / कार्य स्थल से संबंधित जानकारी के बिना क्लासीफाइड विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। दिनांक 10.12.2019 के पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा प्रबंधित प्रतिवादी, मुंबई मिरर ने 5.11.2019 के अपने अंक में निम्नलिखित क्लासीफाइड विज्ञापन (अंशकालिक नौकरियाँ) प्रकाशित किए।

1. Somya Part Time Job (Regd.) Req Male Earn upto 12,000 daily. All Mumbai
2. Ruchika Partime Co. (Regd.) All Maharashtra Earn 7000-12000 daily Req Male only
3. Mansi Job (Regd. 2011) Req Male full-part time job Earn 10000-15000 daily Mumbai
4. Amisha Part Time Job Earning 15000/- to 20000/- daily. Only male all India part time job available surely

शिकायतकर्ता के अनुसार, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी, प्रतिवादी ने विज्ञापनदाताओं के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया है। विज्ञापनदाताओं, जिनका संदर्भ दिया गया है, में से किसी ने भी विज्ञापनों में अपने उचित पहचान पते/आवासीय/कार्यालय/कार्यस्थल का उल्लेख नहीं किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दिए गए नंबरों पर कॉल करने पर संबद्ध व्यक्ति अपनी योजना और बैंक खाते के विवरण, जिसमें पैसा जमा किया जाना है, के बारे में बोलने के अलावा कोई जानकारी नहीं देता है। फोन पर उनकी बातचीत, उनकी योजना, उनके प्रस्ताव स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी, अनैतिक, गैरकानूनी हैं। शिकायतकर्ता ने प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी को विज्ञापनदाताओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए मानकों का पालन करने का निदेश दे। शिकायतकर्ता का पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 2 (xxvii) पर भरोसा है।

प्रतिवादी की ओर से श्री आकाश नागर, अधिवक्ता, उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने विस्तृत जवाब दर्ज किया है। संक्षिप्त जवाब के अनुसार प्रतिवादी का कहना है कि उसने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रतिवादी, शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। विज्ञापनों की निगरानी विज्ञापन विभाग द्वारा की जाती है, न कि संपादक द्वारा। समाचारपत्र

को विज्ञापनों से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिससे समाचारपत्र की लागत कम रहती है और यह बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचता है। समाचारपत्र की अर्थव्यवस्था में विज्ञापन राजस्व का महत्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1962 एससी 305 में बताया गया है। बेनेट कोलमैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 1973 (2) एससीआर 757 का भी संदर्भ दिया गया है। यह भी कहा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1986 एससी 151 में यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रेस के लिए विज्ञापन सब्सिडी महत्वपूर्ण है। विज्ञापनों में कटौती के साथ, समाचारपत्र की कीमत में वृद्धि होगी और इससे इसके परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एआईआर 1995 एससी 2438 पर भी विश्वास जताया गया है। प्रतिवादी ने दोहराया है कि समाचारपत्र विज्ञापनदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रतिवादी इसे पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो विज्ञापनदाताओं को विज्ञापन केवल मोबाइल नंबर/ईमेल विवरण के साथ देने से रोकता हो। पता और अन्य विवरण दिए जाने पर भी धोखाधड़ी हो सकती है। आगे यह कहा गया है कि विज्ञापनों के प्रकाशन पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) क का उल्लंघन होगा। अस्वीकरण, समाचारपत्र को सभी दायित्वों से मुक्त करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचारपत्रों को विवाह संबंधी विज्ञापनों में अस्वीकरण जारी करने का निदेश दिया है। यह भी कहा गया है कि विज्ञापन लोगों को धोखा देने के इरादे से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। विज्ञापनों की विषय-वस्तु में समाचारपत्रों की कोई भूमिका नहीं होती है। विज्ञापन सद्भावना में प्रकाशित किए जाते हैं। यदि विज्ञापनदाता कुछ भी अवैध कर रहे हैं, तो इसके लिए वे उत्तरदायी हैं, न कि अखबार। जांच केवल पुलिस द्वारा की जा सकती है, समाचारपत्र द्वारा नहीं। श्री नागर, विद्वान अधिवक्ता, ने इन सभी प्रस्तुतियों को दोहराया है और आगे कहा है कि शिकायतकर्ता भविष्य में गलत होने के बारे में बोल रहा है, उन्होंने ऐसे किसी मामले का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें किसी के साथ धोखाधड़ी की गई हो।

प्रतिवादी की ओर से दर्ज हलफनामे को पढ़ने और परामर्शदाता को सुनने के बाद, जांच समिति को लगता है कि प्रतिवादी का दृष्टिकोण बहुत निराशाजनक है। प्रेस परिषद का उद्देश्य, प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है। इसलिए, प्रेस परिषद कभी भी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को कम करे और न ही वह किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करना चाहेगी। प्रेस परिषद को विद्वान परामर्शदाता द्वारा उद्धृत मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट कानून के प्रस्तावों के बारे में कभी कोई विवाद नहीं हो सकता है। यह सच है कि भारत का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रतिबंधों को अन्य बातों के साथ-साथ शालीनता और नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है। यह संविधान

के अनुच्छेद 19 के उप अनुच्छेद 2 से स्पष्ट है। समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था में विज्ञापनों के महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है, समाचारपत्रों को राजस्व की आवश्यकता होती है और इसकी अच्छी मात्रा विज्ञापनों से आती है जो समाचारपत्रों को उचित मूल्य बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि वे आम लोगों तक पहुंच सकें जो उनका मुख्य उद्देश्य है। जनता के बड़े हिस्से में समाचारों का प्रसार इससे सुगम होता है।

यह स्वीकार करते हुए कि विज्ञापन राजस्व समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है, जांच समिति यह टिप्पणी करना चाहती है कि समाचारपत्रों से लोगों को शिक्षित करने की अपेक्षा की जाती है और वे उन बुराइयों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो किन्हीं प्रकाशन के माध्यम से समाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस पहलू पर विचार करते समय, वाणिज्यिक दृष्टिकोण को पीछे रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यौन प्रकृति वाले अश्लील विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो कुछ पदार्थों का कोई विवरण दिए बिना, उनका दवा के रूप में, नाम देकर, घातक बीमारियों के इलाज का वादा करते हैं। टेली-फ्रेंडशिप संबंधी विज्ञापन और कंपनी के पते या उसके नियोक्ता के नाम का कोई विवरण दिए बिना लोगों को नौकरी देने का वादा करने वाले विज्ञापन, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में, सरकार ने समाचारपत्रों को सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के बारे में चेतावनी जारी की है। समाचारपत्रों से कहा गया है कि वे इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसका उद्देश्य भोली-भली युवा पीढ़ी को घोटालेबाजों या ऐसे लोगों से बचना है जो मानव तस्करी में लिप्त हैं। यह सच है कि भारतीय प्रेस परिषद पुलिस का कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन कानून इसे उन समाचारपत्रों को चेतावनी देने, सतर्क करने और उनकी **परिनिंदा** का अधिदेश देता है, जो उसके मानकों का पालन नहीं करते हैं। मीडिया में जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मानक बनाए गए हैं। ये मानक, पत्रकारिता के पेशे में लगे सभी लोगों के बीच जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए हैं। संपादक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि वे विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस संबंध में निम्नलिखित मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

*12. **संपादक का विवेक***

vii) अखबार/अखबारों में छपे सभी तथ्यों के लिए संपादक जिम्मेदार है।

viii) नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ प्रकाशित करते समय संपादकों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी सरलतापूर्वक की जा सकती है और इसे समुचित जांच के बाद ही प्रकाशित किया जाए।

गौरतलब है कि अस्वीकरण की अनुमति, विशेष रूप से केवल वैवाहिक विज्ञापनों में ही है। जहां तक नौकरियों के विज्ञापनों का संबंध है, इसमें अस्वीकरण की अनुमति नहीं है। इसे प्रमाणित करने के लिए मानक 2 (xxvii) को उद्धृत करना आवश्यक है। जो इस प्रकार पठनीय है:-

2. विज्ञापन

(xxvii) नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने की स्थिति में भावी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह "मानव तस्करी" को सरल बना सकती है जिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार हो जाएंगे।

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौपे जाने वाले काम की प्रकृति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले।

"अस्वीकरण" का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं करेगा।

मानक 2 (ix) के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करते समय विज्ञापन विभाग और संपादकीय विभाग के बीच समन्वय और संचार होना चाहिए। यह निम्नानुसार पठनीय है:-

2 (ix) प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के कानूनी औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार करने के मामले में समाचारपत्र के विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच पूर्ण समन्वय तथा संचार होना चाहिए।

मानक 2 (x) भी महत्वपूर्ण है। यह निम्नानुसार पठनीय है:-

2 (x) संपादकों को, विज्ञापनों की स्वीकार अस्वीकार करने के अंतिम निर्णय में, अपने अधिकार पर ज़ोर देना चाहिए विशेषतः ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।

मानक 2 (xxvi) में समाचारपत्रों को विज्ञापनदाता की पहचान का खुलासा करने के लिए कहा गया है। यह इस प्रकार पठनीय है:-

2(xxvi) अखबार/अखबारों में समाचार जैसे विज्ञापन/विज्ञापनिका प्रकाशित करते समय, उन्हें मोटे अक्षरों में विज्ञापन/विज्ञापनिका शीर्षक के साथ मुद्रित किया जाएगा जिसका फ़ॉन्ट साइज पृष्ठ पर दिये जा रहे उपशीर्षकों के बराबर हो।

इन मानकों की पृष्ठभूमि में जांच करने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने मानकों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी यह सत्यापित करने के लिए बाध्य है कि ऐसे विज्ञापन प्रामाणिक स्रोत से हुए हैं या नहीं। इसके आंतरिक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों को हटाया जाए।

श्री नागर का सुझाव है कि जांच समिति को पहले से ही गलत धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। इस प्रकार, उनके अनुसार जांच समिति को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि लोगों के साथ धोखा न हो। इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए। जब तथ्य पूर्ण हों और स्पष्ट रूप से

संकेत दें कि लोगों को धोखा दिए जाने की बहुत संभावना है, तो निवारक कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए।

हालांकि भारतीय प्रेस परिषद ने इस तरह के आचरण के लिए समाचारपत्रों की **परिनिंदा** की है, लेकिन उन्होंने अपने तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रतिवादी अखबार समाज के प्रति अपने कर्तव्य से बेखबर है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** की जानी चाहिए। तदनुसार, जांच समिति परिषद को प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने और मामले को बंद करने की संस्तुति करती है। इस आदेश की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेश के साथ मुंबई मिरर की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 21.08.2023

क्रम सं. 24-25 **फ़ा.सं. 398 & 399/2022-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता

श्री मनोज माधव दाबके,
मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लि.,
मुंबई।

प्रतिवादी

1. प्रधान संपादक,
   दैनिक भास्कर,
   जोधपुर (राजस्थान)
2. प्रधान संपादक,
   दिव्य भास्कर,
   अहमदाबाद (गुजरात)
3. संपादक,
   दैनिक भास्कर,
   जयपुर (राजस्थान)
4. मैसर्स खुशी अडवरटाइजिंग,
   मुरलीपुरा,
   जयपुर (राजस्थान)

तथ्य

दिनांक 11.5.2022 को श्री मनोज माधव दाबके, मेसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई द्वारा संपादकों, दैनिक, भास्कर, जोधपुर संस्करण, (2) दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण और (3) दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण के खिलाफ उनकी कंपनी के नाम पर क्लासीफाइड कॉलम में कथित रूप से बोगस/फर्जी विज्ञापन प्रकाशित करने पर ये शिकायतें दर्ज की गई हैं।

दैनिक भास्कर, जोधपुर संस्करण के दिनांक 8.3.2022 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन निम्नानुसार पठनीय है:

> "(**Natraj** पेंसिलकंपनी) पेंसिल पेकिंग कार्य जाब पुरष, महिलाएं, लडके, लडकियां, गृहणियां घर बैठे पेंसिल पेकिंग करके (20,000/-से 50,000/-) महीना कमाएं – एग्रीमेंट चार्ज – 2000/-संपर्क/Whattsapp:-8558465121"

दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण के दिनांक 18.2.2022 और 21.2.2022 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद निम्नानुसार पठनीय है (जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है):

> **"Boys, girls, housewives can earn (20000 – 50000) by doing pencil packing work from home. Paper Charge–2000/-Contact-8003379470".**

दिनांक 11.4.2022 को दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण में प्रकाशित आक्षेपित विज्ञापन निम्नानुसार है:

> (Natraj पेंसिल कंपनी) पेंसिल पेकिंग कार्य जाब पुरष, महिलाएं, लडके, लडकियां, गृहणियां घर बैठे पेंसिल पेकिंग करके (20,000/- से 50,000/-) महीना कमाएं – एग्रीमेंट चार्ज – 2000/- संपर्क/ Whattsapp:- 8905014026

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने न तो किसी को अखबार में इस तरह का विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकृत किया है और न ही अपनी पेंसिलें पैकिंग के लिए कहीं बाहर दी है। यहां तक कि विज्ञापन में दिया गया मोबाइल नंबर भी उनका नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, इसलिए, उन्होंने बजाज नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है और उक्त फर्जी विज्ञापन के पीछे धोखेबाज/दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम ब्रांच, बीकेसी, मुंबई में एफआईआर भी दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.2.2022 और 11.5.2022 के पत्रों के माध्यम से, इस संबंध में प्रतिवादी समाचारपत्रों का ध्यान आकर्षित किया और उक्त विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का विवरण साझा करने का अनुरोध किया, ताकि वे दोषी के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकें। उन्होंने समाचारपत्र से यह भी अनुरोध किया है कि वह समाचारपत्र में एक चेतावनी नोटिस प्रकाशित करे/ फ्लैश करे, ताकि आम जनता के ध्यान में यह लाया जा सके कि उक्त विज्ञापन फर्जी था।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि "दिव्य भास्कर", अहमदाबाद संस्करण के लिए अधिवक्ता, राजकुमार सिंह ने 28.5.2022 के अपने जवाब के माध्यम से आश्वासन दिया है कि वे फिर से ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे और वे कंपनी का समर्थन और सहयोग भी करेंगे।

दिनांक 12.01.2023 को दिव्य भास्कर, जोधपुर और अहमदाबाद संस्करणों के प्रधान संपादकों और 8.8.2022 को दैनिक भास्कर, जयपुर के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण ने दिनांक 31.1.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए, प्रस्तुत किया कि उनके पास विज्ञापन की एक प्रणाली है और वे विज्ञापन प्रकाशन से पहले विज्ञापनदाता से प्रमाण पत्र लेते हैं। वर्तमान मामले में भी ऐसा किया गया है। प्रतिवादी ने विज्ञापनदाता का विवरण प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि समाचारपत्र एजेंसी ने आक्षेपित विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले विज्ञापनदाता से प्रमाण पत्र लिया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने सरखेज पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम ब्रांच BKC मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 (3) के अनुसार, उपधारा (1) की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह परिषद को किसी ऐसे मामले में जांच करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके बारे में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हो। 1978 (3) उपधारा (1) की कोई भी बात परिषद को ऐसे किसी मामले की जांच करने की शक्ति देने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसके संबंध में कोई भी कार्यवाही न्यायालय में लंबित है।

दैनिक भास्कर, जोधपुर द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

संपादक, दैनिक भास्कर, जोधपुर ने दिनांक 31.1.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य की अंतर्वस्तु को दोहराया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता, मेसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई ने दिनांक 28.2.2023 को अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से कहा कि उन्होंने किसी को भी अपने अखबार में विज्ञापन के जरिये कथित नकली पेंसिल पैकिंग जॉब वर्क प्रकाशित करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और उनकी कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जानी जाती है। न कि नटराज पेंसिल के

नाम से शिकायतकर्ता के अनुसार, जालसाज फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं और घर से पेंसिल पैकिंग का काम देने के बहाने भोले-भाले लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह के फर्जी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए फर्जी पहचान बना रहे हैं। यहां तक कि उन्हें, उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में गहन संदेह है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सरखेज पुलिस स्टेशन में दिनांक 23.02.2022 को एक शिकायत दर्ज की है, जिसके आधार पर पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और न ही यह किसी अदालत के समक्ष लंबित है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि साइबर अपराध शाखा, बीकेसी मुंबई को की गई शिकायत के संबंध में शिकायत और एफआईआर का विषय उनके समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन के खिलाफ नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी के खिलाफ है, जो उनकी कंपनी के नाम पर चल रहा है, जिसमें घर से पेंसिल पैकिंग का काम देने के बहाने भोले-भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और इसी तरह इसकी अधिक संभावना है कि उनके अखबार में प्रकाशित समाचार को पढ़ने के बाद लोग धोखेबाज के जाल में फंस सकते हैं और धोखेबाजों को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता, मेसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई ने दिनांक 17.4.2023 को अगले पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कंपनी को एक शिकायत मिली थी कि समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे थे, जिसमें से "पेंसिल पैकिंग" का काम देने की पेशकश की गई थी, और कंपनी ने, विज्ञापन की शिकायत प्राप्त होने पर, साइबर क्राइम ब्रांच, बीकेसी, मुंबई में शिकायत दर्ज की और एफआईआर संख्या 39/2021 को दिनांक 17.09.2021 को रजिस्टर किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घोटाले के पीछे के व्यक्तियों की पहचान कर ली है और बड़े पैमाने पर जनता को सावधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर जनता को सावधान करते हुए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया कि घर पर पेंसिल पैकिंग का काम देने की पेशकश करने वाले विज्ञापन धोखाधड़ी वाले हैं और कंपनी, घर से किए जाने वाले जॉब-वर्क के आधार पर किसी भी काम की पेशकश नहीं करती है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वे प्रतिवादी समाचारपत्रों में ही इन चेतावनी नोटिसों को प्रकाशित करने के लिए मजबूर थे क्योंकि प्रतिवादी के उपर्युक्त संदर्भित समाचारपत्रों में ही पेंसिल पैकिंग, जॉब वर्क फ्रॉम होम के फर्जी वि_ज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने तुरंत प्रतिवादी को लिखा और प्रतिवादी द्वारा कंपनी को आश वासन दिया गया कि भविष्य में, समाचारपत्र इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। हालांकि, गौरतलब है कि आज तक अखबार ने विज्ञापन देने वाले व्यक्ति के नाम या स्रोत का खुलासा नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अखबार को अनिवार्य रूप से चेतावनी भी प्रकाशित करनी चाहिए कि विज्ञापन पर कार्रवाई करने से पहले, पाठक को विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे का उचित सत्यापन करना चाहिए।

<u>प्रतिवादियों द्वारा दर्ज़ अगला उत्तर</u>

प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने अपने दिनांक 17.04.2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने हमेशा भारतीय प्रेस परिषद और अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निदेशों का पालन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रश्नगत विज्ञापन, प्रतिवादियों द्वारा प्रायोजित नहीं हैं।

विज्ञापन प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी और प्रमाण पत्र फिर से यहां दर्ज़ किए गए है और इनकी सूचना शिकायतकर्ता को पहले भी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि, विज्ञापन "अस्वीकरण" के साथ क्लासीफाइड सेक्शन में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें विवेचित किया जाता है कि, प्रतिवादी, प्रकाशित विज्ञापन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और किसी भी प्रकाशित विज्ञापन या इसके परिणामों के लिए प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि, उन्होंने फर्जी विज्ञापन के संबंध में, संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया है और इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) को ध्यान में रखते हुए, शिकायत को खारिज करना आक्षेपित है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि संबंधित विज्ञापन, नटराज पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और शिकायत हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज़ की गई है और इसलिए, शिकायत जारी रखने योग्य नहीं है और इसे खारिज करने की आवश्यकता है।

जांच समिति ने 17.4.2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेश दिया कि खुशी एडवरटाइजिंग, जयपुर को प्रतिवादियों में एक पार्टी बनाया जाए। तदनुसार, जांच समिति के निदेश को परिषद के दिनांक 12.5.2023 के पत्र के माध्यम से खुशी एडवरटाइजिंग को सूचित किया गया था, लेकिन डाक अधिकारियों ने इसे टिप्पणी "बार-बार जाने पर प्राप्तकर्ता की दुकान बंद मिलती है" के साथ वापस कर दिया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से, श्री सुदेश कुमार नायडू, अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता, श्री अविनाश शुक्ला उपस्थित हुए।

इन 2 शिकायतों को सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा सकता है। ये शिकायतें मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई के श्री मनोज माधव दाबके ने संपादक, दैनिक भास्कर, जोधपुर संस्करण, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण और संपादक, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, जयपुर के खिलाफ दर्ज़ की हैं। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि इन समाचारपत्रों ने निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित किए हैं:-

> **"(Natrajपेंसिल कंपनी) पेंसिल पेकिंग कार्य जोब पुरुष, महिलाएं, लडके, लडकियां, ग्रहणियां घर बैठे पेंसिल पेकिंग करके (20,000/- से 50,000/-) महीना कमांए – एग्रीमेंट चार्ज – 2000/- संपर्क/ whattsapp:- 8558465121"**

शिकायतकर्ता के अनुसार ये विज्ञापन भ्रामक हैं। उन्होंने किसी को भी अखबार में ऐसे विज्ञापन जारी करने या पैकिंग के लिए अपनी पेंसिलें बाहर देने के लिए अधिकृत नहीं किया है। यह बताया गया है कि विज्ञापन में दिया गया मोबाइल नंबर भी शिकायतकर्ता मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट)

लिमिटेड का नहीं है। ये विज्ञापन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस संबंध में मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड ने साइबर अपराध शाखा BKC, मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है और दिनांक 17.9.2021 की एफआईआर संख्या 39/2021 दर्ज की गई है। आगे यह कहा गया है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घोटाले के पीछे के व्यक्ति की पहचान कर ली है और आवश्यक कार्रवाई की गई है। चूंकि बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया गया है और ऐसे विज्ञापन पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 विशेष रूप से मानक 2 (27) के खिलाफ हैं, इसलिए प्रेस परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक हैं और वे लोगों को धोखा देते हैं, विशेष रूप से युवाओं को जो नियमित काम पाने की उम्मीद में अपनी रकम देते हैं। पीसीआई ने अपने कई आदेशों में इस आचरण की निंदा की है। यह मानने का उचित आधार है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ी है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित समाचारपत्रों ने सत्यापन नहीं किया है और उनके नजरिये में लापरवाही रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने मानक 2(27) का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि खुशी एडवरटाइजिंग, जिसे प्रतिवादी नंबर 4 के रूप में जोड़ा गया है, को नोटिस सेवित नहीं किया जा सका, क्योंकि परिसर बंद पाया गया था। प्रतिवादी नंबर 4 को नोटिस सेवित करने के लिए बार-बार किए गए प्रयास विफल रहे। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 प्रथम दृष्टया एक फर्जी कंपनी है।

तथापि, व्यावहारिक कठिनाई यह है कि शिकायतकर्ता, मैसर्स हिन्दुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड है। विज्ञापन में नटराज पेंसिल कंपनी का जिक्र किया गया है। विज्ञापनों में पेंसिल के नाम की वर्तनी NATRAJ है, जबकि मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड की पेंसिलों पर NATARAJ नाम छपा होता है। इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए जांच समिति के लिए इस मामले की जांच करना संभव नहीं है। केवल पुलिस ही धोखाधड़ी का पता लगा सकती है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने साइबर शाखा में शिकायत दर्ज की है और अपराधी की पहचान कर ली गई है। अतः शिकायतकर्ता को उक्त शिकायत को लेकर मुकदमा चलाना चाहिए, ताकि अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित किया जा सके। यदि समुचित शिकायत दर्ज की जाती है तो पीसीआई द्वारा इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि उपर्युक्त व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों के कारण शिकायत जारी रखने योग्य नहीं है, इसलिए शिकायत को बंद करना होगा।

इन टिप्पणियों के साथ, जांच समिति परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को बंद करने का निर्णय लेती है।

******

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247060
CG-DL-E-05072023-247060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2818] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 2818] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2943(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"22. श्री सुजीत कुमार, वर्तमान पता : सी-1/12, हुमायूं रोड़, नई दिल्ली-110003.	राज्य सभा सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट"।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-1)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई और का.आ. सं. 4701 (अ), तारीख 11 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247061
CG-DL-E-05072023-247061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2817] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 2817] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2942(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में, का. आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 5 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"6. श्री पराग कारान्दिकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, वर्तमान पता : महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, द्वितीय तल, डी.एन. रोड़, फोर्ट, मुम्बई-400001.	आंग्ल भाषा समाचार पत्रों के संपादकगण "।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-2)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में, का. आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई और का. आ. सं. 4701(अ), तारीख 11 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247614
CG-DL-E-26072023-247614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3194] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 3194] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

का.आ. 3339(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 जुलाई, 2022, जारी संख्यांक 2817 में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2942 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2023 में पंक्ति 10 में "आंग्ल" के स्थान पर "भारतीय" पढ़ें।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस (भाग-2)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव